

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 फरवरी 2024—माघ 13, शक 1945

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2023

क्र. ई-1-259-2023-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे. अधिकारी को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री मनीष सिंह (2009), वि.क.अ.-सह-आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम तथा प्रबंध संचालक, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार)	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

(2) श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे (1993), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(3) श्री विवेक पोरवाल, भाप्रसे (2000), सचिव, मुख्यमंत्री एवं सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2023

क्र. ई-1-268-2023-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारी को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका			
क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री उमाकांत उमराव (1996), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	वि.क.अ.-सह-सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

(2) श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे (1992), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा सहकारिता विभाग का अतिरिक्त प्रभार रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2023

क्र. ई-1-269-2023-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका			
क्र.	अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री विवेक पोरवाल (2000), सचिव, मुख्यमंत्री एवं सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा आयुक्त, जनसंपर्क मध्यप्रदेश, भोपाल एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम (अतिरिक्त प्रभार).	प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर (अतिरिक्त प्रभार).	-

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री संदीप यादव (2000) प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर (अतिरिक्त प्रभार).	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा आयुक्त, जनसंपर्क मध्यप्रदेश भोपाल एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम (अतिरिक्त प्रभार).	-
3.	श्री नीरज कुमार सिंह (2012), कलेक्टर, जिला नर्मदापुरम.	कलेक्टर, जिला उज्जैन.	-
4.	श्री कुमार पुरुषोत्तम (2012), कलेक्टर, जिला उज्जैन.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.	-
5.	श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी (2012), प्रबंध संचालक, राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल.	कलेक्टर, जिला बैतूल.	-
6.	श्री अमनबीर सिंह बैस (2013), कलेक्टर, जिला बैतूल.	कलेक्टर, जिला गुना.	-
7.	सुश्री सोनिया मीना (2013), संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, मध्यप्रदेश भोपाल तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद (MAPCET), अतिरिक्त प्रभार.	कलेक्टर, जिला नर्मदापुरम.	-
8.	श्री रौशन कुमार सिंह (2015), आयुक्त, नगर पालिक निगम, उज्जैन.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
9.	श्री स्वप्निल जी. वानखेड़े (2016), आयुक्त, नगर पालिक निगम, जबलपुर.	वि.क.अ.-सह-आयुक्त -सह-संचालक, संस्थागत वित्त.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
10.	श्रीमती प्रीति यादव (2016), अपर कलेक्टर, जिला उज्जैन.	आयुक्त, नगर पालिक निगम, जबलपुर.	-

(2) श्रीमती दीपाली रस्तोगी, भाप्रसे (1994) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(3) श्रीमती दीपाली रस्तोगी, भाप्रसे (1994), द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे (1992), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं सहकारिता विभाग (अतिरिक्त प्रभार) केवल अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

(4) श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, भाप्रसे (2012) द्वारा कलेक्टर, जिला बैतूल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री श्रीमन शुक्ला, (2007) प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड-सह-आयुक्त, मंडी, मध्यप्रदेश भोपाल, को प्रबंध संचालक, राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(5) श्री रौशन कुमार सिंह, भाप्रसे (2015) द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री फ्रेंक नोबल ए., भाप्रसे (2013), आयुक्त नगर पालिक निगम, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(6) श्री स्वप्निल जी. वानखेड़े, भाप्रसे (2016) द्वारा वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक, संस्थागत वित्त (अतिरिक्त प्रभार) का पदभार ग्रहण करने पर श्री बक्की कार्तिकेयन, भाप्रसे (2012), संचालक, बजट, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक, संस्थागत वित्त (अतिरिक्त प्रभार), केवल वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक, संस्थागत वित्त के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीरा राणा, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2023

क्र. 1782-2030-2018-एक-10 (पार्ट).—राज्य शासन, एतद्वारा, माननीय न्यायमूर्ति श्री सुशील कुमार पालो, उप लोकायुक्त, भोपाल को दिनांक 18 से 20 दिसम्बर 2023 तक, कुल तीन दिवस के उपभोग किये गये अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है।

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2024

आर. क्र. 119-1782275-2024-साप्रवि कक्ष (1).—माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री अमर नाथ केशरवानी, के अवकाश स्वीकृति हेतु ओ.एस.डी. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक डी-5203-दो-1-5-2022, दिनांक 5 दिसम्बर 2023 के अनुक्रम में दिनांक 23 से 24 नवम्बर 2023 तक, दो दिवस के पूर्ण वेतन तथा भर्तों सहित अवकाश की स्वीकृति के साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 से 27 नवम्बर 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने, उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश

रीवा, दिनांक 9 जनवरी 2024

क्र. 13-व.लि.-2-2024.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-8-2023, एक-4-2023, दिनांक 22 दिसम्बर 2023 द्वारा जिले के भीतर तीन स्थानीय अवकाशों की घोषणा करने के लिये अधिकृत करने के फलस्वरूप सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, प्रतिभा पाल, कलेक्टर, रीवा निम्नलिखित दिनांक / दिन / त्रैवार के लिये वर्ष 2024 के लिये रीवा में स्थानीय अवकाश घोषित करती हूँ :-

स. क्रमांक	पर्व का नाम	दिनांक	दिन
(1)	(2)	(3)	(4)
1	भाईदूज	27 मार्च, 2024	बुधवार
2	दशहरा (महा अष्टमी / दशहरा (महा नवमी)	11 अक्टूबर, 2024	शुक्रवार
3	दीपावली (दक्षिण भारतीय)	30 अक्टूबर, 2024	बुधवार

2. उक्त स्थानीय अवकाश जिले के कोषालय / उप कोषालय तथा बैंकों पर लागू नहीं होंगे।

प्रतिभा पाल, कलेक्टर

कार्यालय, कलेक्टर, जिला आगर मालवा, मध्यप्रदेश

आगर मालवा, दिनांक 5 जनवरी 2024

संशोधित आदेश

क्र. सामान्य-2-2024-11.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक-सामान्य-2-2024-08, दिनांक 4 जनवरी 2024 से जिला आगर-मालवा के लिये वर्ष 2024 में तीन स्थानीय अवकाश घोषित किये गये हैं। उक्त आदेश में लिपिकीय त्रुटिवश, वार में त्रुटि होने से कार्यालयीन आदेश में आंशिक संशोधन किया जाकर निम्नानुसार वर्ष 2024 में जिला आगर-मालवा के लिये तीन स्थानीय अवकाश घोषित किये जाते हैं :—

क्रमांक (1)	त्यौहार का नाम (ऐच्छिक अवकाश के दिन) (2)	दिनांक (3)	वार (4)	क्षेत्र (5)
1	अनंत चतुर्दशी	17 सितम्बर 2024	मंगलवार	सम्पूर्ण जिला
2	दशहरा (महाअष्टमी)/दशहरा (महानवमी)	11 अक्टूबर 2024	शुक्रवार	सम्पूर्ण जिला
3	दीपावली का दूसरा दिन	01 नवम्बर 2024	शुक्रवार	सम्पूर्ण जिला

आर. पी. वर्मा, अपर कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश

छतरपुर, दिनांक 9 जनवरी 2024

क्र. 01-एस. सी. 1-2024.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-2-1999-एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 अनुक्रमांक 4 के नियम 8 के अनुसार जिले के भीतर तीन स्थानीय अवकाश की घोषणा करने के लिये अधिकृत किया गया है।

अतः सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 अनुक्रमांक-4 की कण्डिका-8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, संदीप जी. आर. कलेक्टर, छतरपुर वर्ष 2024 के लिये छतरपुर जिला अंतर्गत निम्न त्यौहारों पर उनके समक्ष दर्शाई गई तारीखों को पूरे दिन के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :—

स. क्र. (1)	त्यौहार / पर्व (2)	अवकाश का दिनांक (3)	अवकाश का दिन (4)	क्षेत्र (5)
1	मकर संक्रांति	15 जनवरी 2024	सोमवार	सम्पूर्ण जिला
2	भाईदोज (होली)	27 मार्च 2024	बुधवार	सम्पूर्ण जिला
3	देवउठनी ग्यारस	12 नवम्बर 2024	मंगलवार	सम्पूर्ण जिला

संदीप जी. आर., कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सागर, मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 15 जनवरी 2024

क्र.-क-577-न्या लि.-2024.—सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्र. 01-1770880-2023-बी-3 दो, भोपाल दिनांक 2 जनवरी 2024 में जारी निर्देशों के परिपालन में एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974) का संख्यांक 2 की धारा 2 के खण्ड एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा संलग्न सारणी को मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से :—

जिले के भीतर गठित समिति द्वारा प्रस्तुत संलग्न सूची के अनुसार जिले के ग्रामों को वर्तमान थाना / चौकी से थाना / चौकी में शामिल किये जाना हैं।

दीपक आर्य, जिला मजिस्ट्रेट एवं उपसचिव.

जिला सागर के वर्तमान थाने के ग्रामों को प्रस्तावित थाने में परिशीलन किये जाने संबंधी प्रस्ताव									
स0क्र0	गांव का नाम	वर्तमान थाने का नाम	वर्तमान थाना से दूरी	वर्तमान विधानसभा	प्रस्तावित थाना	प्रस्तावित थाना से दूरी	प्रस्तावित विधानसभा	ग्राम के जनप्रतिनिधि/स्थानीय लोगों का अभिमत	रिमार्क
1	सुआतला	गोपालगंज	4 कि०मी०	नरयावली	सिविल लाईन	12 कि०मी०	नरयावली	सहमत	गांव के लोग सहमत
2	मैनपानी	गोपालगंज	6 कि०मी०	नरयावली	सिविल लाईन	10 कि०मी०	नरयावली	सहमत	गांव के लोग सहमत
3	बेरखेडी गुपाल	राहतगढ	चौकी सीहोरा से 05 कि०मी० थाना राहतगढ़ से 22 कि०मी०	नरयावली	नरयावली	11 कि० मी०	नरयावली	सहमत	गांव के लोग सहमत
4	लौटना	राहतगढ	चौकी सीहोरा से 05 कि०मी० थाना राहतगढ़ से 22 कि०मी०	नरयावली	नरयावली	13 कि० मी०	नरयावली	सहमत	गांव के लोग सहमत
5	लौटनी	राहतगढ	चौकी सीहोरा से 4.5 कि०मी० थाना राहतगढ़ से 22 कि०मी०	नरयावली	नरयावली	13 कि० मी०	नरयावली	सहमत	गांव के लोग सहमत
6	करई	राहतगढ	चौकी सीहोरा से 10 कि०मी० थाना राहतगढ़ से 23 कि०मी०	नरयावली	नरयावली	8 कि० मी०	नरयावली	सहमत	गांव के लोग सहमत
7	पडरिया	सानौथा	चौ०शाहपुर से 10 कि०मी०	नरयावली	सानौथा	5 कि०मी०	नरयावली	सहमत	गांव के लोग सहमत
8	खांड	सानौथा	26 कि०मी०	रहली	चौ०ढाना थाना सुरखी	6 कि०मी०	रहली	सहमत	गांव के लोग सहमत
9	पिपरिया वैध	सानौथा	12 कि०मी०	रहली	चौ०ढाना थाना सुरखी	5 कि०मी०	रहली	सहमत	गांव के लोग सहमत
10	लालेपुर	सानौथा	23 कि०मी०	रहली	चौ०ढाना थाना सुरखी	4 कि०मी०	रहली	सहमत	गांव के लोग सहमत
11	बनाद	सुरखी	चौ०ढाना से 03 कि०मी० एवं थाना सुरखी से 22 कि०मी०	नरयावली	सिविल लाईन	14 कि०मी०	नरयावली	सहमत	गांव के लोग सहमत
12	चितौरा	सुरखी	15 कि०मी०	नरयावली	सिविल लाईन	16 कि०मी०	नरयावली	सहमत	गांव के लोग सहमत
13	बेरखेरी गुरू	सुरखी	17 कि०मी०	नरयावली	सिविल लाईन	14 कि०मी०	नरयावली	सहमत	गांव के लोग सहमत
14	उमरखोह	गोरझामर	28 कि०मी०	देवरी	देवरी	20 कि० मी०	देवरी	सहमत	गांव के लोग सहमत
15	पुरेना	थानगढ	चौकी सिरचौपी से 12 कि०मी०	बीना	आगासौद	11 कि० मी०	बीना	सहमत	गांव के लोग सहमत
16	पदमरा वीरन	खिमलाशा	18 कि०मी०	खुरई	मालथोन	18 कि० मी०	खुरई	वीरान ग्राम है।	वीरान ग्राम है।
17	जेरवारा	बांदरी	19 कि०मी०	नरयावली	नरयावली	10 कि० मी०	नरयावली	सहमत	गांव के लोग सहमत
18	धुआ/धीहा	बांदरी	12 कि०मी०	नरयावली	केन्ट	13 कि०मी०	नरयावली	सहमत	गांव के लोग सहमत
19	सेवारा/सेवारी	बहरोल	24 कि०मी०	नरयावली	केन्ट	23 कि०मी०	नरयावली	सहमत	गांव के लोग सहमत
20	मडैया गौंड	बहरोल	20 कि०मी०	नरयावली	केन्ट	21 कि०मी०	नरयावली	सहमत	गांव के लोग सहमत

पर्यावरण विभाग**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**

क्र. 94-2024-छियासठ-1.

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी, 2024

यतः भारत के संविधान का अनुच्छेद 48क, अन्य बातों के साथ-साथ, पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा की परिकल्पना करता है और यह उपबंध करता है, कि राज्य, पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करने और देश के वनों तथा वन्य जीवन की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा;

और यतः, यह बात सही है, कि पतंग उड़ाने के दौरान, प्लास्टिक या इसी तरह के संश्लिष्ट पदार्थ (सिंथेटिक मटेरियल) से बने पक्के धागे, जिसे आमतौर पर 'चीनी मांझा' के रूप में जाना जाता है, के कारण लोगों और पक्षियों को बहुत ज्यादा चोट आती है। ये चोटें कई बार घातक साबित होती हैं जिससे लोगों, जानवरों और पक्षियों की मृत्यु हो जाती है। इसलिए, इस पतंग के धागे के घातक प्रभावों से लोगों और पक्षियों को बचाना वांछनीय है;

और यतः, पतंग उड़ाने के दौरान पतंगबाजी या अन्यथा के परिणामस्वरूप कई पतंगें आसमान में कट जाती हैं, पतंग के साथ-साथ ये सभी कटे हुए धागे भूमि पर ही रह जाते हैं। प्लास्टिक पदार्थ के बहुत लंबे जीवन काल और प्रकृति से गैर-जैव अवक्रमणीय (नान-बायोडिग्रेडेबल) होने के कारण, ये सीवर, जल निकासी लाइनों, प्राकृतिक जलमार्गों जैसे नदियों, नालों आदि में रुकावट और गायों और अन्य जानवरों, जो खाद्य पदार्थों के साथ ऐसी प्लास्टिक सामग्री खा लेते हैं, का दम घुटने जैसी समस्याएं पैदा करते रहते हैं। इस प्रकार, धागे बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऐसी प्लास्टिक सामग्री जिसे सामान्यतः 'चीनी मांझा' के रूप में जाना जाता है, के कई और विविध दुष्प्रभाव हैं;

और यतः, माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण (पी बी) नई दिल्ली ने ओ.ए.क्र. 384 / 2016, ओ.ए.क्र. 442 / 2016, एम.ए.क्रमांक. 1247 / 2016 और 317 / 2017 "खालिद अशरफ एवं एक अन्य विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य" और "पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य" के प्रकरणों में अपने आदेश दिनांक 11.07.2017 द्वारा निर्देश दिया है कि,—

- (एक) पतंग उड़ाने के लिए ऐसे मांझे या धागे पर पूर्ण प्रतिबंध होगा, जो नायलॉन या अन्य संशलिष्ट पदार्थ (सिंथेटिक मटेरियल) से बना हो और/या जिस पर संशलिष्ट पदार्थों (सिंथेटिक मटेरियल) का लेप लगा हो तथा जो गैर-जैवअवक्रमणीय (नॉन-बायोडिग्रेडेबल) हो।
- (दो) राज्य सरकारों को निर्देशित किया जाता है कि वह पतंग उड़ाने के लिए उपयोग होने वाले संशलिष्ट (सिंथेटिक) मांझा/ नायलॉन धागे और अन्य सभी सदृश संशलिष्ट धागों (सिंथेटिक थ्रेड्स) के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग को प्रतिबंधित करें।
- (तीन) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के समस्त मुख्य सचिवों/प्रशासकों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने संपूर्ण राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में पतंग उड़ाने के लिए संशलिष्ट (सिंथेटिक) मांझा/नायलॉन धागे के निर्माण और उपयोग पर प्रतिबंध लागू करें।

और यतः, जैसा कि केंद्र सरकार ने अपनी अधिसूचना क्र. एस.ओ.152(ई), दिनांक 10 फरवरी, 1988 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, (1986 का 29) की धारा 5 के अधीन निहित शक्तियां मध्यप्रदेश सरकार को प्रत्यायोजित कर दी हैं;

अतएव, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण के उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मानव, मवेशियों, मिट्टी और पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए, निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं, अर्थात्:—

निर्देश,—

1. मध्यप्रदेश राज्य में लोकव्यापी रूप में ज्ञात 'चीनी मांझा' सहित नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य संश्लिष्ट (सिंथेटिक) पदार्थ से बने पतंग उड़ाने वाले धागे एवं किसी अन्य पतंग उड़ाने वाला धागे, जो संश्लिष्ट (सिंथेटिक) पदार्थ से लेपित है और गैर-जैवअवक्रमणीय (नान-बायोडिग्रेडिबल) है, के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति, आयात और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।
2. केवल ऐसे सूती धागे से पतंग उड़ाने की अनुमति होगी, जो किसी भी तेज/धात्विक/कांच के घटकों/चिपकने वाले पदार्थ/धागे को मजबूत करने वाली सामग्रियों से मुक्त हो।

निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए प्राधिकृत अधिकारी.—

इस अधिसूचना को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित अधिकारी सक्षम प्राधिकारी होंगे—

1. सभी जिला कलक्टर।
2. वन परिक्षेत्राधिकारी और उससे अनिम्न रैंक के वन अधिकारी।
3. उप-निरीक्षक और उससे अनिम्न रैंक के पुलिस अधिकारी।
4. नगरपालिक निगम के आयुक्त, मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं अन्य स्थानीय निकायों के अधिकारी।

उपरोक्त निर्देश इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

नोट — पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 5 के अधीन जारी निर्देशों अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों या आदेशों का उल्लंघन, उक्त अधिनियम की धारा 15 के अधीन दण्डनीय है, जिसमें पांच साल तक का कारावास और/या जुर्माना, जो रु. एक लाख तक का हो सकेगा, सम्मिलित है।

No.94-2024-LXVI-1.

Whereas, article 48A of the Constitution of India, inter-alia, envisages protection and improvement of environment and safeguarding of forests and wild life and provides that the State shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wild life of the country;

And whereas, it is a fact that during the kite flying, a lot of injury is caused to the people and birds on account of Pucca Threads made out of plastic or similar such synthetic material commonly known as 'Chinese Manjha'. These injuries many a times turn out to be fatal causing death of people, animals and birds. It is, therefore, desirable to protect the people animals and birds from the fatal effects of this kite thread;

And whereas, during the kite flying several kites get cut in the sky as a consequence of kite competition or otherwise, all the cut threads along with these kites remain on the land. Because of the very long life of the plastic material and being non-biodegradable in nature, these continue to cause problems such as blockage of sewers, drainage lines, natural waterways such as rivers, streams, etc. and suffocation of cows and other animals who also eat such plastic materials along with food items. Thus the harmful effects of such plastic materials used for making thread commonly known as 'Chinese Manjha' are many and varied.

And whereas, the Hon'ble National Green Tribunal (PB), New Delhi vide its order dated 11.07.2017 passed in O.A. No. 384/2016, O.A. No. 442/2016, M.A. numbers 1247/2016 and 317/2017 in the cases of "Khalid Ashraf and Another Vs Union of

India and Others” and “People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) Vs Union of India and Others” has directed that,-

- (i) there shall be a total ban on the manjha or thread for kite flying which is made of nylon or any synthetic material and/or coated with synthetic substances and is non-biodegradable.
- (ii) State Governments are directed to prohibit the manufacture, sale, storage, purchase and use of synthetic manjha/ nylon thread and all other similar synthetic threads, used for kite flying.
- (iii) all the Chief Secretaries/ Administration of the State Governments and Union Territories are directed to enforce the prohibition of manufacture and use of synthetic manjha/ nylon thread for kite flying throughout their State/ Territory.

And whereas, the Central Government vide its Notification No. S.O. 152 (E), dated 10th February, 1988 has delegated the powers vested in it under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) to the Government of Madhya Pradesh;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in compliance of the above directions of the Hon'ble National Green Tribunal, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, issues the following directions to prevent adverse effect on human beings, cattle population, soil and ecology, namely:-

Directions.-

1. There shall be a complete ban in the State of Madhya Pradesh on the manufacture, sale, storage, purchase, supply, import and use of kite flying thread made out of nylon, plastic or any other synthetic material including the popularly known 'Chinese Manjha' and any other kite flying thread which is coated with synthetic substance and is non-biodegradable.
2. Kite flying shall be permissible only with a cotton thread, free from any sharp/metallic/glass components/adhesive/thread strengthening materials.

Authorized officers for implementation of the directions.-

The following officers shall act as competent authority to implement this Notification-

- (1) All District Collectors.
- (2) Forest Officers not below the rank of Forest Ranger and above.
- (3) Police Officers not below the rank of Sub-Inspector and above.
- (4) Commissioners of Municipal Corporations, Chief Municipal Officers and Officers of the Other Local Bodies.

The above directions shall come into force from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette.

Note:-The violation of directions issued under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) or the rules or orders made thereunder are punishable under section 15 of the said Act which includes imprisonment upto five years and or with fine, which may extend to Rs. One lakh or with both.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार जांगिड़, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी, 2024

क्र. 96-797726-2023-छियासठ-1.-जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 28 की उपधारा (2) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 की 14) की धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की इस संबंध में पूर्व में जारी की गई अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, निम्नलिखित तीन सदस्यीय अपील प्राधिकरण का गठन करता है, अर्थात्:-

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. कार्यपालक संचालक,
पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन. | - अध्यक्ष |
| 2. उप सचिव,
पर्यावरण विभाग, मध्यप्रदेश शासन. | - सदस्य |
| 3. विधि अधिकारी,
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड. | - सदस्य/प्रस्तुतकर्ता अधिकारी. |

No.96-797726-2023-LXVI-I.-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 28 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and sub-section (2) of Section 31 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and in supersession of this department's earlier notifications issued in this regard, the State Government, hereby, constitutes the following three members appellate authority, namely:-

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Executive Director,
Environmental Planning and
Co-ordination Organisation. | - Chairman |
| 2. Deputy Secretary,
Department of Environment,
Government of Madhya Pradesh. | - Member |
| 3. Law Officer,
Madhya Pradesh Pollution
Control Board. | - Member/Presenting Officer |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार जांगिड़, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी, 2024

क्र. एफ-31-2022-छब्बीस-1: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2018 (2016 का 49) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन दिव्यांगजन के लिए पदों के चिन्हांकन के लिए पर्यावरण विभाग, एतद्द्वारा, अनुसूची-एक में पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, मध्यप्रदेश शासन के स्थापना में, अनुसूची-दो में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए आरक्षित पद चिन्हांकित करता है: -

अनुसूची "एक"

1. पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग के अंतर्गत पंजीकृत संस्था.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार जांगिड़, उपसचिव.

अनुसूची "दो"

विभाग का नाम - पर्यावरण विभाग (पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफ्को))

श्रेणी	पद का नाम	सीधी भर्ती के लिये स्वीकृत पद	योग	निःशक्जनों के लिये चिह्नित पदों की संख्या कुल योग (6%)	चिह्नित पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (6+7+8+9)	रिमांक
					दृष्टिबाधित और कम दृष्टि 1.5%	बहरे और कम सुनने वाले 1.5%	लोकोमीटर टिसेबिलिटी 1.5%	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी एवं बहुविकलांगता 1.5%		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
द्वितीय श्रेणी	सहायक वैज्ञानिक अधिकारी (L-12)	11	11	1	0	0	1	0	1	
	अकादमिक समन्वयक (L-12)	2	2	0	0	0	0	0	0	
	सहायक वास्तुविद् (L-12)	12	12	1	0	1	0	0	1	
	सहायक यंत्री (L-12)	7	7	0	0	0	0	0	0	
योग		32	32	2	0	1	1	0	2	
तृतीय श्रेणी	मानचित्रकार (L-8)	5	5	0	0	0	0	0	0	
	उपयंत्री (L-8)	5	5	1	0	0	1	0	1	
	वैज्ञानिक सहायक (L-10)	10	10	1	0	1	0	0	1	
	अकादमिक सहायक (L-10)	1	1	0	0	0	0	0	0	
	प्रयोगशाला समन्वयक (L-10)	1	1	0	0	0	0	0	0	
	लेखापाल (L-8)	3	3	0	0	0	0	0	0	
	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (L-7)	1	1	0	0	0	0	0	0	
	डाटा एंट्री ऑपरेटर (L-6)	3	3	0	0	0	0	0	0	
	लेखा सहायक (L-6)	6	6	1	0	0	0	1	1	
	स्वागति	1	1	0	0	0	0	0	0	
	विद्युतकार	1	1	0	0	0	0	0	0	
	पुस्तकालय सहायक (L-4)	1	1	0	0	0	0	0	0	
	फिल्ड कम लैब सहायक (L-4)	6	6	0	0	0	0	0	0	
	कार्यालय सहायक (L-4)	2	2	0	0	0	0	0	0	
	सहायक ग्रेड-III (L-4)	4	4	1	0	0	0	1	1	
स्टेनो टायपिस्ट (L-4)	3	3	1	0	1	0	0	1		
माहन चालक (L-4)	9	9	1	0	0	1	0	1		
योग		62	62	6	0	2	2	2	6	
चतुर्थ श्रेणी	मृत्य (L-1)	34	34	0	0	0	0	0	0	
योग		34	34	0	0	0	0	0	0	
कुल योग		128	128	8	0	3	3	2	8	

क्र.सं.	पदाधिकारी का नाम	पद	श्रेणी	वर्ग	संवर्ग	संख्या	वर्तमान संख्या	रिजर्व संख्या	कुल संख्या	अन्य संख्या	वैधता तिथि
15	32 पंचायत	पंचायत प्रमुख	पंचायत प्रमुख	अन्य	पंचायत प्रमुख	3	0	3	0	0	31-12-2024
16	32 पंचायत	पंचायत प्रमुख	पंचायत प्रमुख	अन्य	पंचायत प्रमुख	1	0	0	0	0	
17	32 पंचायत	पंचायत प्रमुख	पंचायत प्रमुख	अन्य	पंचायत प्रमुख	6	0	1	0	1	
18	32 पंचायत	पंचायत प्रमुख	पंचायत प्रमुख	अन्य	पंचायत प्रमुख	1	0	0	0	0	
19	32 पंचायत	पंचायत प्रमुख	पंचायत प्रमुख	अन्य	पंचायत प्रमुख	1	0	0	0	0	
20	32 पंचायत	पंचायत प्रमुख	पंचायत प्रमुख	अन्य	पंचायत प्रमुख	1	0	0	0	0	
21	32 पंचायत	पंचायत प्रमुख	पंचायत प्रमुख	अन्य	पंचायत प्रमुख	3	0	0	0	0	
22	32 पंचायत	पंचायत प्रमुख	पंचायत प्रमुख	अन्य	पंचायत प्रमुख	2	1	0	0	0	
23	32 पंचायत	पंचायत प्रमुख	पंचायत प्रमुख	अन्य	पंचायत प्रमुख	0	0	0	0	0	
24	32 पंचायत	पंचायत प्रमुख	पंचायत प्रमुख	अन्य	पंचायत प्रमुख	0	0	0	0	0	
25	32 पंचायत	पंचायत प्रमुख	पंचायत प्रमुख	अन्य	पंचायत प्रमुख	0	0	0	0	0	
26	32 पंचायत	पंचायत प्रमुख	पंचायत प्रमुख	अन्य	पंचायत प्रमुख	68	0	64	4	1	31-12-2024
27	32 पंचायत	पंचायत प्रमुख	पंचायत प्रमुख	अन्य	पंचायत प्रमुख	107	18	89	8	2	31-12-2024
28	32 पंचायत	पंचायत प्रमुख	पंचायत प्रमुख	अन्य	पंचायत प्रमुख	16	0	16	2	0	31-12-2024
29	32 पंचायत	पंचायत प्रमुख	पंचायत प्रमुख	अन्य	पंचायत प्रमुख	68	34	34	6	1	31-12-2024
30	32 पंचायत	पंचायत प्रमुख	पंचायत प्रमुख	अन्य	पंचायत प्रमुख	18	18	0	1	0	15-08-2022
31	32 पंचायत	पंचायत प्रमुख	पंचायत प्रमुख	अन्य	पंचायत प्रमुख	75	24	51	5	1	31-12-2024
32	32 पंचायत	पंचायत प्रमुख	पंचायत प्रमुख	अन्य	पंचायत प्रमुख	180	96	84	10	3	31-12-2024
33	32 पंचायत	पंचायत प्रमुख	पंचायत प्रमुख	अन्य	पंचायत प्रमुख	18	0	18	1	0	31-12-2024
34	32 पंचायत	पंचायत प्रमुख	पंचायत प्रमुख	अन्य	पंचायत प्रमुख	12	0	12	1	1	31-12-2024

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 17 जनवरी 2024

प्रकरण क्रमांक 09/अ-82 वर्ष 2021-22 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत सिरस्वाहा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु ग्राम कुंवरपुर तहसील व अनुभाग पन्ना स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 07/10/2022 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका, अतः अधिनियम की धारा 25 (2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल हैक्टेयर में		
1	2	3	4	5	6
पन्ना	पन्ना	कुंवरपुर	निजी भूमि 0.66 हे० एवं शास० भूमि 2.60 हे० इस प्रकार कुल-3.26 हे०	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना	सिरस्वाहा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु ग्राम कुंवरपुर तहसील व अनुभाग पन्ना।

{1} भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है ।

प्रकरण क्रमांक 10/अ-82 वर्ष 2021-22 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत सिरस्वाहा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु ग्राम सिरस्वाहा तहसील व अनुभाग पन्ना स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 07/10/2022 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका, अतः अधिनियम की धारा 25 (2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल हैक्टेयर में		
1	2	3	4	5	6
पन्ना	पन्ना	सिरस्वाहा	निजी भूमि 3.52 हे० एवं शास० भूमि 0.07 हे० इस प्रकार कुल-3.59 हे०	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना	सिरस्वाहा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु ग्राम सिरस्वाहा तहसील व अनुभाग पन्ना

{1} भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है ।

प्रकरण क्रमांक 11/अ-82 वर्ष 2021-22 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत सिरस्वाहा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु ग्राम धरमपुर तहसील व अनुभाग पन्ना स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 07/10/2022 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका, अतः अधिनियम की धारा 25 (2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कडिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कडिका क्रमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल हैक्टेयर में		
1	2	3	4	5	6
पन्ना	पन्ना	धरमपुर	निजी भूमि 4.67 हे० एवं शास० भूमि 0.48 हे० इस प्रकार कुल-5.15 हे०	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना	सिरस्वाहा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु ग्राम धरमपुर तहसील व अनुभाग पन्ना

- {1} भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरजिंदर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 17 जनवरी 2024

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.148./भू-अर्जन/24 दि0 17/01/2024
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	कोटर	बछौरा	0.200 हे.	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद जिला शहडोल (म0प्र0)	बाणसागर परियोजना यूनिट -2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.149./भू-अर्जन/24 दि0 17/01/2024
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	कोटर	अधरवार	0.510 हे.	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद जिला शहडोल (म0प्र0)	बाणसागर परियोजना यूनिट -2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.150./भू-अर्जन/24 दि0 17/01/2024
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	कोटर	पटना खुर्द	3.000 हे.	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद जिला शहडोल (म0प्र0)	बाणसागर परियोजना यूनिट -2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.151./भू-अर्जन/24 दि0 17/01/2024
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	कोटर	फरहद	0.600 हे.	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद जिला शहडोल (म0प्र0)	बाणसागर परियोजना यूनिट -2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0/152/भू-अर्जन/24 दि0 17/01/2024
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	कोटर	चूंदकला	0.600 हे.	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद जिला शहडोल (म0प्र0)	बाणसागर परियोजना यूनिट -2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0/153/भू-अर्जन/24 दि0 17/01/2024
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	कोटर	लखनवाह	10.00 हे.	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद जिला शहडोल (म0प्र0)	बाणसागर परियोजना यूनिट -2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.154/भू-अर्जन/24 दि0 17/01/2024
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	कोटर	घोरकाट	8.00 हे.	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद जिला शहडोल (म0प्र0)	बाणसागर परियोजना यूनिट -2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.155/भू-अर्जन/24 दि0 17/01/2024
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	बिरसिंहपुर	झरी	0.620 हे.	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद जिला शहडोल (म0प्र0)	बाणसागर परियोजना यूनिट -2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.156/भू-अर्जन/24 दि0 17/01/2024
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	बिरसिंहपुर	मसमासी जमुनिहाई	0.250 हे.	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद जिला शहडोल (म0प्र0)	बाणसागर परियोजना यूनिट -2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.157/भू-अर्जन/24 दि0 17/01/2024
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	बिरसिंहपुर	गोड़गवां	0.200 हे.	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद जिला शहडोल (म0प्र0)	बाणसागर परियोजना यूनिट -2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.138./भू-अर्जन/24 दि0 17/01/2024
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	बिरसिंहपुर	पडुहार	5.100 हे.	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद जिला शहडोल (म0प्र0)	बाणसागर परियोजना यूनिट -2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.139./भू-अर्जन/24 दि0 17/01/2024
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	बिरसिंहपुर	बमुरहा	0.500 हे.	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद जिला शहडोल (म0प्र0)	बाणसागर परियोजना यूनिट -2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.160.../भू-अर्जन/24 दि0 17/01/2024
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	बिरसिंहपुर	नगौरा	0.150 हे.	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद जिला शहडोल (म0प्र0)	बाणसागर परियोजना यूनिट -2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.161.../भू-अर्जन/24 दि0 17/01/2024
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	बिरसिंहपुर	महुवापार	0.200 हे.	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद जिला शहडोल (म0प्र0)	बाणसागर परियोजना यूनिट -2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.162/भू-अर्जन/24 दि0 17/01/2024
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	बिरसिंहपुर	गुढ़वा	0.400 हे.	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद जिला शहडोल (म0प्र0)	बाणसागर परियोजना यूनिट-2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.163/भू-अर्जन/24 दि0 17/01/2024
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	बिरसिंहपुर	गरलगा	0.200 हे.	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद जिला शहडोल (म0प्र0)	बाणसागर परियोजना यूनिट -2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0 165.../भू-अर्जन/24 दि0 17/01/2024
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	बिरसिंहपुर	मेहुती	0.200 हे.	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद जिला शहडोल (म0प्र0)	बाणसागर परियोजना यूनिट -2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0 166.../भू-अर्जन/24 दि0 17/01/2024
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	बिरसिंहपुर	पटनाखुर्द	3.000 हे.	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद जिला शहडोल (म0प्र0)	बाणसागर परियोजना यूनिट -2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.167/भू-अर्जन/24 दि0 17/01/2024
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	बिरसिंहपुर	पड़रिया	0.200 हे.	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद जिला शहडोल (म0प्र0)	बाणसागर परियोजना यूनिट-2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.168/भू-अर्जन/24 दि0 17/01/2024
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	बिरसिंहपुर	मौदहा	0.410 हे.	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद जिला शहडोल (म0प्र0)	बाणसागर परियोजना यूनिट -2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.169.../भू-अर्जन/24 दि0 17/01/2024
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	बिरसिंहपुर	खडौरी खुर्द	0.300 हे.	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद जिला शहडोल (म0प्र0)	बाणसागर परियोजना यूनिट -2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.170/भू-अर्जन/24 दि0 17/01/2024
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	बिरसिंहपुर	कलवलिया	4.900 हे.	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद जिला शहडोल (म0प्र0)	बाणसागर परियोजना यूनिट -2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.171/भू-अर्जन/24 दि0 17/01/2024
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	बिरसिंहपुर	पटनाकला	0.100 हे.	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौंद जिला शहडोल (म0प्र0)	बाणसागर परियोजना यूनिट -2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.172/भू-अर्जन/24 दि0 17/01/2024
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	बिरसिंहपुर	ऐंझी	0.080 हे.	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौंद जिला शहडोल (म0प्र0)	बाणसागर परियोजना यूनिट -2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.173/भू-अर्जन/24 दि0 17/01/2024
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	बिरसिंहपुर	मऊ	2.100 हे.	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद जिला शहडोल (म0प्र0)	बाणसागर परियोजना यूनिट -2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.174/भू-अर्जन/24 दि0 17/01/2024
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	बिरसिंहपुर	मालमउ	0.200 हे.	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद जिला शहडोल (म0प्र0)	बाणसागर परियोजना यूनिट -2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-23-24-178-प.क्र.-178-भू-अर्जन-24

सतना, दिनांक 18 जनवरी 2024

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रघुराजनगर	कुड़िया	5.9521 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-1 नागौद जिला सतना (M0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सोहावल वितरिका के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.178/भू-अर्जन/24 दि0 / /2024

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रघुराजनगर	तूमिन	7.3634 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-1 नागौद जिला सतना (M0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सोहावल वितरिका के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0...../भू-अर्जन/24 दि0 18/01/2024
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रघुराजनगर	बड़खेर	1.5279 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सोहावल उप शाखा नहर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.18.1./भू-अर्जन/24 दि0 18/01/2024
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रघुराजनगर	भुमकहर	2.5652 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सोहावल वितरिका के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.181/भू-अर्जन/24 दि0 18/01/2024
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	बिरसिंहपुर	मरवा	1.9503 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.183/भू-अर्जन/24 दि0 18/01/2024
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	बिरसिंहपुर	अमिलिया	0.1067 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.184/भू-अर्जन/24 दि0 18/01/2024
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	बिरसिंहपुर	दुदुवार	1.7083 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.185/भू-अर्जन/24 दि0 18/01/2024
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	बिरसिंहपुर	मचखड़ा	3.0305 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.186/भू-अर्जन/24 दि0 18/01/2024
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	बिरसिंहपुर	अतरार	1.7083 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.187/भू-अर्जन/24 दि0 18/01/2024
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	बिरसिंहपुर	विहरिया	9.7889 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र० क्र० अ 82/23-24 पत्र क्र० 206/भू-अर्जन/24 दिनांक 19/1/24 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा-11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	बरकोनिया माफी	0.826 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म०प्र०)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत टिकुरी माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र.-अ-82-भू-अर्जन-23-24-241

सतना, दिनांक 19 जनवरी 2024

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	कोठी	बैरगला	3.8566 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0 242/भू-अर्जन/24 दि0 19/01/2024
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	कोठी	शिवसागर	10.0287 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0 243/भू-अर्जन/24 दि0 19/01/2024
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	कोठी	घडेरुवा	4.3978 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सोहावल उप शाखा नहर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0 244/भू-अर्जन/24 दि0 19/01/2024
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	कोठी	गुलुवा	10.2696 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सोहावल उप शाखा नहर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0 245/भू-अर्जन/24 दि0 19/01/2024
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	कोठी	बरहना	2.5564 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-23-24-प.क्र.-247

सतना, दिनांक 23 जनवरी 2024

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उंचेहरा	गोबरांव कला	0.0671 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-7 सतना जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की महदेई वितरिका के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0 248/भू-अर्जन/24 दि0 23/01/2024

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उंचेहरा	नंदहा	0.0913 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-7 सतना जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की चकहटा माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0 249.../भू-अर्जन/24 दि0 23/01/2024।
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उंचेहरा	खूझा	0.5313 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 सतना जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की लगरगवां वितरिका के नौगवां माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0 250.../भू-अर्जन/24 दि0 23/01/2024।
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उंचेहरा	लालपुर	1.0285 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 सतना जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की नंदहा सब माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0 251/भू-अर्जन/24 दि0 23/01/2024
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उंचेहरा	गोबरांव खुर्द	2.6433 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 सतना जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की लगरगवां वितरिका के नौगवां माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0 252/भू-अर्जन/24 दि0 23/01/2024
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उंचेहरा	कंदहली	0.0077 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 सतना जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की बिजहरा माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0 253/भू-अर्जन/24 दि0 23/01/2024
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उंचेहरा	मानिकपुर	0.2420 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 सतना जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर अंतर्गत अमदराज माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0 254/भू-अर्जन/24 दि0 23/01/2024
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उंचेहरा	हरदुआ कोठार	1.5554 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 सतना जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की महदेई वितरिका के गोबरांव कला माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन,
राजस्व विभाग

क्र.-14665-भू-अर्जन-2023

धार, दिनांक 27 दिसम्बर 2023

:: उद्घोषणा ::

चूंकि शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित निजी भूमि की अनुसूची पद-(2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी का उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

:: अनुसूची ::

1. भूमि का वर्णन-

(क)	ग्राम का नाम	:-	कदवाल
(ख)	तहसील	:-	गंधवानी
(ग)	जिला	:-	धार
(क)	क्षेत्रफल	:-	0.244 हे.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल हेक्टर में
52	0.104
53	0.070
54	0.070
योग	0.244 हेक्टर

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु।"

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनावर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मनावर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

प्र.क्र.-234-भू-अर्जन-2023

धार, दिनांक 8 जनवरी 2024

(भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013) की धारा अंतर्गत धारा-11 के अंतर्गत)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कं. 01 में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अंतर्गत ग्राम रेहड़दा तहसील गंधवानी जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे कमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013) की धारा -11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम - रेहड़दा

तहसील गंधवानी, जिला - धार

कं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने से	9.977	0.000	9.977
	योग	9.977	0.000	9.977

अनुसूची (2)

बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम रेहड़दा तहसील गंधवानी की प्रभावित भूमि का विवरण

कमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा कमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	रड्डु, नंजराम, टेट्टु, थवलीबाई, सावलीबाई पिता मोतेसिंह निवासी ग्राम रेहड़दा	22/1/1	0.467	0.000	0.467	0.467	0.000	0.467
2	कुवरसिंह पिता लालसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	64	1.055	0.000	1.055	0.200	0.000	0.200
3	राजु, मडिया पिता रूगनाथ जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	82/2/2	0.494	0.000	0.494	0.247	0.000	0.247
4	गुमान पिता सोमा जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	85/3/3	0.237	0.000	0.237	0.150	0.000	0.150
5	शंकर पिता देवसिंह जाति भिलाल निवासी ग्राम रेहड़दा	88/2	2.215	0.000	2.215	0.300	0.000	0.300

6	मुकेश पिता केरू भारता पिता हारू, राकेश, कुसुम, मुन्नी पिता केरू, सजाबाई बेवा केरू, पारली पिता हारू, कनुबाई बेवा हारू, जाति भिलाल निवासी ग्राम रेहड़दा	88/9/1	1.300	0.000	1.300	0.300	0.000	0.300
7	ठाकुर पिता कालुसिंह, पारुबाई बेवा कालुसिंह जाति भिलाल निवासी ग्राम रेहड़दा	88/11	0.380	0.000	0.380	0.190	0.000	0.190
8	मानसिंह, मड़िया पिता नाथु निवासी ग्राम रेहड़दा	88/12 88/13	0.310 0.635	0.000 0.000	0.310 0.635	0.310 0.635	0.000 0.000	0.310 0.635
9	शुवान पिता हमिर जाति भील निवासी ग्राम रेहड़दा	88/16	1.432	0.000	1.432	0.209	0.000	0.209
10	ठाकरिया पिता जस्सू जाति भील निवासी ग्राम रेहड़दा	93/1	0.247	0.000	0.247	0.247	0.000	0.247
11	रकसिंह, जहरसिंह, बेरसिंह, कालु मन्साराम पिता जैराम जाति भिल निवासी ग्राम रेहड़दा	108/2 108/5	0.196 0.346	0.000 0.000	0.196 0.346	0.196 0.346	0.000 0.000	0.196 0.346
12	सखाराम पिता मलसिंह जाति भील निवासी ग्राम रेहड़दा	108/4	0.446	0.000	0.446	0.446	0.000	0.446
13	नुरसिंह, भारतसिंह, मनिया, कालु, धनी पिता विलाम जाति भील निवासी ग्राम रेहड़दा	108/6	0.346	0.000	0.346	0.346	0.000	0.346
14	कैलाश, भूरसिंह पिता लालसिंह भूरीबाई बेवा लालसिंह, कालीबाई पिता गणस्या जाति भील निवासी ग्राम रेहड़दा	108/7	0.446	0.000	0.446	0.446	0.000	0.446
15	इन्दरसिंह पिता फाटिया जाति भील निवासी ग्राम रेहड़दा	110/1	0.444	0.000	0.444	0.444	0.000	0.444
16	भूरसिंह पिता फाटिया जाति भील निवासी ग्राम रेहड़दा	110/2	0.444	0.000	0.444	0.444	0.000	0.444
17	कैलसिंह पिता रेवसिंह जाति भील निवासी ग्राम रेहड़दा	111/3/1	0.209	0.000	0.209	0.209	0.000	0.209
18	रमेश, समीर, पिता थानसिंह, केसरीबाई बेवा थानसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	181/1 181/3	0.457 0.393	0.000 0.000	0.457 0.393	0.100 0.100	0.000 0.000	0.100 0.100
19	मगन पिता छतरसिंह निवासी ग्राम रेहड़दा	181/2	0.545	0.000	0.545	0.200	0.000	0.200
20	भुरू, दिपक, शिवा, सेनाबाई, रमतीबाई, गमतीबाई पिता झेतु शाहबाई बेवा झेतु जाति भील निवासी ग्राम रेहड़दा	191/1/1 195/2	0.300 0.225	0.000 0.000	0.300 0.225	0.300 0.225	0.000 0.000	0.300 0.225
21	मगत्या पिता अमरीया निवासी ग्राम रेहड़दा	195/1 191/2/1	0.224 0.300	0.000 0.000	0.224 0.300	0.224 0.300	0.000 0.000	0.224 0.300
22	श्रीराम पिता मेहताब जाति भिलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	235/2/3	0.232	0.000	0.232	0.100	0.000	0.100
23	पदमसिंह पिता शेरसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	240/1	0.418	0.000	0.418	0.418	0.000	0.418
24	कैलास पिता नवलसिंह निवासी ग्राम रेहड़दा	249/1/1	0.500	0.000	0.500	0.500	0.000	0.500
25	रायकुबाई, फुवरबाई, मेहरबाई, रेशमबाई, विरजबाई पिता दौलतसिंह कैलाबाई बेवा दौलतसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	249/2	0.348	0.000	0.348	0.348	0.000	0.348
26	रड्डु पिता झेतरिया जाति भील निवासी ग्राम रेहड़दा	287/1	1.03	0.000	1.03	1.030	0.000	1.030
		योग	16.621	0.000	16.621	9.977	0.000	9.977

क्र.-236-भू-अर्जन-2024

चूंकि शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित निजी भूमि की अनुसूची पद-(2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी का उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

:: अनुसूची 1 ::

1. भूमि का वर्णन-

(क)	ग्राम का नाम	:-	खोजाकुंआ
(ख)	तहसील	:-	गंधवानी
(ग)	जिला	:-	धार
(क)	क्षेत्रफल	:-	0.867 हे.

:: अनुसूची 2 ::

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल हेक्टर में
10/1/2	0.323
52/1/1	0.025
52/1/2	0.024
52/1/3	0.024
57/1	0.075
71/1/3/2	0.080
74	0.105
245/1	0.040
75 /1	0.010
75 /2	0.010
75 /3	0.010
75 /4	0.010
75 /5	0.010
78	0.021
230/2	0.100
योग	0.867 हेक्टर

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु।”

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनावर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मनावर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

क्र.-238-भू-अर्जन-2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के क्र. 01 में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अंतर्गत ग्राम कदवाल तहसील गंधवानी जिला धार के वन क्षेत्र (बीट) रेहड़दा, वन परिक्षेत्र बाग के अंतर्गत कम्पाटमेंट नं. 550 के डूब प्रभावित वनाधिकार की प्रभावित वनपट्ट की भूमि जिसका पट्टेवार एवं प्लाट कोडवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त वनपट्टा की भूमि का उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

:: अनुसूची 1 ::

1. भूमि का वर्णन-

(क)	ग्राम का नाम	:-	कदवाल
(ख)	तहसील	:-	गंधवानी
(ग)	जिला	:-	धार
(क)	क्षेत्रफल	:-	0.490 है.

:: अनुसूची 2 ::

कक्ष क्रमांक	डूब प्रभावित रकबा
550	0.020
550	0.110
550	0.110
550	0.250
योग	0.490

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु।”

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनावर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मनावर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

क्र.-232-भू-अर्जन-2024

चूंकि शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित निजी भूमि की अनुसूची पद-(2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त वनपट्टा की भूमि का उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

:: अनुसूची ::

1. भूमि का वर्णन--
 (क) ग्राम का नाम :- रेहडदा
 (ख) तहसील :- गंधवानी
 (ग) जिला :- धार
 (घ) क्षेत्रफल :- 6.061 हे.

क्रमांक	कोड, प्लॉट कोड एवं प्लॉट क्र.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	क्रमांक	कोड, प्लॉट कोड एवं प्लॉट क्र.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	क्रमांक	कोड, प्लॉट कोड एवं प्लॉट क्र.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
1	172220999003 172220999001	0.04 0.505	14	172225916001	0.100	27	172203461001	0.500
2	172221024001	0.30	15	172225901001	0.050	28	172221005001	0.060
3	172203455001 172203455002	0.005 0.002	16	1722213233002	0.120	29	172221004001	0.060
4	172216093003 172216093002	0.006 0.005	17	172225821001	0.010	30	172221018001	0.120
5	172221014004 172221014002	0.008 0.200	18	172225844001	0.010	31	172221025002	0.005
6	172209205001	0.164	19	172225846002 172225846001	0.020 0.200	32	172221013001	0.05
7	NI47525800007	0.136	20	172225916001	0.100	33	172202712001 172202712002	0.100 0.164
8	172221016002 172221016001	0.130 0.030	21	172225916001	0.100	34	172216022001 172216022002	0.241 0.100
9	172208655003	0.010	22	172225901001	0.050	35	172216021001 172216021002	0.08 0.10
10	172225859001	0.010	23	1722213233002	0.120	36	172221012001	0.075
11	172208650002 172208650001	0.100 0.100	24	172221006001	0.060	37	172216023001	1.000
12	172221023002	0.04	25	172221007001	0.050	योग		6.061
13	172225823001	0.400	26	172225855002	0.090			

- 2 सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु।
 3 भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनावर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मनावर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

प्र.क्र.-240-भू-अर्जन-2024

(भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013) की धारा अंतर्गत धारा-11 के अंतर्गत)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कं. 01 में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अंतर्गत ग्राम मुजाल्दा तहसील गंधवानी जिला धार के वन क्षेत्र (बीट) रेहड़दा, वन परिक्षेत्र बाग के अंतर्गत कम्पार्टमेंट नं. 549,550 के डूब प्रभावित वनाधिकार की प्रभावित वनपट्टा की भूमि जिसका पट्टेवार एवं प्लॉट कोडवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013) की धारा -11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम - मुजाल्दा

तहसील गंधवानी, जिला - धार

कं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली वनाधिकार पट्टा भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने से	1.618	0.000	1.618
	योग	1.618	0.000	1.618

अनुसूची (2)

बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अंतर्गत ग्राम मुजाल्दा तहसील गंधवानी की प्रभावित वन क्षेत्र (बीट) रेहड़दा, वन परिक्षेत्र बाग के अंतर्गत कम्पार्टमेंट नं. 549,550 के अंतर्गत वनाधिकार पट्टा भूमि का विवरण

क्रमांक	पट्टा धारक का नाम व पिता/पति का नाम	कोड, प्लॉट कोड एवं प्लॉट क्र.	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	रूपसिंह पिता गजिया (गजू)	172225944002	0.181	0.000	0.181	0.181	0.000	0.181
2	फतू पिता थावरिया	172212221001	0.504	0.000	0.504	0.100	0.000	0.100
3	बोंदर पिता सुमला	172225947001	1.295	0.000	1.295	0.050	0.000	0.050
4	मडिया पिता जयराम	172216886001	1.024	0.000	1.024	0.040	0.000	0.040
5	नारायण पिता वेरसिंह	172216895005	0.332	0.000	0.332	0.050	0.000	0.050
6	भुवानसिंह पिता धूमा	172216897002	0.509	0.000	0.509	0.080	0.000	0.080
7	जुवानसिंह पिता धूमा	172209186001	0.806	0.000	0.806	0.109	0.000	0.109
8	इगराम पिता विलाम	172216894003 172216894001	0.414 0.600	0.000	0.414 0.600	0.110 0.109	0.000	0.110 0.109
9	रामसिंह पिता धूमा	172216893003	0.195	0.000	0.195	0.020	0.000	0.020
10	मालू पिता सेकड़िया उर्फ मलु सोलंकी / कालीबाई	दस्ता क्र. NI47525700009	0.324	0.000	0.324	0.100	0.000	0.100
11	जयराम पिता झागू	172216891003	0.795	0.000	0.795	0.180	0.000	0.180
12	खूमसिंह पिता बिरान	दस्ता क्र. NI47525700002	0.777	0.000	0.777	0.015	0.000	0.015
13	रूपसिंह चैनासिंह पिता रजिया	172212224001	1.312	0.000	1.312	0.050	0.000	0.050
14	निर्मला पति कालु	172225971001	3.323	0.000	3.323	0.150	0.000	0.150
15	मलसिंह पिता जिलु	172225980001	0.318	0.000	0.318	0.060	0.000	0.060
16	मडिया पिता वेरसिंह	172216896003	0.154	0.000	0.154	0.060	0.000	0.060
17	थानसिंह पिता नवलसिंह	172209199001	1.754	0.000	1.754	0.154	0.000	0.154
	योग		14.203	0.000	14.203	1.618	0.000	1.618

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र.क्र.-05-अ-82-2021-22-कोहल्या-237

बैतूल, दिनांक 5 जनवरी 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1**(प्रभावित कृषकों की सूची)**

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	कोहल्या	0.104	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) मध्य रेल्वे बैतूल @ नागपुर	इटार्सी-नागपुर तीसरी रेल लाईन निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची - 2**(प्रभावित धारकों की सूची)**

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा हे.में	अर्जन का रकबा हे. में
1	2	3	4	5
1	सया पत्नी रामराव, मल्लू पुत्री धुडल्या, कला बे. गन्नू, शंकर, ज्ञानराव, सया, बापया, कमला पिता गन्नू	216	0.959	0.077
2	सया पति रामराव	217/3	0.120	0.020
3	यमुनाबाई बे. चिन्ध्या, उर्मिला बे. साहेबराव, हेमंत, ज्योति, पुष्पा पिता साहेबराव, जयप्रकाश, राजेन्द्र, मुकेश, परसराम पिता चिन्ध्या, सया, गया, संतोषराव पिता गोमा	218	0.336	0.002
4	धन्नू पुत्र धुड.या, शंकर, ज्ञानराव, बाया, सया, कमला पिता गन्नू, कला बे. गन्नू, प्रेमलाल, वामन पिता उकंड्या, परिसीमा पिता उकंड्या, गुंताबाई बे. उकंड्या	235	0.514	0.005
	योग :-	4	1.929	0.104

(2) चूंकि इटार्सी नागपुर तीसरी रेल लाईन निर्माण से प्रभावित होने वाली उपरोक्तानुसार भूमि के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र.-06-अ-82-22-23-भू-अर्जन-मालेगाँव-235

बैतूल, दिनांक 5 जनवरी 2024

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1
(प्रभावित कृषकों की सूची)

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	मुलताई	मालेगाँव	0.066	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण), मध्य रेल्वे बैतूल (म.प्र.)	इटार्सी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना हेतु निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.में.)	अर्जित रकबा (हे.में.)
1	2	3	4	5
1	बंधीलाल, लंगडू, रमेश, प्रेमलाल, सुरेश, सुधाकर, सुमन, भागरती पिता खुशर, मुरकट्या, श्यामराव पिता भभूत्या	202	0.045	0.001
2	अंत्या, पन्नू, रतन पिता झिंगू, मंगू व. सालक्या, बोर्न्या व. मंगू	203	0.056	0.002

3	सावित्री बे. सूरत, ओमप्रकाश, दशरथ, श्रीराम, सीता मीना पिता सूरत जाति मेहरा नि. मालेगाँव	204/2	0.009	0.002
4	किशोरी पि. चिरौंजी, धुड़ी बे. डेपल्या, शिवपाल, सदाशिव, सहदेव, मीता, सूकी पिता डेपल्या जाति मेहरा	206/1	0.060	0.005
5	शिवपाल, सदाशिव, सहदेव, बातो, सूकी पिता डेपल्या जाति मेहरा	207/1	0.062	0.007
6	राम, ठुन्नू, जगनू पिता गिरधारी जाति मेहरा	208/1	0.032	0.005
7	रग्घू, भग्गू, जगन्नाथ, कलाबाई, संतरीबाई, सुमनबाई पिता जीवन, ढल्लो पि. नागो	209/1	0.081	0.007
8	सब्बू व. साजू, सुगंती पिता साजू, सवाई व. रंजन, रतन पिता राधेलाल व बातू, भागवंती, राधा पिता बातू	210/1	0.077	0.008
9	चैतू पिता भदया, गुडू, सोधू व. कुंजी जैवंती बेवा कुंजी, रूखमा बे. रामपत, फकीर व. रामपत, सुकामलेख व. सलकिया, गोवर्धन व. सलकिया	211/1	0.077	0.013
10	संगनी बे. फूसिया, बबलू, राजू व. सीताराम, सावित्री बे. सीताराम, लक्ष्मी बेवा शंकर, रवि, संजय, अनिल, चंचलेश पिता शंकर, बरखा पिता शंकर, गौरी बेवा रामराव, योगेश, दुर्गेश व.रामराव, छाया, मंगला पिता रामराव	212/1	0.053	0.009
11	रजनी बेवा सुनील, तनीशा पुत्री सुनील जाति पवार	228/1	0.700	0.007
	योग :-	11	1252	0.066

1 - चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि इटार्सी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना के अंतर्गत अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र.-10-अ-82-22-23-भू-अर्जन-बोरगाँव उर्फ शेरगढ़-348

बैतूल, दिनांक 9 जनवरी 2024

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

(प्रभावित कृषकों की सूची)

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	प्रभातपट्टन	बोरगाँव उर्फ शेरगढ़	1.365	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई जिला बैतूल (म.प्र.)	वर्धा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना के सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली हेतु निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित रकबा (हे.मे.)
1	2	3	4	5
1	मायदू, अमृत, श्रीधर पुत्र धरम्या पवार सा. देह	471/1	2.699	1.050
2	भीमराव पुत्र किसन तेली सा. देह	113/1	3.295	0.113
3	अजाबराव, राजा पुत्र बिन्दू, शान्ता पुत्री बिन्दू, कोल्ही बेवा बिन्दू सा. देह	113/2	2.428	0.202
	योग	3	8.422	1.365

1 - चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि वर्धा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र.-01-अ-82-23-24-भू-अर्जन-रावा-774

बैतूल, दिनांक 17 जनवरी 2024

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1
(प्रभावित कृषकों की सूची)

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	मुलताई	रावा	0.635	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई जिला- बैतूल (म.प्र.)	पारसडोह मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना के डाउन स्ट्रीम में ताप्ती नदी पर निर्मित पुल से ग्राम गौला की ओर ग्राम रावा के गोहे तक एप्रोच रोड का निर्माण

अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	गुलाबराव, बकाराम व. दादू, कला, कमरजा पिता दादू, चिन्धी बेवा दादू सा. गौला	643/2	0.890	0.071
		643/6	0.470	0.090
		636/3	0.405	0.104
2	गुलाबराव, देवराव व. लाहनू सा. गौला	643/3	1.291	0.071
3	सुनीता पत्नी संतोष सा. देह	635/2	0.809	0.051

4	गोपिका बेवा भीलू, श्यामराव, रामू, राजू, अजाबराव व. भीलू सा. देह	635/3	1.214	0.090
5	पारबती, नासिका, जमना, शोभा पिता मिडू, कमला, अम्बू पिता जागो, चन्द्रभागा बेवा मिडू सा. देह	593	0.101	0.010
		594	0.045	0.025
6	रामू व. भीलू कुन्बी सा. देह	635/4	0.809	0.123
	योग :-	9	6.034	0.635

1 - चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि पारसडोह मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना के डाउन स्ट्रीम में ताप्ती नदी पर निर्मित पुल से ग्राम गौला की ओर ग्राम रावा के गोहे तक एप्रोच रोड के निर्माण के लिए अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी व सक्षम प्राधिकारी
भीकनगांव, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश

क्र.-181-भू-अर्जन-री-1-2024-रा.प्र.क्र.-0265-ब-121

भीकनगांव, दिनांक 13 जनवरी 2024

प्ररूप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि अम्बा-रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटी मेन / डी.आई. पाईप नहर बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- रुखड़िया, प.ह.नं.- 06/72, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगौन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-21, सनावद, जिला- खरगौन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उसरा तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगौन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगौन	भीकनगांव	ग्राम- रुखड़िया, प.ह.नं.- 06/72,	49	0.019
			50/1	0.019
			50/3	0.026
			54/2	0.018
			54/3/4	0.011
खरगौन	भीकनगांव	ग्राम- रुखड़िया, प.ह.नं.- 06/72,	66/3/4	0.010
			54/3/1	0.011
			66/3/1	0.002
			66/3/2	0.006
			66/3/3	0.007
			86/1	0.038
			65	0.023
			64/2	0.038
			76/1	0.059
			76/3	0.035
कुल योग			15	0.322

क्र.-184-भू-अर्जन-री-1-2024-रा.प्र.क्र.-0266-ब-121-2023-24

प्ररूप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि अम्बा-रोड़िया उदबहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटी मेन /डी.आई. पाईप नहर बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- रोड़िया, प.ह.नं.- 08/74, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- रोड़िया, प.ह.नं.- 08/74,	16/5	0.025
			17/1	0.023
			31/1	0.024
			15/1	0.030
			15/2	0.030
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- रोड़िया, प.ह.नं.- 08/74,	15/3	0.034
			202/7	0.030
			202/12/2	0.013
			32/1/2	0.016
कुल योग			09	0.225

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी.एस. कलेश, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 25 जनवरी 2024

प्रारूप धारा 11

(भू अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013)

प्रकरण क्रमांक 7/अ 82/23-24, चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है—

—अनुसूची—

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 हेतु प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
सीहोर	इछावर	बागनखेड़ा	16.345 हेक्टेयर	कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग सीहोर	एकपनिया लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु भू अर्जन

- भूमि के नक्शे(प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी/भूअर्जन अधिकारी इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है।
- उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 60दिवस के भीतर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी इछावर में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रवीण सिंह अढाचय, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन
राजस्व विभाग**

क्र.-175-भू-अर्जन-2023

सतना, दिनांक 18 जनवरी 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम - सड़वा

(घ) क्षेत्रफल- 1.139 हे०

क्रमांक	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे.मे)
1	27/1/1/1/1	0.012
2	28/1/1/1/1/1	0.080
3	111/1	0.007
4	47/1/1/1	0.006
5	48/1/1/1/1	0.631
6	38/1/1/1	0.071
7	36/2/3/1	0.006
8	36/2/4/1	0.002
9	128/3/1/1	0.007
10	128/1/1/1/1/1/3/4/1	0.001
11	128/3/2	0.015
12	128/1/1/1/1/2/2/1	0.063
13	129/2/1	0.005
14	112/1/3	0.003
15	112/1/4	0.003
16	112/1/5	0.003
17	112/1/6	0.003
18	112/1/7	0.003
19	112/1/8	0.003
20	112/1/9	0.003
21	112/1/10	0.003
22	112/1/11	0.003
23	112/1/12	0.003
24	112/1/13	0.003
25	112/1/14	0.003
26	112/1/15	0.003
27	112/1/1	0.005
28	128/1/1/1/1/1/3/3/1	0.002
29	128/1/1/1/1/1/3/2/1	0.003
30	30/1/1	0.002
31	31/1/1	0.030
32	30/1/3/1	0.002
33	31/1/3/1	0.025
34	32/1	0.005
35	34/1/1	0.014
36	33/1/1	0.050
37	33/1/1/6/1	0.030
38	35/2/5/1	0.014
39	35/2/18	0.012
	कुल योग रकवा-	1.139 हे.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-उप मुख्य अभियंता (निर्माण-II) पश्चिम मध्य रेलवे सतना म.प्र. द्वारा ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली-महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-218-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम - अतरौरा खुर्द

(घ) क्षेत्रफल- 0.209 हे०

क्रमांक	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे.मे)
1	155/1/1	0.209
कुल योग रकवा-		0.209 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-उप मुख्य अभियंता (निर्माण-II) पश्चिम मध्य रेलवे सतना म.प्र. द्वारा ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली-महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-219-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) नगर /ग्राम - मौहरिया

(घ) क्षेत्रफल- 2.959 हे०

क्रमांक	खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हे. मे)
1	110	0.130
2	113/1	0.341
3	113/2	0.012
4	113/3/1	0.011
5	113/3/2	0.011
6	113/3/3	0.011
7	113/4	0.180
8	116/1/3	0.035
9	116/2	0.162
10	117	0.422
11	118/1	0.137
12	119	0.108
13	99	0.236
14	98	0.240
15	97	0.282
16	96/1	0.215
17	96/2	0.238
18	95	0.015
19	83	0.106
20	85	0.067
कुल योग रकवा :-		2.959 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन,(अ.मु.) मैहर जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-220-भू-अर्जन-2024

सतना, दिनांक 19 जनवरी 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) नगर /ग्राम - पाल

(घ) क्षेत्रफल- 8.750 हे०

क्रमांक	खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हे. में)
1	144/1/2	0.067
2	144/2	0.004
3	144/3	0.081
4	143/1	0.084
5	143/2	0.079
6	143/3	0.071
7	142/1	0.028
8	142/3	0.050
9	141	0.620
10	140/1	0.020
11	214	0.310
12	215/1	0.026
13	215/2	0.063
14	215/3	0.097
15	215/4	0.100
16	217	0.141
17	218	0.120
18	229	0.260
19	115	0.098
20	114/1	0.145
21	114/2	0.469
22	234/1	0.022
23	113	0.121
24	109/1	0.310
25	109/2	0.040
26	104	0.162
27	105/627/1	0.058
28	105/627/2	0.105
29	105	0.006

30	103	0.306
31	87/1	0.013
32	88/1	0.019
33	89/1	0.104
34	89/2	0.097
35	90/1	0.040
36	90/2	0.011
37	91	0.106
38	102	0.554
39	75/1	0.048
40	75/2	0.030
41	75/3	0.021
42	75/4	0.038
43	75/5	0.015
44	75/6	0.004
45	75/7	0.016
46	75/8	0.014
47	75/9	0.044
48	75/10	0.013
49	75/12	0.024
50	75/13	0.044
51	74/2	0.004
52	74/3	0.012
53	74/4	0.010
54	74/5	0.006
55	74/6	0.013
56	74/7	0.013
57	74/8	0.010
58	73	0.192
59	72/1	0.003
60	71/1/1	0.053
61	71/1/2	0.154
62	285/1	0.014
63	286/1	0.161
64	288	0.182
65	53/1/1	0.419
66	53/1/2	0.036
67	53/1/3	0.036
68	53/1/4	0.056
69	53/1/5	0.090
70	289	0.344
71	50/2	0.102
72	50/3	0.020
73	292/1	0.200
74	292/2	0.059
75	291/1	0.013
76	293/1	0.180
77	293/2	0.149
78	295	0.062
79	296/1	0.046
80	296/2	0.047
81	38	0.009
82	297/1	0.011
83	297/2	0.018
84	304/1	0.244
85	304/2	0.206
86	305	0.179
87	301	0.079
	कुल योग :-	8.750 हे.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन,(अ.मु.) मैहर जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा रीवा शाखा नहर के अर्न्तगत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-221-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) नगर /ग्राम - बैरागल

(घ) क्षेत्रफल- 4.966 हे०

क्रमांक	खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हे. में)
1	9	0.323
2	83/1	0.031
3	10	0.243
4	11	0.030
5	82	0.446
6	77	0.057
7	78/1/1	0.106
8	78/1/2	0.120
9	78/2	0.023
10	78/3	0.051
11	76/1	0.061
12	76/2	0.238
13	76/3	0.038
14	75	0.027
15	73/2	0.179
16	74	0.314
17	70	0.366
18	69/1/1/4	0.003
19	37	0.107
20	65/2	0.072
21	38	0.288
22	39	0.228
23	40/1	0.006
24	58/1	0.106
25	58/2	0.106
26	55/1/1	0.034
27	55/1/2	0.031
28	55/1/3	0.003

29	56/1	0.031
30	56/2	0.030
31	57	0.048
32	42/1	0.122
33	42/2	0.008
34	43	0.180
35	44/1	0.086
36	44/2	0.086
37	44/3	0.086
38	44/4	0.086
39	49/1	0.004
40	49/2/1	0.004
41	49/2/2	0.004
42	49/3	0.001
43	49/4	0.005
44	45/1	0.078
45	45/2	0.074
46	45/3	0.080
47	45/4	0.077
48	47/1	0.101
49	47/2	0.100
50	48/1	0.019
51	48/2	0.019
कुल योग :-		4.966 हे.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, (अ.मु.) मैहर जिला—सतना (म.प्र.) द्वारा रीवा शाखा नहर के अर्न्तगत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-222-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) नगर /ग्राम - ओढ़की

(घ) क्षेत्रफल- 1.997 हे०

क्रमांक	खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हे. में)
1	66/1/1	0.099
2	67/2	0.662
3	68/2	0.041
4	74/2	0.194
5	74/3/1	0.095
6	74/3/2	0.057
7	69/2	0.010
8	71/1	0.078
9	71/2	0.107
10	71/3	0.106
11	99/2	0.013
12	103	0.073
13	102	0.462
	कुल योग :-	1.997 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, (अ.मु.) मैहर जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-223-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) नगर / ग्राम - कुल्लुहा
(घ) क्षेत्रफल- 5.500 हे०

क्रमांक	खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हे. में)
1	23/1/1	0.169
2	22/1	0.004
3	22/2	0.108
4	20/1	0.153
5	20/2	0.173
6	19/1	0.010
7	19/2	0.131
8	18	0.095
9	17	1.030
10	13/3/1	0.066
11	15	0.281
12	38/1/1	0.121
13	38/1/2	0.113
14	38/2/2	0.044
15	38/2/3	0.088
16	37/1/1	0.079
17	37/1/2	0.079
18	37/1/3	0.079
19	37/4/1	0.044
20	36/1/1	0.147
21	36/1/2	0.147
22	56/2	0.144
23	56/3	0.050
24	54/1	0.045
25	54/2	0.163
26	53/1/1	0.367
27	53/1/2	0.046
28	53/2	0.026
29	53/4	0.166
30	53/5	0.094
31	52	0.068
32	51/1	0.032
33	51/2	0.028
34	50/2	0.138
35	50/3	0.135
36	50/4/1	0.155
37	50/4/2	0.153
38	72/1	0.145
39	72/2	0.200
40	72/3	0.163
41	72/4/1	0.021
	कुल योग :-	5.500 हे.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन,(अ.मु.) मैहर जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा रीवा शाखा नहर के अर्न्तगत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-224-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)
 (क) जिला -सतना
 (ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
 (ग) नगर /ग्राम - मौहारी कटरा
 (घ) क्षेत्रफल- 12.359 हे०

क्रमांक	खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हे. में)
1	551/1	0.066
2	551/2	0.048
3	552	0.158
4	554	0.017
5	555	0.028
6	556/1	0.085
7	556/2	0.070
8	556/3	0.194
9	556/4	0.087
10	556/5	0.057
11	557	0.044
12	545	0.567
13	544	0.028
14	543	0.065
15	542	0.065
16	541	0.309
17	540/1/1	0.018
18	540/1/2	0.018
19	540/1/3	0.015
20	540/2	0.022
21	569/1/1	0.001
22	539/1/1/1	0.008
23	539/1/1/2	0.077
24	539/1/2/2	0.042
25	570/1/1	0.251
26	570/1/2	0.136
27	537/1/1/1/1	0.010
28	536	0.453
29	578	0.039

30	579	0.007
31	532/2	0.085
32	530	0.585
33	587/1	0.008
34	587/2	0.005
35	606	0.335
36	607	0.588
37	609	0.304
38	611	0.335
39	613/1	0.140
40	613/2	0.249
41	614/2	0.009
42	615/2	0.030
43	615/4	0.018
44	644/1	0.229
45	644/2/1	0.004
46	644/2/2	0.016
47	643/1	0.002
48	643/2	0.043
49	645/1	0.084
50	645/2/1	0.062
51	645/2/2	0.066
52	646	0.099
53	650	0.085
54	647	0.028
55	649	0.127
56	510	0.200
57	651	0.019
58	652	0.002
59	654	0.173
60	653/1/1	0.024
61	653/2	0.198
62	655	0.086
63	663	0.018
64	662	0.106
65	664	0.019
66	660	0.299
67	673/1/1	0.129
68	673/1/2	0.129
69	673/2/1	0.129
70	673/2/2	0.129
71	672	0.188
72	671	0.122
73	675/1486	0.094
74	1136	0.020
75	1133/1	0.194
76	1133/1/1	0.264
77	1130/1	0.097
78	1131	0.121
79	1132/1	0.028

80	1126/1	0.086
81	1126/2	0.043
82	1126/3	0.192
83	1121	0.140
84	1127	0.097
85	1120	0.010
86	1122	0.038
87	1099/1	0.109
88	1099/2	0.151
89	1100	0.053
90	1098	0.192
91	1095	0.241
92	1096/3	0.063
93	1092/1	0.043
94	1062/1/1	0.109
95	1062/1/3	0.417
96	1062/3	0.010
97	1061/1	0.040
98	1061/3	0.016
99	1059	0.321
100	1058/1	0.032
101	1043	0.113
102	1044	0.162
103	1042	0.099
104	1041	0.042
105	1325/1/1	0.007
106	1325/1/2	0.104
107	553	0.092
108	1137	0.028
	कुल योग :-	12.359 हे.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन,(अ.मु.) मैहर जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा रीवा शाखा नहर के अर्न्तगत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

80	1126/1	0.086
81	1126/2	0.043
82	1126/3	0.192
83	1121	0.140
84	1127	0.097
85	1120	0.010
86	1122	0.038
87	1099/1	0.109
88	1099/2	0.151
89	1100	0.053
90	1098	0.192
91	1095	0.241
92	1096/3	0.063
93	1092/1	0.043
94	1062/1/1	0.109
95	1062/1/3	0.417
96	1062/3	0.010
97	1061/1	0.040
98	1061/3	0.016
99	1059	0.321
100	1058/1	0.032
101	1043	0.113
102	1044	0.162
103	1042	0.099
104	1041	0.042
105	1325/1/1	0.007
106	1325/1/2	0.104
107	553	0.092
108	1137	0.028
	कुल योग :-	12.359 हे.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, (अ.मु.) मैहर जिला—सतना (म.प्र.) द्वारा रीवा शाखा नहर के अर्न्तगत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-225-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) नगर /ग्राम - अहिरगांव

(घ) क्षेत्रफल- 6.342 हे०

क्रमांक	खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हे. में)
1	233/1/1/1	0.101
2	233/1/1/2	0.028
3	233/1/2	0.032
4	233/1/3/1	0.114
5	233/1/3/2	0.048
6	233/2	0.162
7	233/1980/1/1	0.147
8	233/1980/1/2	0.065
9	233/1980/2	0.110
10	238/1/1	0.343
11	239/1	0.104
12	244/1/1	0.040
13	244/1/5/1	0.035
14	244/1/5/2	0.034
15	250/1	0.032
16	250/5/1	0.001
17	250/5/2	0.002
18	246/2	0.237
19	249/1	0.028
20	249/2	0.024
21	249/5/1	0.017
22	249/5/2	0.017
23	248/1/1	0.010
24	248/1/2	0.010
25	248/1/3	0.003

26	247	0.346
27	346/1	0.150
28	346/2	0.115
29	346/3	0.083
30	347/1	0.010
31	347/2	0.010
32	347/3	0.012
33	347/4	0.024
34	183/1	0.068
35	183/2	0.199
36	352/1	0.023
37	182/1/1	0.107
38	182/1/2	0.061
39	182/1/3/1	0.017
40	182/1/3/2	0.017
41	182/1/3/3	0.034
42	181	0.190
43	180/1	0.006
44	179/1	0.002
45	178	0.104
46	176	0.236
47	174/2	0.155
48	175	0.180
49	170/1	0.074
50	170/2	0.079
51	170/3	0.063
52	169	0.106
53	153/3	0.016
54	153/4	0.084
55	167	0.006
56	158	0.088
57	157	0.098
58	156/2	0.005
59	159/1	0.078
60	159/2	0.161
61	160/1	0.312
62	160/2/2	0.004
63	161/1	0.415
64	137/1/1	0.184
65	137/1/2	0.011
66	136	0.040
67	124/1	0.350
68	124/2	0.040
69	124/3	0.160
70	84/1/2	0.028
71	84/2	0.027
72	84/3/1	0.020
	कुल योग :-	6.342 हे.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, (अ.मु.) मैहर जिला—सतना (म.प्र.) द्वारा रीवा शाखा नहर के अर्न्तगत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-226-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) नगर /ग्राम - बछरा

(घ) क्षेत्रफल- 4.919 हे०

क्रमांक	खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हे. में)
1	226/1/1	0.112
2	226/1/2	0.088
3	229/1/2	0.030
4	229/1/3	0.023
5	229/2/4	0.032
6	226/2	0.169
7	231/2	0.157
8	231/3	0.074
9	239/2	0.023
10	224	0.038
11	233	0.042
12	222	0.024
13	232	0.121
14	221	0.033
15	234	0.049
16	237	0.687
17	236/1	0.035
18	236/2	0.015
19	212/1/1	0.117
20	212/1/2	0.118
21	212/2	0.156
22	235/1/1	0.125
23	235/1/2	0.004
24	214/1	0.004
25	214/2	0.005
26	213/2	0.057
27	211/1	0.043

28	211/2	0.043
29	211/3	0.043
30	210/2	0.023
31	207/352	0.212
32	207	0.064
33	206/1	0.035
34	206/2	0.002
35	206/3	0.023
36	206/4	0.010
37	152/1	0.053
38	152/2	0.036
39	153	0.022
40	154/2	0.044
41	151/1	0.103
42	151/2	0.247
43	150/1	0.139
44	150/2	0.249
45	246/1	0.190
46	246/2	0.199
47	249	0.423
48	250/251	0.045
49	250	0.333
	कुल योग :-	4.919 हे.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, (अ.मु.) मैहर जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा रीवा शाखा नहर के अर्न्तगत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-227-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)
 (क) जिला -सतना
 (ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
 (ग) नगर /ग्राम - उमरी उर्फ शिवराजी
 (घ) क्षेत्रफल- 2.966 हे०

क्रमांक	खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हे. में)
1	933/2	0.037
2	921	0.754
3	899	0.016
4	898	0.044
5	901/1	0.397
6	902/1	0.033
7	894	0.031
8	896/1	0.176
9	896/2	0.167
10	896/3	0.097
11	895/2	0.025
12	895/3	0.019
13	888/1/1	0.006
14	873/1	0.047
15	873/2	0.020
16	873/3	0.020
17	887/1/4	0.006
18	874/1	0.083
19	875/2/1	0.020
20	875/2/2	0.020
21	875/4	0.034
22	872/1	0.070
23	872/2	0.020
24	872/3	0.020
25	877/3	0.088
26	877/5	0.0010
27	871/1	0.022
28	871/3	0.032
29	878/2	0.070
30	878/3	0.059
31	879/1/1	0.015
32	879/1/2	0.016
33	879/2	0.031
34	879/3	0.031
35	880/1/2	0.012
36	880/2	0.046
37	868	0.006
38	867	0.150
39	866/2	0.029
40	900	0.196
	कुल योग :-	2.966 हे.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन,(अ.मु.) मैहर जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-229-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम - तिलौरा

(घ) क्षेत्रफल- 1.621 हे०

क्रमांक	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे.मे)
1	61/1/1	0.013
2	62	0.267
3	63/1	0.078
4	64	0.037
5	65/1/1/1	0.235
6	66/1/1/1	0.051
7	67/1/1/1	0.296
8	68/1/1/1	0.018
9	67/1/2/1	0.295
10	68/1/2/1	0.018
11	67/1/3/1	0.295
12	68/1/3/1	0.018
कुल योग रकवा-		1.621 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-उप मुख्य अभियंता (निर्माण-II) पश्चिम मध्य रेलवे सतना म.प्र. द्वारा ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली-महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

प.क्र.-1052-भू-अर्जन-प्रकाशन-2022-23

रीवा, दिनांक 19 दिसम्बर 2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची**भूमि का वर्णन :-**

(क) जिला :- रीवा

(ख) तहसील :-सेमरिया

(ग) ग्राम :- कोलवार

(घ) क्षेत्रफल :- 0.0680 हेक्टेयर

स0क्र0	खसरा नंबर	अर्जित रकवा हे० में	
		निजी भूमि	शासकीय भूमि
1	90	0.0680	-

2- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर,जिला रीवा भू-अर्जन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-1054-भू-अर्जन-प्रकाशन-2022-23

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आव यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आव यकता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन :-

- (क) जिला :- रीवा
 (ख) तहसील :-सेमरिया
 (ग) ग्राम :- खम्हरिया नेवाजी
 (घ) क्षेत्रफल :- 6.0100 हेक्टेयर

स0क्र0	खसरा नंबर	अर्जित रकवा हे0 में	
		निजी भूमि	शासकीय भूमि
1	21	0.3650	—
2	24	0.1760	—
3	25	0.1960	—
4	34	0.1780	—
5	36	0.2440	—
6	37	0.0260	—
7	39	0.0510	—
8	41	0.0320	—
9	43	0.0450	—
10	44	0.1700	—
11	46	0.1420	—
12	47	0.1200	—
13	69	0.1090	..
14	70	0.0770	
15	106	0.0020	..
16	107	0.2340	
17	108	0.0450	
18	109	0.0140	

19	472 / 109	-	0.0110
20	114 / 1 / 1	0.0430	
21	114 / 3	0.0900	
22	114 / 4	0.0450	
23	114 / 5 / 1	0.0450	
24	114 / 5 / 2	0.0450	
25	114 / 6	0.0450	
26	114 / 1 / 2	0.1340	
27	114 / 1 / 3	0.0610	
28	114 / 1 / 5	0.1490	
29	114 / 1 / 6 / 1	0.0350	
30	114 / 2 / 1	0.0380	
31	114 / 2 / 2	0.0320	
32	163	0.0140	
33	164	0.0250	
34	165	0.0160	
35	166	0.0180	
36	167	0.2230	
37	168	0.0100	
38	208	0.1180	
39	209	0.0190	
40	213	0.0260	
41	214	0.0450	
42	215	0.0110	
43	221	0.0770	
44	222	0.0700	
45	223	0.0130	
46	224	0.1080	
47	225	0.0850	
48	228	0.0540	
49	231	0.1830	
50	232	0.0160	
51	250	0.0020	
52	251	0.2600	
53	252	0.0260	
54	255	0.0610	
55	256	0.0450	
56	260	0.1710	
57	261	0.2960	
58	262	0.0130	

59	263	0.0330	
60	269	0.0190	
61	271	0.2240	
62	272	0.0020	
63	274 / 3	0.0110	
64	433	0.0320	
65	434	0.2210	
66	435	0.0930	
67	449	0.0480	
68	452	0.0430	
69	453	0.0060	
70	454	0.1200	
71	458	0.0770	
72	459	0.0770	
	योग	5.9990	0.0110
	महायोग	6.0100	

- 2- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है – बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, जिला रीवा भू-अर्जन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प.क्र.-1056-भू-अर्जन-प्रकाशन-2022-23

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन :-

(क) जिला :-	रीवा
(ख) तहसील :-	सेमरिया
(ग) ग्राम :-	गेरूआर
(घ) क्षेत्रफल :-	2.8350 हेक्टेयर

स0क्र0	खसरा नंबर	अर्जित रकवा हे0 में	
		निजी भूमि	शासकीय भूमि
1	249	0.2720	-
2	251	0.2780	-
3	252	0.2690	-
4	253	0.2650	-
5	255	0.1200	-
6	256	0.1100	-
7	257	0.0710	-
8	265	0.0960	-
9	266	0.4340	-
10	269	0.5120	-
11	271	0.1340	-
12	272	0.1540	-
13	305	0.1200	..
	कुलयोग	2.8350 हे0	..
	महायोग	2.8350 हे0 ✓	..

2- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, जिला रीवा भू-अर्जन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रतिभापाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन
राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 12 जनवरी 2024

प्रकरण क्रमांक /149/बी-121/23-24 - अंतर्गत धारा 19 भू अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में प्रतिकर प्रतिफल और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013, चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में चरगवों लघु सिंचाई योजना हेतु तहसील बेगमगंज जिला रायसेन के ग्राम पंदरभटा के लिये बाँध निर्माण में डूब प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांक विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है अतः भू अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क.सन 2013) की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद 03 में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पतिया लोका प्रयोजन हेतु अपेक्षित है। :-

- (1) - भूमि का विवरण।
(क) - जिला रायसेन।
(ख) - तहसील /तालुका बेगमगंज।
(ग) - ग्राम पंदरभटा

- :: अनुसूची :: -
- :: भूमि का विवरण :: -

स. क्र.	कब्जेदार का नाम उसके पिता/पति का नाम व निवास स्थान	खसरा क्रमांक	कुल रकवा हेक्टेयर में	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	धारा 19 प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
१	२	३	४	५	६	७
१	अशोक, राजू आ. हुकमसिंह जाति लुहार निवासी पंदरभटा	415/1	1.635	1.635	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग रायसेन	चरगवों जलाशय
		416	0.045	0.045		
		417/1, 418	0.142	0.142		
	योग-		1.822	1.822		
२	चतुर शीलाबाई आ. खिलान व शियाबाई बेता खिलान जाति यादव निवासी बेगमगंज	584/404	0.466	0.230		
		587/404	0.890	0.890		
		409	0.470	0.470		
		571/410	0.210	0.210		
		405/1/4	0.073	0.073		
		406/2	0.073	0.073		
		407	0.202	0.202		
		408	1.295	1.295		
	योग-		3.679	3.443		
३	रामविशाल आ. ग्याप्रसाद जाति यादव	569/391/1	0.283	0.283		
		393/1/1	1.387	1.387		
	योग-		1.670	1.670		

४	गन्धर्वसिंह आ. कल्याणसिंह व देवीसिंह आ. गन्धर्व सिंह जाति यादव	417/3, 418	0.040	0.040		
		613/410	1.475	0.875		
		414	0.530	0.530		
	योग-		2.045	1.445		
५	ग्याप्रसाद आ. गजराज सिंह जाति यादव	390	0.057	0.057		
		396	0.069	0.069		
		397	0.243	0.243		
		398	0.352	0.352		
		399	0.194	0.194		
		401	0.295	0.090		
		583/378	0.383	0.383		
		569/391/2	0.243	0.243		
	योग-		1.957	1.752		
६	बद्रीप्रसाद आ. कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण	426	0.555	0.555		
		427	0.384	0.384		
		428/1/1	4.902	4.902		
	योग-		5.841	5.841		
७	सुदामा आ. कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी पन्डरभट्ट	487	2.825	0.650		
		489	0.148	0.060		
	योग-		2.973	0.710		
८	सत्यपाल आ. कछेदीलाल जाति जैन	432/4	0.210	0.210		
		433	0.271	0.271		
	योग-		0.481	0.481		
९	नीरज आ. लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण	424/1/1	0.433	0.433		
		434	0.760	0.250		
	योग-		1.193	0.683		
१०	विनोद आ. रामगोपाल जाति ब्राह्मण	411	0.470	0.470		
		413	0.632	0.632		
	योग-		1.102	1.102		
११	सुरेश आ. रामगोपाल जाति ब्राह्मण	572/410/2	1.000	1.000		
		412	0.174	0.174		
	योग-		1.174	1.174		
१२	शोभाराम आ. गंधर्व सिंह जाति यादव	415/3	1.292	1.292		
१३	रामवती आ. रतिराम जाति यादव निवासी पन्डरभट्ट	417/2, 418	0.142	0.142		
१४	हम्मीर सिंह, ऊधमसिंह आ. रामवरण जाति यादव	545/470	0.543	0.543		

१५	रामकुंवर आ. लक्ष्मण निवासी चरगवां	538/479	0.142	0.142		
१६	ग्याप्रसाद आ. गजराज सिंह, रामप्रसाद आ. ग्याप्रसाद जाति यादव	570/389 में से	0.991	0.140		
१७	कमलेश आ. वृन्दावन जाति यादव	405/2/2	0.250	0.250		
१८	शैतानसिंह आ. सुप्यार सिंह जाति यादव	428/2/2	1.416	1.416		
	विनय कुमार आ कछेदीलाल	432/1	2.023	2.023		
२०	शिरखरचंद आ. कछेदीलाल जाति जैन	432/2	2.023	2.023		
२१	राजकुमार आ. कछेदीलाल जाति जैन	432/3	2.428	2.428		
२२	विनयकुमार, शिरखरचंद, राजकुमार आ. कछेदीलाल जाति जैन, रायसाहब आ. गोविंद प्रसाद, जितेन्द्रसिंह आ. ग्याप्रसाद जाति यादव, संतोष आ. बंदीप्रसाद जाति यादव, चंदनसिंह, गोविन्द आ. कंदन जाति यादव,	438	2.525	1.040		
२३	प्रीती, रचना, रानी आ. लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण	490	0.295	0.060		
२४	सुरेश आ. हक्के जाति रजक	572/410/1	0.254	0.254		
२५	लक्ष्मीनारायण आ. परसराम जाति ब्राह्मण	576/410	0.340	0.050		
२६	बंदीप्रसाद आ. कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण	431	0.308	0.308		
२७	बाबूलाल आ. लालसिंह, संदीप ना.बा.आ. गोविन्दी संरक्षक बाबूलाल आ. लालसिंह जाति यादव	430/1	0.221	0.221		
२८	वृन्दावन आ. खिलानसिंह जाति यादव	405/2/1	0.263	0.263		
२९	बबलेश आ. वृन्दावन जाति यादव	406/1	0.101	0.101		
३०	वीरसिंह आ. गुलाबसिंह जाति यादव	429/1	0.052	0.052		
३१	मलखानसिंह आ. इमरतसिंह जाति यादव	429/2	1.057	1.057		
३२	सोमतासिंह आ. इमरतसिंह जाति यादव	429/3	1.056	1.056		
३३	गंगाराम आ. ग्याप्रसाद जाति यादव	393/1/2	1.659	1.659		
३४	बलयाम आ. ग्याप्रसाद जाति यादव	393/1/3	1.930	1.930		

39	राधेलाल आ. ग्याप्रसाद जाति यादव	393/1/4 ✓	2.524 ✓	2.524 ✓		
40	गिरमलाबाई पति बद्रीप्रसाद जाति ब्राह्मण	393/2/1 ✓	5.354 ✓	3.054 ✓		
39	कैलाशबाई बेवा लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण	393/2/2/1 ✓	0.809 ✓	0.809 ✓		
38	प्रीती, रचना, रानी आ लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण	393/2/2/2 ✓	0.109 ✓	0.109 ✓		
38	सपना, कमलेश, अर्पिता, प्राची, शिखा आ. कमलेश जाति पाण्डे	424/2 ✓	1.214 ✓	0.607 ✓		
40	विनय कुमार, शिखरचंद, राजकुमार आ. कछेदीलाल जाति जैन	480 ✓	1.170 ✓	0.605 ✓		
41	जयपाल आ. सुप्यारसिंह जाति यादव	428/1/2 ✓	1.416 ✓	1.416 ✓		
42	अमरसिंह आ. निजाम सिंह जाति यादव	430/2 ✓	2.178 ✓	2.178 ✓		
43	सुप्यार आ. हजारीलाल जाति यादव	428/2/1 ✓	0.607 ✓	0.607 ✓		
44	विशाल आ. भज्जी जाति यादव निवासी बेगमगंज	405/1/1 ✓	1.425 ✓	1.425 ✓		
		404/1/1 ✓	0.281 ✓	0.120 ✓		
	योग-		1.706	1.545		
45	रंधीर आ. भज्जी जाति यादव निवासी बेगमगंज	405/1/2 ✓	0.447 ✓	0.447 ✓		
		404/1/2 ✓	1.160 ✓	0.340 ✓		
	योग-		1.607	0.787		
46	अनुरुद्ध ना.बा.आ. कमल, रामश्री बेवा कमल निवासी बेगमगंज	405/3 ✓	0.318 ✓	0.318 ✓		
		405/1/3 ✓	0.280 ✓	0.280 ✓		
		404/1/3 ✓	0.839 ✓	0.160 ✓		
	योग-		1.437	0.758		
	महायोग-		65.379	53.572		

नोट - भूमि का नकशा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरविंद कुमार दुबे, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं सक्षम प्राधिकारी, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र.-10-भू-अर्जन-2024

खरगोन, दिनांक 15 जनवरी 2024

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा-43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकारण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-19 की उपधारा-(1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

:: अनुसूची::

(1) भूमि का वर्णन:-

(क) जिला	खरगोन
(ख) तहसील	भीकनगांव
(ग) ग्राम	बंझर
(घ) लगभग क्षेत्रफल	3.613 हे०

खसरा न.	रकबा (हे०में)
502 / 1	0.100
502 / 2	0.100
502 / 3	0.150
503 / 4	0.342
507	0.115
508	0.640
509	0.405
512	0.240
516 / 2, 516 / 3 / 2, 516 / 4 / 2	0.100
524 / 3	0.100
524 / 4	0.240
524 / 10 / 2, 524 / 11	0.370
534 / 10 / 1 / 1	0.561
534 / 10 / 1 / 2	0.150
कुल योग:-	3.613

2- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :- "रोशिया तालाब के शीर्ष एवं नहर निर्माण हेतु"

3- भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन एवसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 18 जनवरी 2024

प्रकरण क्रमांक 0002/अ-82 वर्ष 2023-2024 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समाप्ति में कोई अपेक्षा प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की वर्गिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :-

- (क) जिला - पन्ना
(ख) तहसील - पन्ना
(ग) ग्राम - सरकोहा, प.ह.नं. 013
(घ) क्षेत्रफल - 0.3950 हेक्टेयर,

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अक्षित रकबा हेक्टेयर में	भूमि का प्रकार
1	2	3	4
1	77/1/1/1/1/1/1/2	0.0050	खेती भूमि
2	77/1/1/1/1/1/1/1/2	0.0050	खेती भूमि
3	77/1/1/1/1/1/1/2	0.0050	खेती भूमि
4	77/1/1/1/2	0.0050	खेती भूमि
5	77/1/1/1/1/1/1/1/1/2	0.0050	खेती भूमि
6	77/1/1/1/1/2	0.0050	खेती भूमि
7	77/1/1/1/1/2	0.0050	खेती भूमि
8	77/1/1/1/1/1/1/1/2	0.0050	खेती भूमि
9	77/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2	0.0050	खेती भूमि
10	77/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2	0.0050	खेती भूमि
11	77/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2	0.0050	खेती भूमि
12	77/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2	0.0050	खेती भूमि
13	77/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2	0.0050	खेती भूमि
14	77/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2	0.0050	खेती भूमि
15	75/69/1/1	0.0050	खेती भूमि
16	65/1	0.1700	खेती भूमि
17	70	0.1000	खेती भूमि
18	77/1/2	0.0500	खेती भूमि
कुल रकबा :-		0.3950 हे०	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा- खजुराहो (541 कि०मी०) गड़ इली रेलवे लाइन निर्माण कार्य (पूरक/छूटे हुये रकबों) हेतु।
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरजिंदर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

“कचनार”, ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल

क्र. 5750-वि.यो.-02-भोपाल-नगानि-2023

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2023

भोपाल विकास योजना, 2005 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि भोपाल विकास योजना, 2005 में उपांतरण का प्रारूप म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा-18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-

1. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल, म.प्र.
2. कलेक्टर, जिला भोपाल, म.प्र.
3. आयुक्त नगर पालिक निगम, भोपाल म.प्र.
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल, म.प्र.

प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण

भोपाल विकास योजना- 2005 के अध्याय-3 की कंडिका 3.73 के पश्चात निम्नानुसार नवीन कंडिका 3.74, 3.74 (अ), 3.75 3.76 अंतःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-

3.74 परिवहन तंत्र/मोबिलिटी प्लान :-

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (M.P.M.R.C.L) द्वारा वर्ष 2023 में तैयार सिटी मोबिलिटी प्लान (सीएमपी) में दिए गए प्रस्तावों के अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों एवं कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं। नगरीय परिवहन तंत्र का उपयोग करने की सुविधा को आसान बनाने के लिए, नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किए जा सकते हैं।

- ❖ अंतिम छोर तक संपर्क के लिए मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन अधोसंरचना सहित परिवहन के सभी साधनों के बीच मल्टीमोडल एकीकरण
- ❖ शहर में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने वाले इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट्स की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- ❖ विकलांगों के लिए समावेशी निर्मित वातावरण के प्रावधानों के साथ पैदल यात्री और एनएमवी के लिए पारगमन अधोसंरचना विकसित करना
- ❖ वर्तमान सार्वजनिक परिवहन तंत्र के साथ सभी पर्यटक और महत्वपूर्ण स्थलों को जोड़ना
- ❖ फुटपाथों का एक व्यवस्थित तंत्र प्रदान करना।
- ❖ पैदल चलने वालों की आवाजाही को सुविधायुक्त बनाना।
- ❖ लिंग संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना।
- ❖ दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को चिन्हित करना।
- ❖ निजी भागीदारी का उपयोग करते हुए सभी शॉपिंग क्षेत्रों और बाजार क्षेत्रों में पार्किंग प्रावधान आवश्यक रख-रखाव की सुविधा सहित सुनिश्चित करना।

3.74 (अ) पारगमन उन्मुखी विकास और कॉरिडोर (Transit Oriented Development and Corridors)

ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) की अवधारणा, एक सघनीकृत, पदयात्री और गैर मशीनचलित वाहनो की सुगमता के लिए, समय के साथ विकसित हो रही है, जिसमें पारगमन सहायक उपयोग के साथ सार्वजनिक परिवहन से चलने योग्य दूरी के भीतर मध्यम से उच्च घनत्व वाले आवासीय, कार्यालय, फुटकर और मिश्रित भूमि उपयोग सम्मिलित हैं। सार्वजनिक परिवहन तक पहुंच को अधिकतम करने की बुनियादी अवधारणा के साथ, इसमें पदयात्री और गैर मशीनचलित वाहन उन्मुख डिजाइन, मल्टी-मोडल एकीकरण और विभिन्न स्थानों के साथ कनेक्टिविटी का समर्थन करने वाली सुविधाओं को सम्मिलित किया जाएगा। अंततः पारगमन स्वारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा जिसके फलस्वरूप निजी मोटर चलित वाहन के उपयोग कम होकर संपोषणीय यातायात विकास को बढ़ावा मिलेगा। राज्य में TOD नीति से संबंधित TOD क्षेत्रों (ट्रांजिट स्टेशन और कॉरिडोर क्षेत्र) और ट्रांजिट क्षेत्र में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का कार्यान्वयन किया जा सकता है।

i. TOD क्षेत्र :-

ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट एरिया में ट्रांजिट स्टेशन और ट्रांजिट कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र दोनों सम्मिलित हैं।

ii. ट्रांजिट स्टेशन या मास ट्रांजिट स्टेशन: -

मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (MRTS) कॉरिडोर/नेटवर्क में सभी वर्तमान और प्रस्तावित मास ट्रांजिट स्टेशन सम्मिलित हैं।

iii. ट्रांजिट कॉरिडोर या मास ट्रांजिट कॉरिडोर:-

वर्तमान एवं प्रस्तावित सार्वजनिक परिवहन मार्ग जैसे मेट्रो रेल/लाइट रेल/मोनो रेल कॉरिडोर/नेटवर्क और बस रैपिड ट्रांजिट (BRT) या उच्च क्षमता वाले सार्वजनिक परिवहन कॉरिडोर/रूट/नेटवर्क सम्मिलित हैं।

iv. TOD क्षेत्र (ट्रांजिट स्टेशन एवं कॉरिडोर क्षेत्र):-

मेट्रो रेल/लाइट रेल/मोनो रेल की लाइन, मास ट्रांजिट कॉरिडोर की मध्य रेखा (central line) के दोनों ओर 500 मीटर चौड़ाई के भीतर का क्षेत्र, और उच्च क्षमता वाले सार्वजनिक परिवहन कॉरिडोर, मास ट्रांजिट कॉरिडोर की मध्य रेखा (central line) या मार्ग के अधिकार की लाइन (ROW) के दोनों ओर 300 मीटर चौड़ाई के भीतर का क्षेत्र।

v. ट्रांजिशन क्षेत्र :-

मेट्रो रेल/लाइट रेल/मोनो रेल कॉरिडोर/नेटवर्क और बस रैपिड ट्रांजिट (BRT) या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित उच्च क्षमता वाले सार्वजनिक परिवहन कॉरिडोर/रूट/नेटवर्क (भविष्य के परिवहन/टीओडी आधारित योजना के लिए) की मध्य रेखा के दोनों ओर 1000 मीटर चौड़ाई बेल्ट के भीतर का क्षेत्र।

vi. प्रस्तावित TOD कॉरिडोर :-

भोपाल मेट्रो नेटवर्क से लगकर निम्नलिखित दो अलग-अलग टीओडी कॉरिडोर प्रस्तावित हैं :-

1. एम्स (AIIMS) मेट्रो स्टेशन से करोंद स्ववायर मेट्रो स्टेशन तक (आरेंज लाईन)
2. भदभदा स्ववायर मेट्रो स्टेशन से रत्नागिरी मेट्रो स्टेशन तक (ब्लू लाईन)

3.75 ब्लू एंड ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर :-

विकास योजना में ब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर (जल संरचनाएँ) और ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर (आमोद-प्रमोद) के पहलू को पृथक से सम्मिलित किया जा रहा है। नगर के ब्लू/ग्रीन मास्टर प्लान में निम्नलिखित प्रावधान हैं :-

1. ब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत जल निकायाँ, जलग्रहण क्षेत्रों, नहरों, जल धाराओं को पीने योग्य बनाने के लिए किये जाने वाले कार्यकलापों को सूचीबद्ध करना। भूजल स्तर की पहचान और उनके रिचार्जिंग की तकनीकों को खोजना। जल निकायों के लिए बफर जोन स्थापित करना और बफर जोन में निर्मित संरचना के लिए हरित विकास और विनियमों को प्रस्तावित करना। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना और जल निकायों में ठोस अपशिष्ट निपटान को रोकने के प्रयास करना।
2. ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत सभी हरित स्थानों की पहचान करना और उन्हें सूचीबद्ध करना, हरित आवरण यथा स्थान बनाए रखना, सड़क के किनारे वृक्षारोपण, स्थानीय प्रजातियों की निरंतरता बनाए रखना, नगर के वनों और नगरीय वनों का विकास, पर्माकल्चर, बायो स्वेल्स जैसे सतत् तरीकों को अपनाना।
3. आपदा शमन बुनियादी ढांचे में बाढ़ के स्तर का अंकन, बाढ़ संभावित क्षेत्रों और जल निकायों के विस्तारित जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान करना, सतही आकृति विज्ञान सहित कन्टूर मैप तैयार करना, शहर का जल निकासी नेटवर्क, आवासीय और सतही वर्षा जल संचयन का कार्यान्वयन, एक व्यापक ग्री-मानसून तैयारी योजना के साथ जल निकासी बिंदुओं की योजना तैयार करना।

3.76 इकोनॉमिक प्लानिंग :-

विकास योजना में बाजारों, इकोनॉमिक नोड्स और शहर के वाणिज्यिक क्षेत्रों के बारे में जानकारी सम्मिलित है। वर्तमान नोड्स में भीड़भाड़ कम करने के लिए अतिरिक्त इकोनॉमिक नोड्स की पहचान, वेंडिंग स्पेस, लॉजिस्टिक हब और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट नोड्स की पहचान जैसे घटकों पर विस्तृत अध्ययन के साथ एक अलग आर्थिक योजना तैयार की जावे। पुराने क्षेत्र में बाजार क्षेत्रों के लिए पैदल चलने और गैर वाहन गतिशीलता की योजना बनाई जावे। फूड स्ट्रीट, हॉकर स्पेस, वेंडिंग जोन और पुराने बाजारों के शिफ्टिंग की पहचान की जाए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष जोर देते हुए लॉजिस्टिक हब, विभिन्न आर्थिक नोड्स को जोड़ने, कैरिज वे को चौड़ा करने, साइकिल और पैदल पथ का स्पष्ट चित्रण जैसी सुविधाओं पर ध्यान दिया जावे।

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, भोपाल को इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

श्रीकांत बनोठ, वि.क.अ.—सह—आयुक्त—सह—संचालक.

क्र. 5754-वि.यो.-02-ग्वालियर-उपांतरण-नगानि-2023

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2023

ग्वालियर विकास योजना, 2035 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि ग्वालियर विकास योजना, 2035 में उपांतरण का प्रारूप म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा-18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है: -

1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर, म.प्र.
2. कलेक्टर, जिला ग्वालियर, म.प्र.
3. आयुक्त नगर पालिक निगम, ग्वालियर, म.प्र.
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय ग्वालियर, म.प्र.

प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण

अध्याय 3 की कंडिका 3.14 के पश्चात, नवीन कंडिका 3.15, 3.16, 3.17 निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है:

3.15 परिवहन तंत्र/मोबिलिटी प्लान :-

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (M.P.M.R.C.L) द्वारा वर्ष 2023 में तैयार सिटी मोबिलिटी प्लान (सीएमपी) में दिए गए प्रस्तावों के अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों एवं कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं। नगरीय परिवहन तंत्र का उपयोग करने की सुविधा को आसान बनाने के लिए, नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किए जा सकते हैं :-

- ❖ अंतिम छोर तक संपर्क के लिए मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन अधोसंरचना सहित परिवहन के सभी साधनों के बीच मल्टीमोडल एकीकरण
- ❖ शहर में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने वाले इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट्स की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- ❖ विकलांगों के लिए समावेशी निर्मित वातावरण के प्रावधानों के साथ पैदल यात्री और एनएमवी के लिए पारगमन अधोसंरचना विकसित करना
- ❖ वर्तमान सार्वजनिक परिवहन तंत्र के साथ सभी पर्यटक और महत्वपूर्ण स्थलों को जोड़ना
- ❖ फुटपथों का एक व्यवस्थित तंत्र प्रदान करना।
- ❖ पैदल चलने वालों की आवाजाही को सुविधायुक्त बनाना।
- ❖ लिंग संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना।
- ❖ दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को चिह्नित करना।
- ❖ निजी भागीदारी का उपयोग करते हुए सभी शॉपिंग क्षेत्रों और बाजार क्षेत्रों में पार्किंग प्रावधान आवश्यक रख-रखाव की सुविधा सहित सुनिश्चित करना।

3.16 ब्लू एन्ड ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर

विकास योजना में ब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर (जल संरचनाएं) और ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर (आमोद-प्रमोद) के पहलू को पृथक से सम्मिलित किया जा रहा है। नगर के ब्लू/ग्रीन मास्टर प्लान में निम्नलिखित प्रावधान हैं :-

1. ब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत जल निकायों, जलग्रहण क्षेत्रों, नहरों, जल धाराओं को पीने योग्य बनाने के लिए किये जाने वाले कार्यकलापों को सूचीबद्ध करना। भूजल स्तर की पहचान और उनके रिचार्जिंग की तकनीकों को खोजना जल निकायों के लिए बफर जोन स्थापित करना और बफर जोन में निर्मित संरचना के लिए हरित विकास और विनियमों को प्रस्तावित करना। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना और जल निकायों में ठोस अपशिष्ट निपटान को रोकने के प्रयास करना।

2. ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत सभी हरित स्थानों की पहचान करना और उन्हें सूचीबद्ध करना. हरित आवरण यथा स्थान बनाए रखना, सड़क के किनारे वृक्षारोपण, स्थानीय प्रजातियों की निरंतरता बनाए रखना, नगर के वनों और नगरीय वनों का विकास, पर्माकल्चर, बायो स्वेल्स जैसे सतत् तरीकों को अपनाना।
3. आपदा शमन बुनियादी ढांचे में बाढ़ के स्तर का अंकन. बाढ़ संभावित क्षेत्रों और जल निकायों के विस्तारित जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान करना, सतही आकृति विज्ञान सहित कन्दूर मेप तैयार करना. शहर का जल निकासी नेटवर्क. आवासीय और सतही वर्षा जल संचयन का कार्यान्वयन. एक व्यापक प्री-मानसून तैयारी योजना के साथ जल निकासी बिंदुओं की योजना तैयार करना।

3.17 इकोनॉमिक प्लानिंग

विकास योजना में बाजारों, इकोनॉमिक नोड्स और शहर के वाणिज्यिक क्षेत्रों के बारे में जानकारी सम्मिलित है। वर्तमान नोड्स में भीड़भाड़ कम करने के लिए अतिरिक्त इकोनॉमिक नोड्स की पहचान, वेंडिंग स्पेस, लॉजिस्टिक हब और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट नोड्स की पहचान जैसे घटकों पर विस्तृत अध्ययन के साथ एक अलग आर्थिक योजना तैयार की जावे। पुराने क्षेत्र में बाजार क्षेत्रों के लिए पैदल चलने और गैर-वाहन गतिशीलता की योजना बनाई जावे। फूड स्ट्रीट, हॉकर स्पेस, वेंडिंग जोन और पुराने बाजारों के शिफ्टिंग की पहचान की जाए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष जोर देते हुए लॉजिस्टिक हब, विभिन्न आर्थिक नोड्स को जोड़ने, कैरिज वे को चौड़ा करने, साइकिल और पैदल पथ का स्पष्ट चित्रण जैसी सुविधाओं पर ध्यान दिया जावे।

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in बेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, ग्वालियर को इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

श्रीकांत बनोठ, वि.क.अ.—सह-आयुक्त-सह-संचालक.

उज्जैन विकास योजना, 2035 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उज्जैन विकास योजना, 2035 में उपांतरण का प्रारूप म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा-18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है: -

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन, म.प्र.
2. कलेक्टर, जिला उज्जैन, म.प्र.
3. आयुक्त नगर पालिक निगम, उज्जैन, म.प्र.
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय उज्जैन, म.प्र.

प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण

अध्याय 3 की कंडिका 3.13 के पश्चात, नवीन कंडिका 3.14, 3.15, 3.16 निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है:

3.14 परिवहन तंत्र/मोबिलिटी प्लान :-

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (M.P.M.R.C.L) द्वारा वर्ष 2023 में तैयार सिटी मोबिलिटी प्लान (सीएमपी) में दिए गए प्रस्तावों के अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों एवं कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं। नगरीय परिवहन तंत्र का उपयोग करने की सुविधा को आसान बनाने के लिए, नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किए जा सकते हैं :-

- ❖ अंतिम छोर तक संपर्क के लिए मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन अधोसंरचना सहित परिवहन के सभी साधनों के बीच मल्टीमोडल एकीकरण
- ❖ शहर में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने वाले इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट्स की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- ❖ विकलांगों के लिए समावेशी निर्मित वातावरण के प्रावधानों के साथ पैदल यात्री और एनएमवी के लिए पारगमन अधोसंरचना विकसित करना
- ❖ वर्तमान सार्वजनिक परिवहन तंत्र के साथ सभी पर्यटक और महत्वपूर्ण स्थलों को जोड़ना
- ❖ फुटपाथों का एक व्यवस्थित तंत्र प्रदान करना।
- ❖ पैदल चलने वालों की आवाजाही को सुविधायुक्त बनाना।,
- ❖ लिंग संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना।
- ❖ दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को चिन्हित करना।
- ❖ निजी भागीदारी का उपयोग करते हुए सभी शॉपिंग क्षेत्रों और बाजार क्षेत्रों में पार्किंग प्रावधान आवश्यक रख-रखाव की सुविधा सहित सुनिश्चित करना।

3.15 ब्लू एन्ड ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर

विकास योजना में ब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर (जल संरचनाएं) और ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर(आमोद-प्रमोद) के पहलू को पृथक से सम्मिलित किया जा रहा है। नगर के ब्लू/ग्रीन मास्टर प्लान में निम्नलिखित प्रावधान हैं :-

1. ब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत जल निकायों, जलग्रहण क्षेत्रों, नहरों, जल धाराओं को पीने योग्य बनाने के लिए किये जाने वाले कार्यकलापों को सूचीबद्ध करना। भूजल स्तर की पहचान और उनके रिचार्जिंग की तकनीकों को खोजना जल निकायों के लिए बफर जोन स्थापित करना और बफर जोन में निर्मित संरचना के लिए हरित विकास और विनियमों को प्रस्तावित करना। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना और जल निकायों में ठोस अपशिष्ट निपटान को रोकने के प्रयास करना।

2. ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत सभी हरित स्थानों की पहचान करना और उन्हें सूचीबद्ध करना, हरित आवरण यथा स्थान बनाए रखना, सड़क के किनारे वृक्षारोपण, स्थानीय प्रजातियों की निरंतरता बनाए रखना, नगर के वनों और नगरीय वनों का विकास, पर्माकल्चर, बायो स्वेल्स जैसे सतत् तरीकों को अपनाना।
3. आपदा शमन बुनियादी ढांचे में बाढ़ के स्तर का अंकन, बाढ़ संभावित क्षेत्रों और जल निकायों के विस्तारित जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान करना, सतही आकृति विज्ञान सहित कन्दूर मेप तैयार करना, शहर का जल निकासी नेटवर्क, आवासीय और सतही वर्षा जल संचयन का कार्यान्वयन, एक व्यापक प्री-मानसून तैयारी योजना के साथ जल निकासी बिंदुओं की योजना तैयार करना।

3.16 इकोनॉमिक प्लानिंग

विकास योजना में बाजारों, इकोनॉमिक नोड्स और शहर के वाणिज्यिक क्षेत्रों के बारे में जानकारी सम्मिलित है। वर्तमान नोड्स में भीड़भाड़ कम करने के लिए अतिरिक्त इकोनॉमिक नोड्स की पहचान, वेंडिंग स्पेस, लॉजिस्टिक हब और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट नोड्स की पहचान जैसे घटकों पर विस्तृत अध्ययन के साथ एक अलग आर्थिक योजना तैयार की जावे। पुराने क्षेत्र में बाजार क्षेत्रों के लिए पैदल चलने और गैर-वाहन गतिशीलता की योजना बनाई जावे। फूड स्ट्रीट, हॉकर स्पेस, वेंडिंग जोन और पुराने बाजारों के शिफ्टिंग की पहचान की जाए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष जोर देते हुए लॉजिस्टिक हब, विभिन्न आर्थिक नोड्स को जोड़ने, कैरिज वे को चौड़ा करने, साइकिल और पैदल पथ का स्पष्ट चित्रण जैसी सुविधाओं पर ध्यान दिया जावे।

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in बेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, उज्जैन को इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

श्रीकांत बनोठ, वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक.

जबलपुर विकास योजना, 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि जबलपुर विकास योजना, 2021 में उपांतरण का प्रारूप म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा-18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है: -

1. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर, म.प्र.
2. कलेक्टर, जिला जबलपुर, म.प्र.
3. आयुक्त नगर पालिक निगम, जबलपुर, म.प्र.
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय जबलपुर, म.प्र.

प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण

अध्याय 3 की कंडिका 3.10 के पश्चात, नवीन कंडिका 3.11, 3.12, 3.13 निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है:

3.11 परिवहन तंत्र/मोबिलिटी प्लान :-

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (M.P.M.R.C.L) द्वारा वर्ष 2023 में तैयार सिटी मोबिलिटी प्लान (सीएमपी) में दिए गए प्रस्तावों के अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों एवं कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं। नगरीय परिवहन तंत्र का उपयोग करने की सुविधा को आसान बनाने के लिए, नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किए जा सकते हैं :-

- ❖ अंतिम छोर तक संपर्क के लिए मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन अधोसंरचना सहित परिवहन के सभी साधनों के बीच मल्टीमोडल एकीकरण
- ❖ शहर में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने वाले इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट्स की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- ❖ विकलांगों के लिए समावेशी निर्मित वातावरण के प्रावधानों के साथ पैदल यात्री और एनएमवी के लिए पारगमन अधोसंरचना विकसित करना
- ❖ वर्तमान सार्वजनिक परिवहन तंत्र के साथ सभी पर्यटक और महत्वपूर्ण स्थलों को जोड़ना
- ❖ फुटपाथों का एक व्यवस्थित तंत्र प्रदान करना।
- ❖ पैदल चलने वालों की आवाजाही को सुविधायुक्त बनाना।
- ❖ लिंग संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना।
- ❖ दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को चिन्हित करना।
- ❖ निजी भागीदारी का उपयोग करते हुए सभी शॉपिंग क्षेत्रों और बाजार क्षेत्रों में पार्किंग प्रावधान आवश्यक रख रखाव की सुविधा सहित सुनिश्चित करना।

3.12 ब्लू एन्ड ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर

विकास योजना में ब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर (जल संरचनाएं) और ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर (आमोद-प्रमोद) के पहलू को पृथक से सम्मिलित किया जा रहा है। नगर के ब्लू/ग्रीन मास्टर प्लान में निम्नलिखित प्रावधान हैं :-

1. ब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत जल निकायों, जलग्रहण क्षेत्रों, नहरों, जल धाराओं को पीने योग्य बनाने के लिए किये जाने वाले कार्यकलापों को सूचीबद्ध करना। भूजल स्तर की पहचान और उनके रिचार्जिंग की तकनीकों को खोजना जल निकायों के लिए बफर जोन स्थापित करना और बफर जोन में निर्मित संरचना के लिए हरित विकास और विनियमों को प्रस्तावित करना। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना और जल निकायों में ठोस अपशिष्ट निपटान को रोकने के प्रयास करना।

2. ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत सभी हरित स्थानों की पहचान करना और उन्हें सूचीबद्ध करना, हरित आवरण यथा स्थान बनाए रखना, सड़क के किनारे वृक्षारोपण, स्थानीय प्रजातियों की निरंतरता बनाए रखना, नगर के वनों और नगरीय वनों का विकास, पर्माकल्चर, बायो स्वेल्स जैसे सतत् तरीकों को अपनाना।
3. आपदा शमन बुनियादी ढांचे में बाढ़ के स्तर का अंकन, बाढ़ संभावित क्षेत्रों और जल निकायों के विस्तारित जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान करना, सतही आकृति विज्ञान सहित कन्दूर मेप तैयार करना, शहर का जल निकासी नेटवर्क, आवासीय और सतही वर्षा जल संचयन का कार्यान्वयन, एक व्यापक प्री-मानसून तैयारी योजना के साथ जल निकासी बिंदुओं की योजना तैयार करना।

3.13 इकोनॉमिक प्लानिंग

विकास योजना में बाजारों, इकोनॉमिक नोड्स और शहर के वाणिज्यिक क्षेत्रों के बारे में जानकारी सम्मिलित है। वर्तमान नोड्स में भीड़भाड़ कम करने के लिए अतिरिक्त इकोनॉमिक नोड्स की पहचान, वेंडिंग स्पेस, लॉजिस्टिक हब और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट नोड्स की पहचान जैसे घटकों पर विस्तृत अध्ययन के साथ एक अलग आर्थिक योजना तैयार की जावे। पुराने क्षेत्र में बाजार क्षेत्रों के लिए पैदल चलने और गैर-वाहन गतिशीलता की योजना बनाई जावे। फूड स्ट्रीट, हॉकर स्पेस, वेंडिंग जोन और पुराने बाजारों के शिफ्टिंग की पहचान की जाए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष जोर देते हुए लॉजिस्टिक हब, विभिन्न आर्थिक नोड्स को जोड़ने, कैरिज वे को चौड़ा करने, साइकिल और पैदल पथ का स्पष्ट चित्रण जैसी सुविधाओं पर ध्यान दिया जावे।

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in बेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, जबलपुर को इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

श्रीकांत बनोट, वि.क.अ.—सह—आयुक्त—सह—संचालक.

क्र. 5766-वि.यो.-01-इंदौर-नगानि-2023

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2023

इंदौर विकास योजना, 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इंदौर विकास योजना, 2021 में उपांतरण का प्रारूप म.प्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा-18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है: -

1. आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर, म.प्र.
2. कलेक्टर, जिला इंदौर, म.प्र.
3. आयुक्त नगर पालिक निगम, इंदौर म.प्र.
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इंदौर, म.प्र.

प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण

इन्दौर विकास योजना- 2021 के अध्याय-4 की कंडिका 4.15 के पश्चात नवीन कंडिका 4.16 अंतःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

4.16 पारगमन उन्मुखी विकास और कॉरिडोर (Transit Oriented Development and Corridors)

4.16.1 पारगमन उन्मुखी विकास (TOD) :-

ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) की अवधारणा, एक सघनीकृत, पदयात्री और गैर मशीनचलित वाहनो की सुगमता के लिए, समय के साथ विकसित हो रही है, जिसमें पारगमन सहायक उपयोग के साथ सार्वजनिक परिवहन से चलने योग्य दूरी के भीतर मध्यम से उच्च घनत्व वाले आवासीय, कार्यालय, फुटकर और मिश्रित भूमि उपयोग सम्मिलित हैं। सार्वजनिक परिवहन तक पहुंच को अधिकतम करने की बुनियादी अवधारणा के साथ, इसमें पदयात्री और गैर मशीनचलित वाहन उन्मुख डिजाइन, मल्टी-मोडल एकीकरण और विभिन्न स्थानों के साथ कनेक्टिविटी का समर्थन करने वाली सुविधाओं को सम्मिलित किया जाएगा। अंततः पारगमन सवारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके फलस्वरूप निजी मोटर चलित वाहन के उपयोग कम होकर संपोषणीय यातायात विकास को बढ़ावा मिलेगा। राज्य में TOD नीति से संबंधित TOD क्षेत्रों (ट्रांजिट स्टेशन और कॉरिडोर क्षेत्र) और ट्रांजिट क्षेत्र में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का कार्यान्वयन किया जा सकता है।

4.16.2 TOD क्षेत्र :-

ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट एरिया में ट्रांजिट स्टेशन और ट्रांजिट कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र दोनों सम्मिलित हैं।

4.16.2.1 ट्रांजिट स्टेशन या मास ट्रांजिट स्टेशन: -

मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (MRTS) कॉरिडोर/नेटवर्क में सभी वर्तमान और प्रस्तावित मास ट्रांजिट स्टेशन सम्मिलित हैं।

4.16.2.2 ट्रांजिट कॉरिडोर या मास ट्रांजिट कॉरिडोर:-

वर्तमान एवं प्रस्तावित सार्वजनिक परिवहन मार्ग जैसे मेट्रो रेल/लाइट रेल/मोनो रेल कॉरिडोर/नेटवर्क और बस रैपिड ट्रांजिट (BRT) या उच्च क्षमता वाले सार्वजनिक परिवहन कॉरिडोर/रूट/नेटवर्क सम्मिलित हैं।

4.16.2.3 TOD क्षेत्र (ट्रांजिट स्टेशन एवं कॉरिडोर क्षेत्र):-

मेट्रो रेल/लाइट रेल/मोनो रेल की लाइन, मास ट्रांजिट कॉरिडोर की मध्य रेखा (central line) के दोनों ओर 500 मीटर चौड़ाई के भीतर का क्षेत्र, और उच्च क्षमता वाले सार्वजनिक परिवहन कॉरिडोर, मास ट्रांजिट कॉरिडोर की मध्य रेखा (central line) या मार्ग के अधिकार की लाइन (ROW) के दोनों ओर 300 मीटर चौड़ाई के भीतर का क्षेत्र।

4.16.3 ट्रांजिशन क्षेत्र :-

मेट्रो रेल/लाइट रेल/मोनो रेल कॉरिडोर/नेटवर्क और बस रैपिड ट्रांजिट (BRT) या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित उच्च क्षमता वाले सार्वजनिक परिवहन कॉरिडोर/रूट/नेटवर्क (भविष्य के परिवहन/टीओडी आधारित योजना के लिए) की मध्य रेखा के दोनों ओर 1000 मीटर चौड़ाई बेल्ट के भीतर का क्षेत्र।

4.16.4 प्रस्तावित TOD कॉरिडोर :-

इंदौर मेट्रो नेटवर्क से लगकर निम्नलिखित तीन अलग-अलग टीओडी कॉरिडोर प्रस्तावित हैं:

1. देवी अहिल्याबाई होल्कर हवाई अड्डे से इन्दौर रेलवे स्टेशन
2. इंदौर रेलवे स्टेशन से आईएसबीटी/MR-10 फ्लाईओवर तक
3. सुपर कॉरिडोर (देवी अहिल्याबाई होल्कर हवाई अड्डे से आईएसबीटी/MR-10 फ्लाईओवर)

अध्याय 5 की कंडिका 5.10 के पश्चात निम्नानुसार नवीन कंडिका 5.11, 5.12, 5.13 अंतःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है:-

5.11 परिवहन तंत्र/मोबिलिटी प्लान :-

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (M.P.M.R.C.L) द्वारा वर्ष 2023 में तैयार सिटी मोबिलिटी प्लान (सीएमपी) में दिए गए प्रस्तावों के अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों एवं कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं। नगरीय परिवहन तंत्र का उपयोग करने की सुविधा को आसान बनाने के लिए, नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किए जा सकते हैं :-

- ❖ अंतिम छोर तक संपर्क के लिए मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन अधोसंरचना सहित परिवहन के सभी साधनों के बीच मल्टीमोडल एकीकरण
- ❖ शहर में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने वाले इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट्स की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- ❖ विकलांगों के लिए समावेशी निर्मित वातावरण के प्रावधानों के साथ पैदल यात्री और एनएमवी के लिए पारगमन अधोसंरचना विकसित करना
- ❖ वर्तमान सार्वजनिक परिवहन तंत्र के साथ सभी पर्यटक और महत्वपूर्ण स्थलों को जोड़ना
- ❖ फुटपाथों का एक व्यवस्थित तंत्र प्रदान करना।
- ❖ पैदल चलने वालों की आवाजाही को सुविधायुक्त बनाना। ,
- ❖ लिंग संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना।
- ❖ दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को चिन्हित करना।
- ❖ निजी भागीदारी का उपयोग करते हुए सभी शॉपिंग क्षेत्रों और बाजार क्षेत्रों में पार्किंग प्रावधान आवश्यक रख-रखाव की सुविधा सहित सुनिश्चित करना।

5.12 ब्लू एंड ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर :-

विकास योजना में ब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर (जल संरचनाएं) और ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर(आमोद-प्रमोद) के पहलू को पृथक से सम्मिलित किया जा रहा है। नगर के ब्लू/ग्रीन मास्टर प्लान में निम्नलिखित प्रावधान हैं :-

1. ब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत जल निकायों, जलग्रहण क्षेत्रों, नहरों, जल धाराओं को पीने योग्य बनाने के लिए किये जाने वाले कार्यकलापों को सूचीबद्ध करना। भूजल स्तर की पहचान और उनके रिचार्जिंग की तकनीकों को खोजना जल निकायों के लिए बफर जोन स्थापित करना और बफर जोन में निर्मित संरचना के लिए हरित विकास और विनियमों को प्रस्तावित करना। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना और जल निकायों में ठोस अपशिष्ट निपटान को रोकने के प्रयास करना।
2. ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत सभी हरित स्थानों की पहचान करना और उन्हें सूचीबद्ध करना, हरित आवरण यथा स्थान बनाए रखना, सड़क के किनारे वृक्षारोपण, स्थानीय प्रजातियों की निरंतरता बनाए रखना, नगर के वनों और नगरीय वनों का विकास, पर्माकल्चर, बायो स्वेल्स जैसे सतत् तरीकों को अपनाना।
3. आपदा शमन बुनियादी ढांचे में बाढ़ के स्तर का अंकन, बाढ़ संभावित क्षेत्रों और जल निकायों के विस्तारित जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान करना, सतही आकृति विज्ञान सहित कन्टूर मैप तैयार करना, शहर का जल निकासी नेटवर्क, आवासीय और सतही वर्षा जल संचयन का कार्यान्वयन, एक व्यापक प्री-मानसून तैयारी योजना के साथ जल निकासी बिंदुओं की योजना तैयार करना।

5.13 इकोनॉमिक प्लानिंग :-

विकास योजना में बाजारों, इकोनॉमिक नोड्स और शहर के वाणिज्यिक क्षेत्रों के बारे में जानकारी सम्मिलित है। वर्तमान नोड्स में भीड़भाड़ कम करने के लिए अतिरिक्त इकोनॉमिक नोड्स की पहचान, वेंडिंग स्पेस, लॉजिस्टिक हब और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट नोड्स की पहचान जैसे घटकों पर विस्तृत अध्ययन के साथ एक अलग आर्थिक योजना तैयार की जावे। पुराने क्षेत्र में बाजार क्षेत्रों के लिए पैदल चलने और गैर-वाहन गतिशीलता की योजना बनाई जावे। फूड स्ट्रीट, हॉकर स्पेस, वेंडिंग जोन और पुराने बाजारों के शिफ्टिंग की पहचान की जाए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष जोर देते हुए लॉजिस्टिक हब, विभिन्न आर्थिक नोड्स को जोड़ने, कैरिज वे को चौड़ा करने, साइकिल और पैदल पथ का स्पष्ट चित्रण जैसी सुविधाओं पर ध्यान दिया जावे।

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in बेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, इंदौर को इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

श्रीकांत बनोट, वि.क.अ.—सह—आयुक्त—सह—संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर, एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश

क्र. 101-री.ए.डी.एम.-2024

इंदौर, दिनांक 17 जनवरी 2024

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 क्रमांक 2 सन् 1974 की धारा 2 के खण्ड (एस) प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रस्तावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक अपांतरण करते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से -

1. उस थाने से जो नीचे दी गई सारणी कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं अपवर्जित करती और
2. (i) कुन्दन नगर, बुद्ध नगर, सुखनिवास गॉव, चित्रकूट नगर, वीआयपी, परस्पर नगर, ममता नगर क्षेत्र जो थाना द्वारिकापुरी में है को थाना राजेन्द्र नगर जिला इन्दौर में घोषित किया जाता है।
(ii) सिलीकॉन सिटी, ओमेक्स सिटी, चिनार हिल्स, स्टार सिटी, पुलक सिटी, न्यूयार्क सिटी, पलाश परिसर क्षेत्र जो थाना राजेन्द्र नगर में है को थाना राऊ जिला इन्दौर में घोषित किया जाता है।
(iii) ग्राम सिंहासा क्षेत्र जो थाना गांधीनगर में है को थाना चन्दन नगर जिला इन्दौर में घोषित किया जाता है।
(iv) श्रद्धाश्री कॉलोनी, श्रद्धाश्री एक्सटेंशन, कृष्णबाग कॉलोनी, स्वर्णबाग कॉलोनी, गणेश नगर, अनुराग नगर, बर्फानी धाम कॉलोनी, सुन्दर नगर, न्यू मालवीय नगर, चंद्रनगर, राधिका कुंज, शांतिदीप कॉलोनी, संजोगपुरी कॉलोनी, गुरुनगर, रवि जागृति नगर क्षेत्र जो थाना विजयनगर में है को थाना एमआईजी जिला इन्दौर में घोषित किया जाता है।
(v) पिपलियाहाना चौराहा से पश्चिम में आजाद नगर का क्षेत्राधिकार का कृषि कॉलेज चौराहे पर स्थित मंदिर तक का मार्ग एवं उक्त मार्ग के दक्षिण दिशा में स्थित कृषि कॉलेज का अनुसंधान फार्म का कृषि क्षेत्र जो थाना आजादनगर में है को थाना तिलकनगर जिला इन्दौर में घोषित किया जाता है।
(vi) नारायण सेठ कंपाउण्ड (बेकरी गली का दाहिना भाग), रूस्तम का बगीचा, रूपेश यादव नगर, लाला का बगीचा, विकास नगर, अमर टेकरी, गोटू महाराज की चाल क्षेत्र जो थाना एमआईजी में है को थाना तुकोगंज जोन-03 जिला इन्दौर में घोषित किया जाता है।
(vii) थाना आजाद नगर का परिसर थाना संयोगितागंज के खसरा नं. में दर्ज होने से थाना आजादनगर जिला इन्दौर में घोषित किया जाता है।
(viii) इतवारिया बाजार क्षेत्र जो थाना मल्हारगंज में है को थाना सराफा जिला इन्दौर में घोषित किया जाता है।
(ix) पंचमूर्ति नगर, हरिओम नगर क्षेत्र जो थाना चन्दन नगर में है को थाना छत्रीपुरा जिला इन्दौर में घोषित किया जाता है।
(x) द्रविणनगर पुलिस लाईन क्षेत्र जो थाना छत्रीपुरा में है को थाना अन्नपूर्णा जिला इन्दौर में घोषित किया जाता है।
(xi) जयराम कॉलोनी, काटजू कॉलोनी क्षेत्र जो थाना जूनी इन्दौर में है को थाना पंढरीनाथ जिला इन्दौर में घोषित किया जाता है।
(xii) बट्टीबाग कॉलोनी, विजय पैलेस कॉलोनी क्षेत्र जो थाना राजेन्द्र नगर में है को थाना जूनी इन्दौर में घोषित किया जाता है।

(xiii) गुमास्ता नगर, स्कीम नं. 71 क्षेत्र जो थाना चन्दन नगर में है को थाना द्वारिकापुरी जिला इन्दौर में घोषित किया जाता है।

(xiv) सुदामा नगर सेक्टर-ई क्षेत्र जो थाना द्वारिकापुरी में है को थाना अन्नपूर्णा जिला इन्दौर में घोषित किया जाता है।

(xv) कलेक्ट्रेट, मोती तबेला, हरसिद्धी क्षेत्र जो थाना रावजी बाजार में है को थाना पंढरीनाथ जिला इन्दौर में घोषित किया जाता है।

और यह निर्देश देती हैं कि इसमें उक्त सारणी के कॉलम न. (3) विनिर्दिष्ट किये गये हैं, स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित होंगे।

सारणी

क्र	उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्रों के नाम जो थाना राजेन्द्र नगर, तहसील राऊ, जिला इन्दौर में सम्मिलित किये जाते हैं।
1	2	3
01	द्वारिकापुरी, तहसील राऊ, जिला इन्दौर	कुन्दन नगर बुद्धनगर सुखनिवास गाँव चित्रकुट नगर वीआयपी परस्पर नगर ममता नगर

सारणी

क्र	उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्रों के नाम जो थाना राऊ, तहसील राऊ, जिला इन्दौर में सम्मिलित किये जाते हैं।
1	2	3
01	राजेन्द्र नगर, तहसील राऊ, जिला इन्दौर	सिलीकॉन सिटी ओमेक्स सिटी चिनार हिल्स स्टार सिटी पुलक सिटी न्यूयार्क सिटी पलाश परिसर

सारणी

क्र	उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्रों के नाम जो थाना चन्दन नगर, तहसील राऊ, जिला इन्दौर में सम्मिलित किया जाता है।
1	2	3
01	गांधीनगर, तहसील मल्हारगंज, जिला इन्दौर	ग्राम सिंहासा

सारणी

क्र	उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्रों के नाम जो थाना एमआईजी, तहसील कनाडिया, जिला इन्दौर में सम्मिलित किया जाता है।
1	2	3
01	विजयनगर, तहसील कनाडिया, जिला इन्दौर	श्रद्धा श्री कालोनी श्रद्धा श्री एक्सटेंशन कृष्णबाग कॉलोनी स्वर्णबाग कालोनी गणेश नगर अनुराग नगर बर्फानी धाम कॉलोनी सुन्दर नगर न्यु मालवीय नगर चंद्र नगर राधिका कुंज शांतिदीप कॉलोनी संजोगपुरी कॉलोनी गुरुनगर रवि जागृति नगर

सारणी

क्र	उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्रों के नाम जो थाना तिलक नगर, तहसील कनाडिया, जिला इन्दौर में सम्मिलित किये जाते हैं।
1	2	3
01	आजाद नगर, तहसील भिचौली हप्पी, जिला इन्दौर	कृषि कालेज चौराहे पर स्थित मंदिर तक एवं उक्त मार्ग के दक्षिण में स्थित कृषि कालेज अनुसंधान फार्म का कृषि क्षेत्र

सारणी

क्र	उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्रों के नाम जो थाना तुकोगंज जोन-3, तहसील जूनी इन्दौर, जिला इन्दौर में सम्मिलित किया जाता है।
1	2	3
01	एमआईजी तहसील कनाडिया, जिला इन्दौर	नारायण सेठ कंपाउण्ड (बिकरी गली का दाहिना भाग) रुस्तम का बगीचा रूपेश यादव नगर लाला का बगीचा विकास नगर अमर टेकरी गोटू महाराज की चाल

सारणी

क्र	उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्रों के नाम जो थाना आजाद नगर, तहसील भिचौली हप्सी, जिला इन्दौर में सम्मिलित किये जाते हैं।
1	2	3
01	संयोगितागंज, तहसील भिचौली हप्सी, जिला इन्दौर	थाना आजाद नगर का परिसर थाना संयोगितागंज के खसरा नं. में दर्ज होने से

सारणी

क्र	उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्रों के नाम जो थाना सराफा, तहसील मल्हारगंज, जिला इन्दौर में सम्मिलित किये जाते हैं।
1	2	3
01	मल्हारगंज, तहसील मल्हारगंज, जिला इन्दौर	इतवारिया बाजार

सारणी

क्र	उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्रों के नाम जो थाना छत्रीपुरा, तहसील मल्हारगंज, जिला इन्दौर में सम्मिलित किये जाते हैं।
1	2	3
01	चन्दन नगर, तहसील राऊ, जिला इन्दौर	पंचमूर्ति नगर हरिओम नगर

सारणी

क्र	उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्रों के नाम जो थाना अन्नपूर्णा, तहसील राऊ, जिला इन्दौर में सम्मिलित किये जाते हैं।
1	2	3
01	छत्रीपुरा, तहसील मल्हारगंज, जिला इन्दौर	द्रविड नगर पुलिस लाईन

सारणी

क्र	उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्रों के नाम जो थाना पंढरीनाथ, तहसील मल्हारगंज, जिला इन्दौर में सम्मिलित किये जाते हैं।
1	2	3
01	जूनी इन्दौर, तहसील जूनी इन्दौर, जिला इन्दौर	जयराम कॉलोनी काटजू कॉलोनी

सारणी

क्र	उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्रों के नाम जो थाना जूनी इन्दौर, तहसील जूनी इन्दौर, जिला इन्दौर में सम्मिलित किये जाते हैं।
1	2	3
01	राजेन्द्र नगर, तहसील राऊ, जिला इन्दौर	बद्रीबाग कॉलोनी विजय पैलेस कॉलोनी

सारणी

क्र	उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्रों के नाम जो थाना द्वारिकापुरी, तहसील राऊ, जिला इन्दौर में सम्मिलित किये जाते हैं।
1	2	3
01	चंदन नगर, तहसील राऊ, जिला इन्दौर	गुमास्ता नगर स्कीम नं. 71

सारणी

क्र	उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्रों के नाम जो थाना अन्नपूर्णा, तहसील राऊ, जिला इन्दौर में सम्मिलित किये जाते हैं।
1	2	3
01	द्वारिकापुरी, तहसील राऊ, जिला इन्दौर	सुदामा नगर सेक्टर-ई

सारणी

क्र	उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्रों के नाम जो थाना पंढरीनाथ, तहसील मल्हारगंज, जिला इन्दौर में सम्मिलित किये जाते हैं।
1	2	3
01	रावजी बाजार, तहसील जूनी इन्दौर, जिला इन्दौर	कलेक्ट्रेट मोती तबेला हरसिद्धि

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सिंह, कलेक्टर एवं उपसचिव.

No. 101-R.A.D.M.-2024

Indore, the 17th January 2024

In exercise of the powers conferred by clause (s) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and in partial modification of the previous notification proposing the local areas specified in the table below, The State Government, hereby, with effect from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh, Gazette" :-

- (i) Exclude from the Police Station mentioned in column (2) of the table below, and
- (ii) (a) Kundan Nagar, Budha Nagar, Sukhniwas Gaon, Chitrakut Nagar, VIP, Paraspar Nagar, Mamta Nagar declares which are under Police Station Dwarikapuri now comes under Police Station Rajendra Nagar, District Indore.
- (b) Silicon City, Omax City, Chinar City, Star City, Pulak City, Newyark City, Palash Parisar declares which are under Police Station Rajendra Nagar now comes under Police Station Rau, District Indore.
- (c) Village Sihansa declares which are under Police Station Gandhinagar now comes under Police Station Chandan Nagar, District Indore.
- (d) Shraddhashri Colony, Shraddhashri Extantion, Krishnabag Colony, Swarnabag Colony, Ganesh Nagar, Anurag Nagar, Barfani Dham Colony, Sundar Nagar, New Malviya Nagar, Chandra Nagar, Radhika Kunj, Shantideep Colony, Sanjogpuri Colony, Gurunagar, Ravi Gagruti Nagar, declares which are under Police Station Vijay Nagar now comes under Police Station MIG, District Indore.
- (e) From Pipliyahana Chauraha in the west upto the road of the temple located at Agriculture Collage Chauraha under Azadnagar jurisdiction areas and the agriculture area of the research form of Agriculture Collage under Police Station Azad Nagar now comes under Police Station Tilak Nagar, District Indore.
- (f) Narayan Seth Compound (Right Side of Bakery Gali), Rustam ka Bagicha, Rupesh Yadav Nagar, Lala ka Bagicha, Vikas Nagar, Amar Tekary, Gotu Maharaj ki Chaal, declares which are under Police Station MIG now comes under Police Station Tukoganj Zone-3, District Indore.
- (g) The Premises of Azad Nagar Police Station been included in the Khasra No of Sanyogitaganj Police Station is declared to come under Police Station Azad Nagar, District Indore.
- (h) Itwariya Bazar declares which are under Police Station Malharganj now comes under Police Station Sarafa, District Indore.
- (i) Panchmurti Nagar, Hariom Nagar declares which are under Police Station Chandan Nagar now comes under Police Station Chhatripura, District Indore.
- (j) Dravid Nagar Police Line declares which are under Police Station Chhatripura now comes under Police Station Annapurna, District Indore.
- (k) Jayram Colony, Katju Colony declares which are under Police Station Juni Indore now comes under Police Station Pandharinath, District Indore.
- (l) Badribag Colony, Vijay Palace Colony declares which are under Police Station Rajendra Nagar now comes under Police Station Juni Indore, District Indore.
- (m) Gumashta Nagar, Scheme No-71 declares which are under Police Station Chandan Nagar now comes under Police Station Dwarikapuri, District Indore.
- (n) Sudama Nagar Sector-E declares which are under Police Station Dwarikapuri now comes under Police Station Annapurna, District Indore.

- (o) Collectorate, Moti Tabela, Harsiddhi declares which are under Police Station Sanyogitaganj now comes under Police Station Azad Nagar, District Indore. and further directs that it shall included the local areas specified in column (3) of the said table.

TABLE

S.No	Name of the Police Station along with tehsil district from which the Excluded to be done	In name of local areas included in Rajendra Nagar Police Station, Tehsil Rau District Indore
1	2	3
1	Dwarikapuri Tehsil Rau, District Indore	Kundan Nagar Budha Nagar Sukhniwas Gaon Chitrakut Nagar VIP Paraspar Nagar Mamta Nagar

TABLE

S.No	Name of the Police Station along with tehsil district from which the Excluded to be done	In name of local areas included in Rau Police Station, Tehsil Rau District Indore
1	2	3
1	Rajendera Nagar, Tehsil Rau, District Indore	Silicon City Omax City Chinar Hills Star City Pulak City Newyark City Palash Parisar

TABLE

S.No	Name of the Police Station along with tehsil district from which the Excluded to be done	In name of local areas included in Chandan Nagar Police Station, Tehsil Rau, District Indore
1	2	3
1	Gandhi Nagar, Tehsil Malharganj, District Indore	Village Sihansa

TABLE

S.No	Name of the Police Station along with tehsil district from which the Excluded to be done	In name of local areas included in MIG Police Station, Tehsil Kanadia, District Indore
1	2	3
1	Vijay Nagar, Tehsil Kanadia, District Indore	Shradhashri Nagar Shradhashri Extantion Krishnabag Colony Swarnabag Colony Ganesh Nagar Anurag Nagar Barfani Dham Colony Sundar Nagar New Malviya Nagar Chandra Nagar Radhika Kunj Shantidecep Colony Sanjaogpuri Colony Gurunagar Ravi Jagruti Nagar

TABLE

S.No	Name of the Police Station along with tehsil district from which the Excluded to be done	In name of local areas included in Tilak Nagar Police Station, Tehsil Kanadia, District Indore
1	2	3
1	Azad Nagar, Tehsil Bhicholi Hapsi, District Indore	The agriculture areas up to the temple situated at the Agriculture Collage Research form situated in the south of said road

TABLE

S.No	Name of the Police Station along with tehsil district from which the Excluded to be done	In name of local areas included in Tukoganj Zone-3 Police Station, Tehsil Juni Indore, District Indore
1	2	3
1	MIG, Tehsil Kanadia, District Indore	Narayan Seth Compound (Right side of Bakery Gali Rustam Ka Bagicha Rupesh Yadav Nagar Lala ka Bagicha Vikas Nagar Amar Takary Gotu Maharaj ki Chaal

TABLE

S.No	Name of the Police Station along with tehsil district from which the Excluded to be done	In name of local areas included in Azad Nagar Police Station, Tehsil Bhicholi Hapsi, District Indore
1	2	3
1	Sanyogitaganj, Tehsil Bhicholi Hapsi, District Indore	The premises of Azad Nagar police staion being included in khasra no of Sanyogitaganj Police Station

TABLE

S.No	Name of the Police Station along with tehsil district from which the Excluded to be done	In name of local areas included in Sarafa Police Station, Tehsil Malharganj, District Indore
1	2	3
1	Malharganj, Tehsil Malharganj, District Indore	Itwaria Bazar

TABLE

S.No	Name of the Police Station along with tehsil district from which the Excluded to be done	In name of local areas included in Chhatripura Police Station, Tehsil Malharganj, District Indore
1	2	3
1	Chandan Nagar, Tehsil Rau, District Indore	Panchmurti Nagar Hariom Nagar

TABLE

S.No	Name of the Police Station along with tehsil district from which the Excluded to be done	In name of local areas included in Annapurna Police Station, Tehsil Rau, District Indore
1	2	3
1	Chatripura, Tehsil Malaharganj, District Indore	Dravid Nagar Police Line

TABLE

S.No	Name of the Police Station along with tehsil district from which the Excluded to be done	In name of local areas included in Pandharinath Police Station, Tehsil Malharganj, District Indore
1	2	3
1	Juni Indore, Tehsil Juni Indore, District Indore	Jayram Colony Katju Colony

TABLE

S.No	Name of the Police Station along with tehsil district from which the Excluded to be done	In name of local areas included in Juni Indore Police Station, Tehsil Juni Indore, District Indore
1	2	3
1	Rajendra Nagar, Tehsil Rau, District Indore	Badribag Colony Vijay Palace Colony

TABLE

S.No	Name of the Police Station along with tehsil district from which the Excluded to be done	In name of local areas included in Dwarikapuri Police Station, Tehsil Rau, District Indore
1	2	3
1	Chandan Nagar, Tehsil Rau, District Indore	Gumashta Nagar Scheme No-71

TABLE

S.No	Name of the Police Station along with tehsil district from which the Excluded to be done	In name of local areas included in Annapurna Police Station, Tehsil Rau, District Indore
1	2	3
1	Dwarikapuri, Tehsil Rau, District Indore	Sudama Nagar Sector-E

TABLE

S.No	Name of the Police Station along with tehsil district from which the Excluded to be done	In name of local areas included in Pandharinath Police Station, Tehsil Malharganj, District Indore
1	2	3
1	Rawaji Bazar, Tehsil Juni Indore, District Indore	Collectorate Moti Tabela Harsiddhi

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHEESH SINGH, Collector & Dy. Secy.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश

क्र. 553-सा.शाखा-2024

कटनी, दिनांक 15 जनवरी 2024

मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-2(क) 15/99/बी-3/दो/भोपाल दिनांक 11.10.2004 के अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973/7974 का सरल क्रमांक-2 की धारा-2 के खण्ड-एस, में प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक- एफ/2 (क)9/08/बी-3/दो भोपाल दिनांक 30 जुलाई 2010 के अनुक्रम में तथा मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस)विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र./01/1770880/2023/बी-3/दो, भोपाल दिनांक 02/01/2024 व पत्र क्रमांक 03/1770880/2023/बी-3/दो भोपाल दिनांक 04/01/2024 के पालन में जिले के भीतर थानों/चौकियों की सीमाओं के युक्ति युक्तकरण हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 13 जनवरी 2024 में सर्व सहमति से लिये गये निर्णय अनुसार मैं अवि प्रसाद, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला कटनी निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए जिला कटनी में निम्नानुसार ग्राम/चौकी/क्षेत्र को लोक सुविधा की दृष्टि से समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार युक्तियुक्तकरण कर सम्मिलित करता हूँ।

मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से कॉलम नं.-2 एवं 3 में उल्लेखित किये गये ग्राम/चौकी/क्षेत्र/थाना को कॉलम नं.- 4 में दर्शाये गये थाना/चौकियों की परिसीमा में सम्मिलित किया जाता है:-

क्रमांक	ग्राम/चौकी/क्षेत्र	वर्तमान थाना	प्रस्तावित थाना
1	2	3	4
01	बस स्टैण्ड चौकी	कुठला	कोतवाली
02	कैलवारा खुर्द	कुठला	बस स्टैण्ड चौकी, थाना कोतवाली
03	बोहता	कुठला	बस स्टैण्ड चौकी, थाना कोतवाली
04	पौंसरा	कुठला	बस स्टैण्ड चौकी, थाना कोतवाली
05	जमौड़ी	कुठला	बस स्टैण्ड चौकी, थाना कोतवाली
06	खरखरी नंबर 1	कुठला	बस स्टैण्ड चौकी, थाना कोतवाली
07	द्वारा	कुठला	बस स्टैण्ड चौकी, थाना कोतवाली
08	हरदुआ	रीठी	कुठला

11

७७	सुमना	रीठी	कुठला
10	खौरी	रीठी	कुठला
11	कूडो	रीठी	कुठला
12	पटेहरा	रीठी	कुठला
13	पूंछी	विजयराघवगढ़	कुठला
14	बिस्तरा	विजयराघवगढ़	कुठला
15	कछगवा	विजयराघवगढ़	कुठला
16	जेवा	विजयराघवगढ़	कुठला
17	कन्हवारा	विजयराघवगढ़	कुठला
18	पोड़ी पिपरहटा	विजयराघवगढ़	कुठला
19	खमतरा	विजयराघवगढ़	कुठला
20	पौंडी	विजयराघवगढ़	कुठला
21	पिपरिया	विजयराघवगढ़	कुठला
22	सहजपुरा	विजयराघवगढ़	कुठला
23	मोहारी	विजयराघवगढ़	कुठला
24	डिठवारा	विजयराघवगढ़	कुठला
25	मझगवा जोबा	विजयराघवगढ़	कुठला
26	जोबीकला	विजयराघवगढ़	कुठला
27	पौंडी पिपरिया	विजयराघवगढ़	कुठला
28	सुनाई	बहोरीबंद	चौकी बिलहरी, थाना कुठला
29	तिलयन पार	कोतवाली	कुठला
30	अमगंवा	एन.के.जे.	बड़वारा
31	शाहपुर	एन.के.जे.	चौकी निवार, थाना माधवनगर
32	डेढी	एन.के.जे.	चौकी निवार, थाना माधवनगर
33	मनेहरा	एन.के.जे.	चौकी निवार, थाना माधवनगर
34	सुनहरा	एन.के.जे.	चौकी निवार, थाना माधवनगर
35	सुनहरी	एन.के.जे.	चौकी निवार, थाना माधवनगर
36	मोहनिया	एन.के.जे.	चौकी निवार, थाना माधवनगर
37	मानपुर	एन.के.जे.	चौकी निवार, थाना माधवनगर
38	छपरवाह	एन.के.जे.	रंगनाथ नगर

39	गनियारी	चौकी बिलहरी, थाना कुठला	चौकी झिंझरी, थाना माधवनगर
40	चपना	विजयराघवगढ़	बरही
41	दड़ौरी	विजयराघवगढ़	बरही
42	हथेड़ा	विजयराघवगढ़	बरही
43	पिपरा	बरही	विजयराघवगढ़
44	चौरा कनेरा	बरही	विजयराघवगढ़
45	चोरी	बरही	विजयराघवगढ़
46	बकैली	बरही	विजयराघवगढ़
47	झिरिया	कैमोर	विजयराघवगढ़
48	सेमरिया	कैमोर	विजयराघवगढ़
49	मोहनिया (नीम)	स्लीमनाबाद	बहोरीबंद
50	रामपुर	स्लीमनाबाद	बहोरीबंद
51	लालपुर	स्लीमनाबाद	बहोरीबंद
52	कल्हैया खुर्द	स्लीमनाबाद	बहोरीबंद
53	कैमोरी	स्लीमनाबाद	बहोरीबंद
54	मुरवारी	उमरिया पान	ढीमरखेड़ा
55	गनियारी	उमरिया पान	ढीमरखेड़ा
56	अन्तर्वेद	उमरिया पान	ढीमरखेड़ा
57	कुशमी	उमरिया पान	ढीमरखेड़ा
58	बिजौरा	उमरिया पान	ढीमरखेड़ा
59	अमगवां	उमरिया पान	ढीमरखेड़ा
60	टिकरिया	उमरिया पान	एन.के.जे.
61	दड़ौरी	बड़वारा	

कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश

क्र. 203-सा.ले.-2024

खरगोन, दिनांक 9 जनवरी 2024

मैं कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला खरगोन दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973/1974 का सरल क्रमांक-2 की धारा-2 के खण्ड-एस एवं मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक-एफ-2(क)/9/08/बी-3/दो भोपाल दिनांक 30 जुलाई 2010 के अनुसार तथा मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक 01/1770880/2023/बी-3/दो, भोपाल दिनांक 02/01/2024 व पत्र क्रमांक 03/1770880/2023/बी-3/दो, भोपाल दिनांक 04/01/2024 के पालन में जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैठक दिनांक 09-01-2024 के लिए गए निर्णय अनुसार निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचना में आंशिक रूपांतरण करते हुए राज्य शासन द्वारा जिला खरगोन में निम्नानुसार गांवों को लोक सुविधा की दृष्टि से अन्य थाना/चौकियों में पुर्ननिर्धारण कर सम्मिलित करता हूँ। मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से अनुसूची में उल्लेखित किये गए गांव उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये अन्य थाना/चौकियों की परिसीमा में सम्मिलित किए जाते हैं -

स.क्र.	गांव का नाम जिसकी सीमा का पुर्ननिर्धारण किया जाना है	गांव का वर्तमान थाना/चौकी	गांव को किस थाना/चौकी में पुर्ननिर्धारण किया जाना है
1	2	3	4
1	गोराडिया	थाना चैनपुर	थाना भीकनगांव
2	छिल्लिया	थाना चैनपुर	थाना भीकनगांव
3	इगरिया	थाना चैनपुर	थाना भीकनगांव
4	मवास्या	थाना चैनपुर	थाना भीकनगांव
5	चौण्डी	थाना गोगावां	थाना भीकनगांव
6	मोहाली	थाना गोगावां	थाना भीकनगांव
7	पारसखेडी	थाना बडवाह	थाना बलवाडा
8	पाला पलासिया/केसरपाटी	थाना बडवाह	थाना बलवाडा
9	रमाणा	थाना बडवाह	थाना बलवाडा
10	बंजारी	थाना करही	थाना बडवाह
11	दामखेडा	थाना करही	थाना बडवाह
12	लखनपुरा	थाना करही	थाना बडवाह
13	पीपलपाटी	थाना करही	थाना बडवाह
14	गंगातखेडी	थाना करही	थाना बडवाह
15	ताजपुरा	थाना करही	थाना बडवाह
16	बठोली	थाना करही	थाना बडवाह
17	खारिया	थाना मंडलेश्वर	थाना महेश्वर
18	बैहगांव	थाना मंडलेश्वर	थाना करही
19	कुम्भिया	थाना मंडलेश्वर	थाना करही

20	चिराखान	थाना मंडलेश्वर	थाना करही
21	माथन्या	थाना मंडलेश्वर	थाना करही
22	मुकुन्दपुरा	थाना कसरावद	थाना मेनगांव
23	मथलाय	थाना कसरावद	थाना मेनगांव
24	रायपुरा	थाना कसरावद	थाना मेनगांव
25	ढालखेडा	थाना बलकवाडा	थाना कसरावद
26	एकलधारिया	थाना बलकवाडा	थाना कसरावद
27	काटकुर	थाना बलकवाडा	थाना कसरावद
28	सिपटान	थाना मेनगांव	थाना गोगावां
29	भुलगांव	थाना मेनगांव	थाना गोगावां
30	बलखडिया	थाना भीकनगांव	थाना गोगावां
31	सिरलाय	थाना भीकनगांव	थाना गोगावां
32	आवलिया	थाना भीकनगांव	थाना गोगावां
33	डीआरपी लाईन, खरगोन	थाना कोतवाली, खरगोन	थाना मेनगांव
34	जिला अस्पताल, खरगोन	थाना कोतवाली, खरगोन	थाना मेनगांव
35	अवनी ग्राम, खरगोन	थाना कोतवाली, खरगोन	थाना मेनगांव
36	श्रीनाथ कालोनी, खरगोन	थाना कोतवाली, खरगोन	थाना मेनगांव
37	राजवाडा कालोनी, खरगोन	थाना कोतवाली, खरगोन	थाना मेनगांव
38	विष्णुपुरी कालोनी, खरगोन	थाना कोतवाली, खरगोन	थाना मेनगांव
39	गौरीधाम कालोनी, खरगोन	थाना कोतवाली, खरगोन	थाना मेनगांव
40	मोहना	थाना बिस्टान	थाना भगवानपुरा
41	बोकरानिया	थाना बिस्टान	थाना भगवानपुरा
42	कदवाली	थाना बिस्टान	थाना भगवानपुरा
43	जलालाबाद	थाना बरुड	थाना ऊन
44	आमल्यापानी	थाना बरुड	थाना ऊन
45	धुल्यापानी	थाना बरुड	थाना ऊन

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कर्मवीर शर्मा, जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला निवाड़ी, मध्यप्रदेश

क्र. 07-आरडीएम-2024

निवाड़ी, दिनांक 19 जनवरी 2024

पुलिस अधीक्षक निवाड़ी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव दिनांक 12.01.2024 पर जिला स्तर पर गठित समिति की अनुशंसा के परिपेक्ष्य में जन सुविधा को दृष्टिगत रखने हुए जिला निवाड़ी के निम्नलिखित ग्राम कॉलम नम्बर 3 में दर्शित थानों से अपवर्जित करते हुए कॉलम नम्बर 4 में दर्शित थानों में जोड़े जाने हेतु अधिसूचित किया जाता है।

क्र.	ग्रामों का नाम	पुलिस थाने का नाम तहसील व जिला सहित जिससे अपवर्जित किया गया	पुलिस थाने का नाम तहसील व जिला सहित जिसमें सम्मिलित किया गया
1.	2.	3.	4.
1	मजरा मकारा	पृथ्वीपुर, तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी	थाना निवाड़ी, तहसील व जिला निवाड़ी
2	रागौली	पृथ्वीपुर, तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी	थाना निवाड़ी, तहसील व जिला निवाड़ी
3	राजापुर	पृथ्वीपुर, तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी	थाना निवाड़ी, तहसील व जिला निवाड़ी
4	भेलसा	पृथ्वीपुर, तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी	थाना निवाड़ी, तहसील व जिला निवाड़ी
5	केसरीगंज	पृथ्वीपुर, तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी	चौकी लुहरगुवा थाना जैरोन तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी
6	बुदर्रा	पृथ्वीपुर, तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी	चौकी लुहरगुवा थाना जैरोन तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी
7	घुसारा जागीर	पृथ्वीपुर, तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी	थाना जैरोन तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी
8	चन्द्रपुरा	पृथ्वीपुर, तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी	थाना ओरछा तहसील ओरछा जिला निवाड़ी
9	रमपुरा	जैरोन तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी	थाना सिमरा तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी
10	तेजपुरा	जैरोन तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी	थाना सिमरा तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी
11	भेलसी	जैरोन तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी	थाना सिमरा तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी
12	सेवारी	सिमरा तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी	थाना ओरछा तहसील ओरछा जिला निवाड़ी
13	काछीपुरा	कोतवाली निवाड़ी	चौकी तरीचरकलां थाना सेंदरी तहसील व जिला निवाड़ी
14	बिनवारा	कोतवाली निवाड़ी	चौकी तरीचरकलां थाना सेंदरी तहसील व जिला निवाड़ी
15	थौना	चौकी तरीचरकलां थाना सेंदरी तहसील व जिला निवाड़ी	थाना टेहरका तहसील व जिला निवाड़ी
16	देवरीनायक	टेहरका तहसील व जिला निवाड़ी	कोतवाली निवाड़ी तहसील व जिला निवाड़ी

तदनुसार सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु अधिसूचना जारी की जाती है।

(1/2)

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सरल क्र. 2) की धारा 2 के खण्ड एस0 एवं शासन के आदेश क्रमांक 2-(क)-15-99 बी-3 दो दिनांक 11 अक्टूबर 2004 तथा मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-2 (क)/9/08/बी-3/दो भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2010 एवं मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 01/1770880/2023/बी-3/दो, भोपाल दिनांक 02.01.2024, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए समिति की संयुक्त बैठक दिनांक 12.01.2024 के निर्णय के परिपेक्ष्य में नीचे दी गई शारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचना में आंशिक उपातरण करते हुए राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से -

एक- नीचे दी शारणी के कॉलम (1) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कॉलम नम्बर (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों का अपवर्जित करती है।

दो- शारणी के कॉलम नम्बर (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को शारणी के कॉलम नम्बर (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है।

पुलिस थाने का नाम तहसील तथा जिला सहित जिससे अपवर्जित किया गया है	नाम ग्राम	पुलिस थाने का नाम तहसील व जिला सहित जिसमें सम्मिलित किया गया है
1.	2.	3.
थाना पृथ्वीपुर	मजरा मकारा	थाना निवाड़ी तहसील व जिला निवाड़ी
	रागोली	थाना निवाड़ी तहसील व जिला निवाड़ी
	राजापुर	थाना निवाड़ी तहसील व जिला निवाड़ी
	भेलसा	थाना निवाड़ी तहसील व जिला निवाड़ी
	केसरीगंज	चौकी लुहरगुवां थाना जैरोन तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी
	बुदर्दा	चौकी लुहरगुवां थाना जैरोन तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी
	घुराराजागीर	थाना जैरोन तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी
थाना जैरोन	चन्द्रपुरा	थाना ओरछा तहसील ओरछा जिला निवाड़ी
	रमपुरा	थाना सिमरा तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी
	तेजपुरा	थाना सिमरा तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी
थाना सिमरा	भेलसी	थाना सिमरा तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी
	सेवारी	थाना ओरछा तहसील ओरछा जिला निवाड़ी
थाना कोतवाली निवाड़ी	काछीपुरा	चौकी तरीचरकलां थाना सेंदरी तहसील व जिला निवाड़ी
	बिनवारा	चौकी तरीचरकलां थाना सेंदरी तहसील व जिला निवाड़ी
चौकी तरीचरकलां	थौना	टेहरका तहसील व जिला निवाड़ी
टेहरका	देवरीनायक	थाना कोतवाली तहसील व जिला निवाड़ी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण कुमार विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 19th January 2024

Sections of Code of Criminal Procedure 1973 1974 and Government's order No. 2-(क)-15-99 B-3 के dated 11 October 2004 Madhya Pradesh Prison Department's letter F-2(क)/9/08/B-3/के Bhopal, dated 30 July 2010 and Madhya Pradesh Government Home Department, Bhopal's letter No. 01/1770880/2023/B-3/के Bhopal dated 02.01.2024 to the Collector, ~~SP~~ and the District Prosecution Officer in exercise of the powers given to the District Level Committee in the joint meeting of the Committee dated 12.01.2024. From the date of publication of this notification in the State Gazette by the State Government in making complaint against the previous notification affecting the areas specified in the Table.

- (a) Excludes the local areas specified in column (2) of the Table from the police mentioned in column (1) of the Table below.
- (b) Excludes the local areas specified in column (2) of the Table. (3) includes the police station mentioned in.

Name of Police Station (With Tehsil and the district) from which excluded,	Name Of Village	Name of the police station in which it is included along with tehsil and district
1	2	3
Police Station Prathvipur	Majra Makara	Police Station Niwadi Tehsil District Niwadi
	Ragauli	Police Station Niwadi Tehsil District Niwadi
	Rajapur	Police Station Niwadi Tehsil District Niwadi
	Bhelsa	Police Station Niwadi Tehsil District Niwadi
	Kesariganj	Chowki Luharguwa Thana Jairon Tehsil Prithvipur District Niwari
	Budarra	Chowki Luharguwa Thana Jairon Tehsil Prithvipur District Niwari
	Ghurara jagir	Police Station Jairon Tehsil Prithvipur District Niwari
	Chandrapura	Police Station Orchha Tehsil Orchha District Niwari
police station jaron	Rampura	Police Station Simra Tehsil Prithvipur District Niwari
	Tejpura	Police Station Simra Tehsil Prithvipur District Niwari
	Bhelsi	Police Station Simra Tehsil Prithvipur District Niwari
police station Simra	Sewari	Police Station Orchha Tehsil Orchha District Niwari
police station Niwari	Kachhipura	Chowki Taricharkala Police Station Sendri Tehsil and District Niwari
	Binwara	Chowki Taricharkala Police Station Sendri Tehsil and District Niwari
Chowki Taricharkala	Thouna	Teharka Tehsil and District Niwari
Teherka	Devrinayak	Police Station Niwadi Tehsil District Niwadi

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN KUMAR VISHWAKARMA, Collector & Ex. Officio Dy. Secy.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला देवास, मध्यप्रदेश

क्र. 166-एसडब्ल्यू-एफ-107-2024

देवास, दिनांक 15 जनवरी 2024

पुलिस अधीक्षक, देवास का पत्र क्रमांक- पुअ/देवास/एसी/302-डी/2024 दिनांक 13.01.2024 एवं पुलिस अधीक्षक, शाजापुर का पत्र क्रमांक/ पुअ/शाजा/एसी/2262/23, दिनांक 28/12/2023 अनुसार देवास जिले के विभिन्न थाने की सीमाओं के नवीन सीमांकन किये हेतु जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है एवं गठित समिति द्वारा देवास जिला अंतर्गत विभिन्न थाने की सीमाओं के नवीन सीमांकन किये जाने का निर्णय लिया गया है। म.प्र. शासन गृह (पुलिस) विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ-2(क)/9/08/बी-3/दो भोपाल, दिनांक 30.07.2010 के प्रावधान अनुसार जिले के भीतर थानों/चौकियों की सीमा का अधिकार/परिसीमन निर्धारण करने के अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं।

अतः मैं ऋषव गुप्ता, जिला दण्डाधिकारी, जिला देवास दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973-1974 का स-2 की धारा 2 के खण्ड एस. द्वारा प्रदत्त शक्तियों को अमल में लाते हुए निम्नांकित अनुसूची में वर्णित देवास जिला अन्तर्गत देवास जिले के विभिन्न थाने की सीमाओं के नवीन सीमांकन किये हेतु जन सुविधा एवं प्रशासकीय सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए परिसीमन संबंधी प्रस्ताव की अधिसूचना जारी करता हूँ:-

क्र.	विधानसभा	जिसमें अपवर्जित किया जाना है।	क्षेत्र का नाम	जिसमें सम्मिलित किया जाना है।	रिमार्क
01	02	03	04	05	06
01	देवास	थाना कोतवाली (तहसील देवास)	1. बीट क्रमांक 02 मोती बंगला बीट (सिविल लाईन) 2. वन मंडल से सिविल लाईन चौराहा 3. नम्बर 02 स्कूल, व खेड़ापति हॉटल 4. वन मंडल, आनंद बाग, सिविल लाईन, ताराणी कॉलोनी, चामुण्डा काम्पलेक्स, अग्रसेन नगर, आर्दश कालोनी, पंचशील नगर, पाचुनकर कालोनी, शिवशक्ति नगर एवं कानूनगो कालोनी।	थाना सिविल लाईन	अधिक अपराध से कम अपराध वाले में परिवर्तन
02	देवास	थाना कोतवाली (तहसील देवास)	1. एबी रोड़ बस स्टेण्ड के आगे स्थित बहादूरशाह मार्ग होते हुए जवाहर चौक, माहेश्वरी स्वीट्स, महाकाल ज्यूस (पुराना बस स्टेण्ड चौराहा) 2. नम्बर 01 स्कूल के सामने सुपर मार्केट, गांजा भांग चौराहा, रंगरेज मस्जिद चौराहा होते हुए राजबाड़ा के बांये तरफ का संपूर्ण हिस्सा।	थाना नाहर दरवाजा	अधिक अपराध से कम अपराध वाले में परिवर्तन

क्र.	विधानसभा	जिसमें अपवर्जित किया जाना है।	क्षेत्र का नाम	जिसमें सम्मिलित किया जाना है।	रिमार्क
01	02	03	04	05	06
03	देवास	थाना बीएनपी (तहसील देवास)	1. महाकाल कॉलोनी एवं गोल्डन सिटी कॉलोनी, नौसराबाद से देवास-उज्जैन हाईवे के बांये तरफ का संपूर्ण क्षेत्र (दायी तरफ का संपूर्ण क्षेत्र यथावत बीएनपी थाने में रहेगा)	थाना सिविल लाईन	अधिक अपराध से कम अपराध वाले में परिवर्तन
04	हाटपीपल्या	थाना बरोठा (तहसील देवास)	1. ग्राम पाड़लिया 2. ग्राम झांझरवाड़ी 3. ग्राम भरिया बावड़ी 4. ग्राम गांगरदी 5. ग्राम निवानिया	थाना औ.क्षेत्र	भौगोलिक दृष्टि से वर्तमान थाने से दूरी अधिक होने के कारण।
05	सोनकच्छ	थाना टोंकखुर्द (तहसील टोकखुर्द)	1. ग्राम राबड़िया	थाना बी.एन.पी.	भौगोलिक दृष्टि से वर्तमान थाने से दूरी अधिक होने के कारण।
06	सोनकच्छ	थाना भौरासा (तहसील सोनकच्छ)	1. ग्राम मोडरिया	थाना सोनकच्छ	भौगोलिक दृष्टि से वर्तमान थाने से दूरी अधिक होने के कारण।
07	सोनकच्छ	थाना पीपलरांवा (तहसील सोनकच्छ)	1. ग्राम ऐनाबाद 2. ग्राम कालूखेड़ी	थाना सोनकच्छ	भौगोलिक दृष्टि से वर्तमान थाने से दूरी अधिक होने के कारण।
08	खातेगांव	थाना कन्नौद (तहसील खातेगांव)	1. ग्राम बरवई 2. ग्राम रानीबाग 3. ग्राम डिडाली	थाना खातेगांव	भौगोलिक दृष्टि से वर्तमान थाने से दूरी अधिक होने के कारण।
09	खातेगांव	थाना खातेगांव (तहसील खातेगांव)	1. ग्राम दिपगांव	थाना नेमावर	भौगोलिक दृष्टि से वर्तमान थाने से दूरी अधिक होने के कारण।
10	खातेगांव	थाना खातेगांव (तहसील खातेगांव)	1. ग्राम काकरिया	थाना हरणगांव	भौगोलिक दृष्टि से वर्तमान थाने से दूरी अधिक होने के कारण।
11	बागली	थाना उदयनगर (तहसील उदयनगर)	1. ग्राम पलासी 2. ग्राम पोस्तीपुरा 3. ग्राम पारस पीपली 4. ग्राम रायसिंह पुरा	थाना कांटाफोड़	भौगोलिक दृष्टि से वर्तमान थाने से दूरी अधिक होने के कारण।

// 03 //

क्र.	विधानसभा	जिसमें अपवर्जित किया जाना है।	क्षेत्र का नाम	जिसमें सम्मिलित किया जाना है।	रिमार्क
01	02	03	04	05	06
12	बागली	थाना उदयनगर (तहसील उदयनगर)	1. ग्राम कोलूघट्टा	थाना बागली	भौगोलिक दृष्टि से वर्तमान थाने से दूरी अधिक होने के कारण।
13	सोनकच्छ	थाना मक्सी जिला शाजापुर (तहसील टोकखुर्द)	1. ग्राम डिंगरोद 2. ग्राम सोंसर 3. ग्राम मेरुखेड़ी 4. ग्राम दोंताजागीर 5. ग्राम जलालपुरी 6. ग्राम आलरी 7. ग्राम खरेलीग्राम 8. नान्दला	थाना टोकखुर्द	राजस्व सीमा जिला देवास होने से ग्रामों को थाना टोकखुर्द में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित। (क्रमांक/पुअ/शाजा/एसी/2262/23, दिनांक 28/12/2023) संलग्न।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋषव गुप्ता, जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी, जिला गुना, मध्यप्रदेश

क्र. एसडब्ल्यू-नौ-20-06-2024-81

गुना, दिनांक 27 जनवरी 2024

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-02, खण्ड ड के अनुसार अधिसूचित किया जाता है कि जिला गुना ग्रामीण/शहरी थानों के अंतर्गत आने वाले ग्रामों/मौहल्लों की भौगोलिक स्थिति, जनसुविधा एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से लंबे समय की दूरी तय न करना पड़े तथा आमजन की समस्याओं का निराकरण त्वरित गति से करने आदि सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित सारणी के कॉलम नम्बर (1) में उल्लेखित वर्तमान पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कॉलम नम्बर (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को परिवर्तित करते हुये उनके सम्मुख कॉलम नम्बर (3) में उल्लेखित प्रस्तावित पुलिस थाने में सम्मिलित किया जाना है।

क्र0	वर्तमान थाने का नाम	ग्राम का नाम	प्रस्तावित थाना
	(1)	(2)	(3)
1	कैंट	शेखपुर	धरनावदा
		पिपरिया भडऊ	म्याना
		तरावटा	
		रेंझाई	
		धमनार	
2	बजरंगगढ़	मंगवार	कैंट
		करौंद	
		खिरिया	
3	मृगवास	तलावली	चांचौडा
		बलावली	
4	चांचौडा	झूकरी	मृगवास
		झूकरा	
		जलालपुरा	
5	म्याना	बल्लापुर	कैंट
		सेमरा	
		महूखान	
		दूधई	
6	बमौरी	रिहाना	धरनावदा
		सारैठा	सिरसी
7	धरनावदा	घुंघरी पहाडी	राघौगढ़
		धीरदेह	
		डुमावन	फतेहगढ़

8	विजयपुर	कंडीपुरा	धरनावदा
9	राघोंगढ़	गाडरवाड	विजयपुर
		अहमदापुर	
		भैंसाना	
		अहीरखेडी	
		बहादुरगढ़	
		भैंसावला	आरोन
		काठी	जामनेर
		कोलुआ	बजरंगगढ़
		दत्तया	
		कुंदा	
10	चौकी जंजाली	किशनगढ़	राघोंगढ़
		सावतखेडी	
		आवन	
		पालपुर	
		बदरपुरा	
		सेमरा	
11	जामनेर	हिंगोना	मक्सूदनगढ़
		सियाखेडी	
		बल्लभगढ़	
		सल्लभगढ़	
		धीनाखेडी	
		मेरूखेडी	
		मोहरी	
		जांगरू	
		राजाहेडी	
		कुडईडांग	
		मेमनपुर	

अतः एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सीमा परिवर्तन के संबंध में यदि किसी प्रकार की आपत्तियां दर्ज कराना है तो अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के अंदर कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

अमनवीर सिंह बैस, जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश

क्रमांक/76/एस.डब्ल्यू./2024 :- मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल, के परिपत्र क्रमांक एफ-2(क)/09/08/बी-3/दो दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा प्रदत्त किये गये अधिकार के तहत मै डॉ गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी बालाघाट एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा -2 के खण्ड-एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा नीचे दी गई सारिणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचनाओं में आंशिक उपरान्तरण करते हुये मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से :-

- वह ग्राम जो सारिणी के कॉलम (2) में उल्लेखित है, उस पुलिस थाने से जो कि नीचे दी गई सारिणी के कॉलम-(3) में उल्लेखित किया गया है, ऐसे स्थानीय क्षेत्रों को, जो कि उसके कॉलम-(3) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं, अपवर्जित करता हूँ। और निर्देश देता हूँ कि इसमें उक्त सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट किये गये स्थानीय क्षेत्र कॉलम (4) के थाना क्षेत्रों में सम्मिलित होंगे।

सारणी

अनुविभाग-बालाघाट (नगर पुलिस अधीक्षक) जिला बालाघाट

क्रमांक	ग्राम का नाम	उस पुलिस थाने का नाम (तहसील सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया	उस पुलिस थाने का नाम (तहसील सहित) जिसमें सम्मिलित किया गया
1	2	3	4
1	बोदा	थाना कोतवाली तहसील बालाघाट	थाना भरवेली, तहसील बालाघाट
2	पाथरवाडा	थाना कोतवाली तहसील बालाघाट	थाना भरवेली, तहसील बालाघाट
3	उमरदौनी	थाना ग्रामीण तहसील बालाघाट	थाना भरवेली, तहसील बालाघाट
4	गायखुरी का वार्ड नं 33	थाना ग्रामीण तहसील बालाघाट	थाना कोतवाली, तहसील बालाघाट
5	चिखला	थाना हट्टा तहसील किरनापुर	थाना ग्रामीण तहसील बालाघाट

अनुविभाग-वारासिवनी, जिला बालाघाट

क्रमांक	ग्राम का नाम	उस पुलिस थाने का नाम (तहसील सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया	उस पुलिस थाने का नाम (तहसील सहित) जिसमें सम्मिलित किया गया
1	2	3	4
1	गर्रा	थाना वारासिवनी तहसील लालबर्सा	थाना कोतवाली तहसील बालाघाट
2	लोहाग्री	थाना वारासिवनी तहसील कटंगी	थाना कटंगी, तहसील कटंगी
3	थानेगांव	थाना रामपायली तहसील वारासिवनी	थाना वारासिवनी, तहसील वारासिवनी
4	डोंगरगांव	थाना रामपायली तहसील वारासिवनी	थाना वारासिवनी, तहसील वारासिवनी
5	जबरटोला	थाना खैरलांजी तहसील वारासिवनी	थाना रामपायली, तहसील वारासिवनी

अनुविभाग-कटंगी, जिला बालाघाट

क्रमांक	ग्राम का नाम	उस पुलिस थाने का नाम (तहसील सहित) जिसमे से अपवर्जित किया गया	उस पुलिस थाने का नाम (तहसील सहित) जिसमे सम्मिलित किया गया
1	2	3	4
1	बोरीखेड़ा	थाना कटंगी तहसील कटंगी	थाना तिरोड़ी, तहसील कटंगी

अनुविभाग-बैहर, जिला बालाघाट

क्रमांक	ग्राम का नाम	उस पुलिस थाने का नाम (तहसील सहित) जिसमे से अपवर्जित किया गया	उस पुलिस थाने का नाम (तहसील सहित) जिसमे सम्मिलित किया गया
1	2	3	4
1	छतरपुर	थाना गढ़ी तहसील बैहर	थाना बिरसा तहसील बिरसा
2	पटुआ	थाना गढ़ी तहसील बैहर	थाना बिरसा तहसील बिरसा
3	उमरझोला	थाना गढ़ी तहसील बैहर	थाना बिरसा तहसील बिरसा
4	कटंगी (भू)	थाना बिरसा तहसील बैहर	थाना मलाजखण्ड तहसील बैहर
5	फतेपुर	थाना रूपझर (चौकी डोरा) तहसील परसवाड़ा	थाना परसवाड़ा तहसील परसवाड़ा
6	कुकडा	थाना रूपझर (चौकी डोरा) तहसील परसवाड़ा	थाना परसवाड़ा, तहसील परसवाड़ा
7	वरुणगोटा	थाना रूपझर (चौकी डोरा) तहसील परसवाड़ा	थाना परसवाड़ा, तहसील परसवाड़ा

अनुविभाग-लांजी, जिला बालाघाट

क्रमांक	ग्राम का नाम	उस पुलिस थाने का नाम (तहसील सहित) जिसमे से अपवर्जित किया गया	उस पुलिस थाने का नाम (तहसील सहित) जिसमे सम्मिलित किया गया
1	2	3	4
1	सहेकी	थाना बहेला तहसील लांजी	थाना लांजी तहसील लांजी
2	खाण्डाफरी	थाना बहेला तहसील लांजी	थाना लांजी तहसील लांजी
3	बगड़ी	थाना बहेला तहसील लांजी	थाना लांजी तहसील लांजी
4	भानेगांव	थाना किरनापुर तहसील लांजी	थाना लांजी तहसील लांजी
5	चिखलामाली	थाना किरनापुर तहसील लांजी	थाना लांजी तहसील लांजी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Balaghat, the 19th January 2024

No/ 76 /S.W/2024:- As per circular of Government of M.P Home (Police) Department , Vallabh Bhawan Bhopal, No. F-2(K)/9/08B-3/3 dated 30/07/2010, I, Dr. GIRISH KUMAR MISIRI, Collector/District Magistrate Balaghat & Ex-Officio Deputy Secretary Government of Madhya Pradesh, in exercise of powers conferred by the clause (s) of section 2 of the code of criminal procedure, 1973 and in partial modification of the previous notification affecting the local areas specified in the table below, w.e.f the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette-

- 1- The Village mentioned in column (2) of the table, from the police station mentioned in column (3) of the table below, such local Excludes the areas specified in column (3) thereof. And I direct that the local areas specified in column (2) of the said table will be included in the police station areas of column (4).

TABLE**SUB DIVISION (City Superintendent of Police) Balaghat
DISTRICT- BALAGHAT**

Sr.No	Name of Villages	Name of the Police station (including Tehsil & District) from which the exclusion was made	Name of the Police Station (including Tehsil) in which it was included
1	2	3	4
1	BODA	THANA KOTWALI TAHSIL BALAGHAT	THANA BHARWELI TAHSIL BALAGHAT
2	PATHARWADA	THANA KOTWALI TAHSIL BALAGHAT	THANA BHARWELI TAHSIL BALAGHAT
3	UMARDONI	VILLAGE THANA TAHSIL BALAGHAT	THANA BHARWELI TAHSIL BALAGHAT
4	GAYKHURI WARD NO 33	VILLAGE THANA TAHSIL BALAGHAT	THANA KOTWALI TAHSIL BALAGHAT
5	CHIKHLAA	THANA HATTA TAHSIL KIRNAPUR	VILLAGE THANA TAHSIL BALAGHAT

SUB DIVISION- WARASEONI, DISTRICT BALAGHAT

Sr.No	Name of Villages	Name of the Police station (including Tehsil & District) from which the exclusion was made	Name of the Police Station (including Tehsil) in which it was included
1	2	3	4
1	GARRA	THANA WARASEONI TAHSIL LALBURRA	THANA KOTWALI TAHSIL BALAGHAT
2	LOHANGRI	THANA WARASEONI TAHSIL KATANGI	THANA KATANGI TAHSIL KATANGI
3	THANEGAON	THANA RAMPAYLI TAHSIL WARASEONI	THANA WARASEONI TAHSIL WARASEONI
4	DONGARGAON	THANA RAMPAYLI TAHSIL WARASEONI	THANA WARASEONI TAHSIL WARASEONI
5	JABARTOLA	THANA KHAIRLANJI TAHSIL WARASEONI	THANA RAMPAYLI TAHSIL WARASEONI

SUB DIVISION- KATANGI, DISTRICT BALAGHAT

SR NO	Name of Villages	Name of the Police station (including Tehsil & District) from which the exclusion was made	Name of the Police Station (including Tehsil) in which it was included
1	2	3	4
1	BORIKHEDA	THANA KATANGI TAHSIL KATANGI	THANA TIRODI TAHSIL TIRODI

SUB DIVISION-BAIHAR, DISTRICT BALAGHAT

SR NO	Name of Villages	Name of the Police station (including Tehsil & District) from which the exclusion was made	Name of the Police Station (including Tehsil) in which it was included
1	2	3	4
1	CHATURPUR	THANA GADHI TAHSIL BAIHAR	THANA BIRSA TAHSIL BIRSA
2	PATWA	THANA GADHI TAHSIL BAIHAR	THANA BIRSA TAHSIL BIRSA
3	UMARJHOLA	THANA GADHI TAHSIL BAIHAR	THANA BIRSA TAHSIL BIRSA
4	KATANGI (BHU)	THANA BIRSA TAHSIL BAIHAR	THANA MALAJKHAND TAHSIL BAIHAR
5	FTAHPUR	THANA RUPJHAR (CHOUKEY DORA) TAHSIL PARASWADA	THANA PARASWADA TAHSIL PARASWADA
6	KUKDHA	THANA RUPJHAR (CHOUKEY DORA) TAHSIL PARASWADA	THANA PARASWADA TAHSIL PARASWADA
7	VARUNGOTA	THANA RUPJHAR (CHOUKEY DORA) TAHSIL PARASWADA	THANA PARASWADA TAHSIL PARASWADA

SUB DIVISION- LANJI, DISTRICT BALAGHAT

SR NO	Name of Villages	Name of the Police station (including Tehsil & District) from which the exclusion was made	Name of the Police Station (including Tehsil) in which it was included
1	2	3	4
1	SAHKI	THANA BAHELA TAHSIL LANJI	THANA LANJI TAHSIL LANJI
2	KHANDAFARI	THANA BAHELA TAHSIL LANJI	THANA LANJI TAHSIL LANJI
3	BAGRDHI	THANA BAHELA TAHSIL LANJI	THANA LANJI TAHSIL LANJI
4	BHANEGAON	THANA KIRNAPUR TAHSIL LANJI	THANA LANJI TAHSIL LANJI
5	CHIKHLA MALI	THANA KIRNAPUR TAHSIL LANJI	THANA LANJI TAHSIL LANJI

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
GIRISH KUMAR MISHRA, Collector & Ex. Officio Dy. Secy.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश

क्र. कलेक्टर-भोपाल-104-2024

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2024

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973(1974 का सरल क्रमांक-2) की धारा-2 के खण्ड एस, एवं शासन के आदेश क्रमांक/एफ-2/(क)/15/99/बी-3/दो दिनांक 11.10.2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक/एफ-2/(क)/9/08/ बी-3 /दो दिनांक 30 जुलाई 2010 एवं मध्य प्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक 01/1770880/2023/बी-3/दो, भोपाल दिनांक 02.01.2024 एवं पत्र क्रमांक 03/1770880/2023/बी-3/दो, भोपाल दिनांक 04.01.2024 द्वारा जिले के भीतर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये समिति की बैठक दिनांक 29/01/2024 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में नीचे दी सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुये नगरीय पुलिस भोपाल में निम्नानुसार गावों/कॉलोनियों को लोक सुविधा की दृष्टि से अन्य थाना/चौकियों में मध्य प्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से पुनर्निर्धारण कर सम्मिलित करता हूँ:-

एक	नीचे दी सारणी के कालम (1) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करते हैं।
दो	सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है।

सारणी

जोन	पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया है।	स्थानीय क्षेत्र		पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से सम्मिलित किया गया है।		
		ग्राम/मोहल्ले का नाम एवं बन्दोबस्त/वार्ड क्रमांक				
	(1)	(2)		(3)		
जोन-1	पुलिस थाना शाहपुरा तहसील हुजूर भोपाल	क्र.	ग्राम/मोहल्ले का नाम	बंदोबस्त नं० वार्ड क्र०	पुलिस थाना चूनाभट्टी तहसील हुजूर भोपाल	
		1	शाहपुरा ए सेक्टर	51		
		2	शाहपुरा बी सेक्टर	51		
	3	बाबा नगर शाहपुरा	51			
	जोन-4 द्वारा प्रस्तावित	पुलिस थाना हबीबगंज तहसील हुजूर भोपाल	4	मनीषा मार्केट से प्रशासन अकादमी तक का क्षेत्र	48	पुलिस थाना चूनाभट्टी तहसील हुजूर भोपाल
			5	कैम्पियन स्कूल से शैतान सिंह चौराहा तक	48	
जोन-1 द्वारा प्रस्तावित	पुलिस थाना शाहपुरा तहसील कोलार भोपाल	6	सलैया नदी पुल (केरवा नदी) से सलैया चौराहा से 80 फिट रोड होते हुये रेलवे पटरी तक सीधा मुख्य मार्ग	52	पुलिस थाना मिसरोद तहसील कोलार भोपाल	

जोन-2	पुलिस थाना अवधपुरी तहसील हुजूर भोपाल	7	ग्राम झागरिया	60	पुलिस थाना कटाराहिल्स तहसील हुजूर भोपाल
	पुलिस थाना अवधपुरी तहसील कोलार भोपाल	8	फारेस्ट बाउन्ड्री सीमा तक	60	पुलिस थाना कटाराहिल्स तहसील कोलार भोपाल
	पुलिस थाना अवधपुरी तहसील एम पी नगर भोपाल	9	एसओएस रोड से पीरिया जोड तक रोड सीमा	61	पुलिस थाना पिपलानी तहसील एम पी नगर भोपाल
	पुलिस थाना मिसरोद तहसील कोलार भोपाल	10	ग्राम रानी पिपलिया	ग्राम पंचायत खाण्डावड	पुलिस थाना कोलार रोड तहसील कोलार भोपाल
		11	ग्राम सेमरी खुर्द	ग्राम पंचायत बगरोदा	पुलिस थाना कटाराहिल्स तहसील कोलार भोपाल
जोन-3	पुलिस थाना कोतवाली तहसील-हुजूर भोपाल	12	नेहरू नगर सैफिया कालेज के सामने हनुमान मंदिर से भोपाल टॉकिज का एरिया बेलदारपुरा	19	पुलिस थाना शाहजहांनाबाद तहसील-हुजूर भोपाल
	पुलिस थाना-तलैया तहसील-हुजूर भोपाल	13	मेन रोड का दाहिना हिस्सा-सदर मंजिल, राजू टी स्टॉल, इमामीगेट, शगुन होटल, मालीपुरा, चिरायु अस्पताल, ब्रीजिसिया मसजिद, हवा महल रोड	08	पुलिस थाना कोतवाली तहसील-हुजूर भोपाल
	पुलिस थाना-कोहेफिजा तहसील-हुजूर भोपाल	14	जमील होटल लाईन वाली सभी दुकाने दरगाह, हमीदिया अस्पताल नये इमरजेन्सी गेट से फोटो कॉपी की दुकान तक सम्पूर्ण क्षेत्र	09	पुलिस थाना कोतवाली तहसील-हुजूर भोपाल
	पुलिस	15	कुछ क्षेत्र जो रेल्वे		पुलिस थाना हनुमानगंज

	थाना-मंगलवारा तहसील-हुजूर भोपाल		स्टेशन प्लेट फार्म नं 06 के सामने की रोड	18	तहसील-हुजूर भोपाल
	पुलिस थाना शाहजहानाबाद तहसील-हुजूर जिला-भोपाल	16	रविदासपुरा, कबीटपुरा	10	पुलिस थाना टीलाजमालपुरा तहसील-हुजूर जिला-भोपाल
जोन-4	पुलिस थाना खजूरीसडक तहसील हुजूर भोपाल	17	ग्राम बैरागढकलॉ थाना खजूरी सडक	03	पुलिस थाना बैरागढ तहसील हुजूर भोपाल
	पुलिस थाना खजूरीसडक तहसील हुजूर भोपाल	18	ग्राम मुगलियाछाप	ग्राम पंचायत मुगलिया छाप	पुलिस थाना रातीबड तहसील हुजूर भोपाल

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

No. Collector-Bhopal-104-2024

Bhopal, the 29th January 2024

In exercise of the powers conferred by clause(s) section 2 of the Code of Criminal procedure; 1973(No 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home(Police) Department order number F-2(K)15/99/B-3/two dated 11/10/2004, number F-2(K)9/08/B-3/two dated 30/07/2010, number 01/1770880/2023/B-3/two dated 02/01/2024 and number 03/1770880 /2023/B-3/two dated 04/01/2024 in compliance with decisions taken by the powers conferred to Committee of district Collector/SP/DPO. in meeting Dated 29/01/2024 in partial modification of the previous notification in the specified local areas comprised in respective police stations/out posts mentioned in the Table below. The State Government hereby Notifies Police Commissionerate BHOPAL in favour of public interest of Comprising the areas specified below with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette-

1	Exclude form the police station mentioned in column (1) of the table below the local areas specified in column(2) there of and
2	Includes the local areas specified in column (2) of the said table in the police station mentioned in column (3) of the said table.

TABLE

Zone	Name of police station (with tehsil and distt.) from which excluded	LOCAL AREA			Name of police station (with tehsil and distt.) from which included	
		Name of Villages, and Settlement No , Ward No				
	(1)	(2)			(3)	
Zone-1	Proposed by Zone-4	Police Station Shahpura Tehsil Huzur Bhopal	S.No.	Name of Villages,	Settlement No	Police Station Chunabhatti Tehsil Hujur Bhopal
			1	Shahpura, Sector-A	51	
			2	Shahpura, Sector-B	51	
		3	Baba Nagar, Shahpura	51		
	Proposed by Zone-1	Police Station Habibganj Tehsil Hujur Bhopal	4	Manisha Market to Prashashan Academy Area	48	Police Station Chunabhatti Tehsil Hujur Bhopal
			5	Campion School to Shaitan Singh Chouraha	48	
	Proposed by Zone-1	Police Station- Shahpura Tehsil- Kolar Bhopal	6	Sallaiya river pool (Kerwa river) to Sallaiya Chouraha to 80 feet road till railway line main road	52	Police Station- Misrod Tehsil- Kolar Bhopal
	Police Station- Awadhपुरी Tehsil- Huzur Bhopal	7	Gram Jhagariya	60	Police Station- Katara hills Tehsil- Huzur Bhopal	

Zone-2	Police Station- Awadhpuri Tehsil- Kolar Bhopal	8	Till Forest boundary	60	Police Station- Katara hills Tehsil- Kolar Bhopal
	Police Station- Awadhpuri Tehsil- M P Nagar Bhopal	9	SOS Road to Peeriya Joint	61	Police Station- Piplani Tehsil- M P Nagar Bhopal
	Police Station- Misrod Tehsil- Kolar Bhopal	10	Gram Rani Pipliya	Gram Panchayat Khandavad	Police Station- Kolar Road Tehsil- Kolar Bhopal
		11	Gram Semri Khurd	Gram Panchayat Bagroda	Police Station- Katara Hills Tehsil- Kolar Bhopal
Zone-3	Police Station- Kotwali Tehsil- Huzur Bhopal	12	Beldarpura area of Bhopal Talkies from Hanuman Mandir in front of Nehru Nagar Saifiya College	19	Police Station- Shahjahanabad Tehsil- Huzur Bhopal
	Police Station- Talaiya Tehsil- Huzur Bhopal	13	Right side of Main Road- Sadar Manzil, Raju Tea Stall, Imamigate, Shagun Hotel, Malipura, Viva Hospital, Brizisia Masjid, Hawa Mahal Road	08	Police Station- Kotwali Tehsil- Huzur Bhopal
	Police Station- Kohefiza Tehsil- Huzur Distt. Bhopal	14	All shops along Jameel Hotel line, Dargah, Hamidia Hospital, entire area from new emergency gate to photocopy shop	09	Police Station- Kotwali Tehsil- Huzur Bhopal
	Police Station- Mangalwara Tehsil- Huzur Distt. Bhopal	15	Some areas which are on the road in front of Railway Station Platform No. 06.	18	Police Station- Hanumanganj Tehsil- Huzur Bhopal
	Police Station- Shahjahanabad Tehsil- Huzur Distt. Bhopal	16	Ravidaspura, Kabitpura	10	Police Station- Teelajamalpura Tehsil- Huzur Bhopal
Zone-4	Police Station Khajuri Sadak Tehsil Hujur Bhopal	17	Gram Bairagarh kala	03	Police Station Bairagarh Tehsil Hujur Bhopal
	Police Station Khajuri Sadak Tehsil Hujur Bhopal	18	Gram Mugaliya Chap	Gram Panchayat Mugaliya Chap	Police Station Ratibad Tehsil Hujur Bhopal

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KAUSHLENDRA VIKRAM SINGH, Collector & Ex. Officio Dy. Secy.

क्र. कलेक्टर-भोपाल-108-2024

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2024

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973(1974 का सरल क्रमांक-2) की धारा-2 के खण्ड एस, एवं शासन के आदेश क्रमांक/एफ-2/(क)/15/99/बी-3/दो दिनांक 11.10.2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक/एफ-2/(क)/9/08/ बी-3 /दो दिनांक 30 जुलाई 2010 एवं मध्य प्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक 01/1770880/2023/बी-3/दो, भोपाल दिनांक 02.01.2024 एवं पत्र क्रमांक 03/1770880/2023/बी-3/दो, भोपाल दिनांक 04.01.2024 द्वारा जिले के भीतर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये समिति की बैठक दिनांक /01/2024 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में नीचे दी सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुये जिला भोपाल देहात में निम्नानुसार गावों/कॉलोनियों को लोक सुविधा की दृष्टि से अन्य थाना/चौकियों में मध्य प्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से पुननिर्धारण कर सम्मिलित करता हूँ:-

एक	नीचे दी सारणी के कालम (1) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करते हैं।
दो	सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है।

सारणी

सारणी				
क्र.	पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया है।	ग्राम/महोल्ले का नाम एवं बन्दोबस्त/वार्ड क्रमांक	पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से सम्मिलित किया गया है।	
	1	2	3	
1.		ग्राम/महोल्ले का नाम	पुलिस थाना -गुनगा तहसील- बैरसिया जिला भोपाल	
	पुलिस थाना -बैरसिया	1		ग्राम गांगा पिपलिया
	तहसील- बैरसिया			
	जिला भोपाल			

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल दिनांक 30 जनवरी 2024

क्र. कलेक्टर-भोपाल-2024.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.-कलेक्टर-भोपाल-108-2024, दिनांक 30 जनवरी 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 30th January 2024

In exercise of the powers conferred by clause(s) section 2 of the Code of Criminal procedure; 1973(No 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home(Police) Department order number F-2(K)15/99/B-3/two dated 11/10/2004, number F-2(K)9/08/B-3/two dated 30/07/2010, number 01/1770880/2023/B-3/two dated 02/01/2024 and number 03/1770880 /2023/B-3/two dated 04/01/2024 in compliance with decisions taken by the powers conferred to Committee of district Collector/SP/DPO. in meeting Dated 30 /01/2024 in partial modification of the previous notification in the specified local areas comprised in respective police stations/out posts mentioned in the Table below. The State Government hereby Notifies Police Superintendent BHOPAL (Rural) in favour of public interest of Comprising the areas specified below with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette-

1	Exclude form the police station mentioned in column (1) of the table below the local areas specified in column(2) there of and
2	Includes the local areas specified in column (2) of the said table in the police station mentioned in column (3) of the said table.

TABLE

DISTRIC BHOPAL RULAR	Name of police station (with tehsil and distt.) from which excluded	LOCAL AREA			Name of police station (with tehsil and distt.) from which included
		Name of Villages, and Settlement No ,Ward No			
	(1)	(2)			(3)
		S.No.	Name of Villages,	Settlement No	
RULAR BHOPAL	Police Station Berasia Tehsil Berasia Bhopal	1	Ganga Pipalia		Police Station Gunga Tehsil Berasia Bhopal

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KAUSHLENDRA VIKRAM SINGH, Collector & Ex. Officio Dy. Secy.

कार्यालय, कलेक्टर, एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

क्र. 470-एस डब्ल्यू-परि.-2024

रायसेन, दिनांक 19 जनवरी 2024

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सरल क्र०-2) की धारा-2 के खण्ड एस एवं शासन के आदेश क्र०/एफ-2/(क)/15/99/बी-3/दो दि० 11.10.2004 तथा शासन के पत्र क्र०/एफ-2/(क)/09/08/बी-3/दो दि० 30.07.2010 द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की गठित जिलास्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, समिति की आयोजित बैठक दि० 18.01.2024 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अधोलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुये शासन द्वारा निम्नांकित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुये युक्तियुक्तकरण उपरांत रायसेन जिले के सभी अनुभागों के थानों की सीमाओं का पुर्ननिर्धारण म०प्र० राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट ग्राम क्षेत्रों को सारणी के कॉलम (3) में उल्लेखित पुलिस थाने से सारणी के कॉलम (4) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करते हैं-

क्र०	ग्राम/कस्बा	वर्तमान में किस थाना क्षेत्रान्तर्गत है।	क्षेत्र जिसमें सम्मिलित किया जा रहा है।
1	2	3	4
1	ग्राम जैतगढ	थाना देवनगर	थाना बम्होरी
2	ग्राम भर्दा चंदौरा	थाना सुल्तानपुर	चौकी नकतरा थाना देवनगर
3	टोला मोतियाखेडा	थाना सुल्तानपुर	चौकी नकतरा थाना देवनगर
4	ग्राम चिलवाह	थाना सुल्तानपुर	चौकी नकतरा थाना देवनगर
5	टोला रामनगर	थाना सुल्तानपुर	चौकी नकतरा थाना देवनगर
6	टोला उमरई	थाना सुल्तानपुर	चौकी नकतरा थाना देवनगर
7	टोला आमपानी	थाना सुल्तानपुर	चौकी नकतरा थाना देवनगर
8	वन टोला गेरूघाटी	थाना सुल्तानपुर	चौकी नकतरा थाना देवनगर
9	वन टोला बडकुई	थाना सुल्तानपुर	चौकी नकतरा थाना देवनगर
10	वन टोला घेटाकछार	थाना सुल्तानपुर	चौकी नकतरा थाना देवनगर
11	ग्राम महुआखेडा	थाना सुल्तानपुर	चौकी नकतरा थाना देवनगर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अरविन्द कुमार दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

No. 475-SW-PARIO-2024--

Raisen, the 19th January 2024

In exercise of the powers conferred by clause(s) Section 2 fo the code of Criminal procedure 19733(No 2 of 1947) and Madhya Pradesh Home(Police) Department order number F-2(K) 15/99/B-/two date 11/10/2004 and number F-2(K) 9/08/B-3/two dated 30/07/2010 Committee of the Distt Collector/SP/DPO in meeting Dt. 18-01-2024 dcided partial modification of the previous notification after rationalization in the specified local areas comprised in respective police station mentioned in the Table below. The state Government hereby notifies Police station Comprising the areas specified below with effect from date of publication of this Notification in the Madhya Pradesh Gazette, the village specified in column(2) of the table given below are included in the police station mentioned in column (4) of the table from the police station mentioned in column(3) of the table-

TABLE

S.No	Gram	Name of police station from which exclude	Name of police station in which included
1	2	3	4
1	Village Jaitgarh	Police Station Devnagar	Police Station Bamhori
2	Village Bharda Chandora	Police Station Sultanpur	OP Nakhtra Police Station Devnagar
3	Tola Motiyakheda	Police Station Sultanpur	OP Nakhtra Police Station Devnagar
4	Village Chilwaha	Police Station Sultanpur	OP Nakhtra Police Station Devnagar
5	Tola Ramnagar	Police Station Sultanpur	OP Nakhtra Police Station Devnagar
6	Tola Umrai	Police Station Sultanpur	OP Nakhtra Police Station Devnagar
7	Tola Amapani	Police Station Sultanpur	OP Nakhtra Police Station Devnagar
8	Forest Tola Gerughati	Police Station Sultanpur	OP Nakhtra Police Station Devnagar
9	Forest Tola Badkuyi	Police Station Sultanpur	OP Nakhtra Police Station Devnagar
10	Forest Tola Ghetakachar	Police Station Sultanpur	OP Nakhtra Police Station Devnagar
11	Village Mahuakheda	Police Station Sultanpur	OP Nakhtra Police Station Devnagar

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARVIND KUMAR DUBEY, Collector & Ex. Officio Dy. Secy.